लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 5th LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र]
Second Session

Preservation ... Parliament Library

[खंड 6 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. VI contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 42, मंगलवार, 20 जुलाई, 1971/29 आषाढ़, 1893 (शक)

No. 42, Tuesday, July 20, 1971/Asadha 29, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
1231. चम्पारन जिले में रकसोल में रेलवे भूमि पर अवैध कब्जा	Illegal Possession of Railway land at Raxaul in Champaran District	... 1— 2
1234. लघु उद्योगों के लिए बिजली की दरों में कमी करना	Reduction in Electricity Rates for Small Scale Industries	... 2— 4
1236. बिजली की अधिष्ठापित क्षमता और माँग	Capacity and Demand for Electricity	... 4— 7
1239. बिलेट और अपरीक्षित रेल की पटरियों की कमी के कारण केरल में कारखानों का बन्द हो जाना	Closure of units in Kerala due to shortage of Billets and untested rails	... 7— 8
1240. मोटर कारों की माँग तथा उत्पादन	Demand and Production of Cars	... 9—11
1241. फरक्का बाँध पुल पर रेलवे लाइनें	Railway Lines over the Farakka Barrage	... 12
1243. टायरों के मूल्यों में वृद्धि की माँग	Demand for increase in prices of tyres	... 12—14
1244. नेफा क्षेत्र में रेलवे लाइनें	Railway lines in NEFA Area	... 14—15
1245. जापान के सहयोग से बिहार में ट्रैक्टर फेक्ट्री की स्थापना	Setting up of Tractor Factory in Bihar with Japanese Collaboration	... 15—17
1246. पूर्व रेलवे में भोजन-यानों से प्राप्त होने वाली आय	Income from Dining Cars on Eastern Railway	... 17—19

* किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign † marked above the name of a Member indicate that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
1247. सतपुड़ा विद्युत संयंत्र को उत्तरी ग्रिड के साथ जोड़ना	Linking of Satpura Power Plant with Northern Grid ...	19
1248. उद्योगों और कारखानों में उत्पादन की अधिकतम सीमा	Ceiling of Production in Industries and Factories	20

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

1232. पैसेन्जर कार के निर्माण के लिये मैसर्स अगरवाला को लाइसेंस दिया जाना	Issue of Licence for Manufacture of Passenger Car by M/s. Agarwala	21
1233. बिहार में दामोदर घाटी निगम के कोनार बाँध में पन-बिजलीघर का निर्माण	Installation of Hydro-Electric Power Station at Konar Dam of D. V. C. in Bihar ...	21—22
1235. विदेशी कार निर्माण कम्पनियों द्वारा भेजे गये कार के नमूनों का परीक्षण तथा प्रदर्शन	Test and Demonstration of Prototype sent by Foreign Car Manufacturing Company ...	22
1237. ट्रेको केबल लिमिटेड, त्रिपुनिथुरा, केरल को एल्यूमिनियम का आबंटन	Allocation of Aluminium to Traco Cable Ltd., Tripunithura, Kerala ...	22—23
1238. मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स कारखाने में ट्रैक्टरों के निर्माण में कमी	Fall in Production of Tractors by M/s Hindustan Tractors Ltd., Baroda	23
1242. पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा और अधिक माल डिब्बों के लिये अनुरोध	Request of West Bengal Government for more wagons ...	24—25
1249. राउरकेला-बिलासपुर सेक्शन के विद्युतीकरण से ठेकेदारों द्वारा अर्जित लाभ	Profits earned by Contractors from the Electrification of Rourkela-Bilaspur Section ...	25
1250. अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए पंजाब सरकार का प्रस्ताव	Proposal from Punjab Government for Generation of Additional Energy ...	25—27
1251. अफ्रीकी देशों को रेल संबंधी ज्ञान का भेजा जाना	Export of Railway Technical know-how to African countries ...	27
1252. तमिलनाडु में बोदीनयाकनुर से उत्तर भारत को भेजी गई इलायची का रास्ते में खराब होना	Loss of cardamom in Transit from Bodinayakanur in Tamil Nadu to North ...	27—28
1253. पूर्वोत्तर रेलवे में स्थानापन्न कर्मचारियों की प्रस्तावित छँटनी	Proposed Retrenchment of Substitute Workers on North Eastern Railway ...	28

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

ता० प्र० संख्या

S. Q. No.

1254. बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान मशीनटूल्स लिमिटेड में ट्रैक्टरों, मुद्रण मशीनों और हैवी ड्यूटी प्रेसों का उत्पादन	Production of Tractors, Printing Machines and Heavy Duty Presses in H. M. T. Bangalore	... 28—30
1255. हिमाचल प्रदेश में नैटपा-झकरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण	Construction of Natpa-Jhakri Hydro-Electric Project in Himachal Pradesh	... 30
1256. केरल में औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Industrial Development in Kerala	... 30—31
1257. कोयला, चाय और सोडा-ऐश की ढुलाई के लिए माल डिब्बों की कमी	Shortage of wagons for movement of Coal, Tea and Soda Ash	... 31
1158. दिल्ली-अहमदाबाद मीटरगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Delhi-Ahmedabad Metre Gauge Line into Broad Gauge	... 32
1259. डागमरा बाँध के संबंध में कोसी तकनीकी समिति का प्रतिवेदन	Report of Kosi Technical Committee regarding Dagmara Barrage	32
1260. मैसूर में वाराखी नदी के पानी का उपयोग	Exploitation of Waters of Varakhi River in Mysore	33

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5288. तिनसुकिया रेलवे स्टेशन के रेलवे फाटक पर उपरि पुल	Overbridge at Level Crossing of Tinsukia Railway Station	... 33
5289. असम में भूमि कटाव रोकने के कार्य पर किया गया व्यय	Expenditure on Anti-Erosion work in Assam	... 33—34
5290. डिब्रूगढ़ में भूमि कटाव रोकने के कार्य पर किया गया व्यय	Expenditure on Anti-Erosion work in Dibrugarh	34
5291. आय-कर अपीलीय मामलों का निपटाया जाना	Disposal of Income-Tax Appellate Cases	... 34—35
5292. संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान को अनुदान	Grant to the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies	... 35—36
5293. ट्रंक मार्गों पर रेलों का चलाया जाना	Running of Trains on Trunk Routes	... 36—37
5294. वर्षा के कारण हिन्दुस्तान साल्ट लि०, जयपुर को हुई हानि	Loss incurred to Hindustan Salts Ltd., Jaipur due to rains	37

प्रता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5295.	हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर तथा हिन्दी में छपे प्रकाशन	Disposal of Letters received in Hindi and Publications brought out in Hindi	... 38
5296.	विधि और न्याय मंत्रालय में हिन्दी कार्य	Hindi work in Ministry of Law and Justice	... 38—39
5297.	उपरि कृष्णा परियोजना	Upper Krishana Project	... 39—40
5298.	मैसर्स नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बलूर, हावड़ा को दिया गया लाइसेंस	Licence to M/s National Iron and Steel Company, Belur, Howrah	... 40
5299.	बिजली की कमी के कारण बिहार में पम्पिग सेटों का बेकार पड़े रहना	Pumping Sets remaining idle for want of power in Bihar	... 40—41
5300.	रेलों द्वारा कोयले का ढोया जाना	Movement of Cole by Rail	... 41—42
5301.	कोका-कोला निर्यात निगम का विदेशी मुद्रा सम्पूर्ति लाइसेंस	Foreign Exchange Replenishment Licence of Coca-Cola Export Corporation	... 42
5302.	कोका-कोला के बोटलिंग संयंत्र	Bottling Plants of Coca-Cola	43
5303.	काजू के छिलके से निकलने वाले 'लिक्विड' को तैयार करने के संबंध में जारी किए गए पेटेंट	Patents issued in respect of Processes based on Cashew Nut Shell Liquid	... 43
5304.	काजू के छिलके से तेल निकालने का तरीका	Method of Production of Cashew Nut Shell Liquid	... 44
5305.	काजू के छिलके से प्राप्त होने वाले तेल के लिए उद्योग समूह की स्थापना	Setting up of Cashew Nut Shell Liquid Complex	... 44
5306.	ट्यूबों व टायरों का उत्पादन, माँग तथा सप्लाई	Production, demand and supply of tubes and tyres	... 44—45
5307.	फल तथा सब्जी परिरक्षण उद्योग के संबंध में बालसुब्रह्मण्यम समिति का प्रतिवेदन	Report of Balasubramanian Committee on fruit and vegetable preservation industry	... 45
5308.	भोपाल स्थित हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटड में जेनरेटरों और टरबाइनों की उत्पादन लागत	Production cost of generators and turbines in Heavy Electricals (India) Ltd., Bhopal	... 45—46
5309.	आवश्यक वस्तुओं की कीमतें	Prices of essential commodities	... 46
5310.	मध्यावधि चुनावों के दौरान कार्य के लिये केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त राशि की अदायगी	Payment of Extra Amount to Employees of Centre and States for work during Mid-term Elections	... 46—47

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
5311. समय-सारिणी समितियों का गठन	Constitution of Time-Table Committees	47
5312. केरल में दूसरा सूक्ष्म उपकरण कारखाना स्थापित किया जाना	Setting up of Precision Instruments Factory in Kerala	... 47—48
5313. कुरसियोंग (पश्चिम बंगाल) में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुद्रणालय की पारियों में वृद्धि	Increase in Shifts in Printing Press at Kurseong (West Bengal) to meet the requirements of North East Frontier Railway	48
5314. पूर्वी रेलवे के हावड़ा तथा बर्दवान डिवीजनों में कार्य कर रहे खाद्य विक्रेताओं के लिये भविष्य निधि संबंधी सुविधायें	Provident Fund facilities for catering Vendors working in Howrah and Burdwan division of Eastern Railway	... 48—49
5315. भारतीय सहयोग से फिलीपीन में इंजीनियरी उद्योगों की स्थापना	Setting up of Engineering Industries in Philippines with Indian collaboration	... 49
5316. जारी किये जाने के छः महीने के भीतर उपयोग न किये जाने वाले लाइसेंसों का रद्द किया जाना	Cancellation of Industrial Licences if not used within six months of their issue	... 50
5317. पंचेट हिल, धनबाद, बिहार में दूसरे पन-बिजली एकक की स्थापना	Installation of a Second Hydro-Electric Unit in Panchet Hill, Dhanbad, Bihar	... 50—51
5318. फरक्का बाँध परियोजना के साथ "लो हैड" पन-बिजलीघर स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal for Low Head Hydro-Electric Power Station with Farakka Barrage Project	... 51
5319. दामोदर घाटी निगम के तापीय एककों का कार्य	Functioning of Thermal Units of D. V. C.	... 51—52
5320. दामोदर घाटी निगम में "मैन" तापीय प्रजनन एककों का कार्य	Working of man Thermal Generating Units of D. V. C.	... 52
5321. उच्चतम न्यायालय में अनिर्णीत पड़े मामले	Cases Pending in Supreme Court	... 52—53
5322. कानपुर और लखनऊ के मध्य विद्युतीकरण	Electrification between Kanpur and Lucknow	53
5323. ओबरा तापीय विद्युत केन्द्र कारखाने का विस्तार करने की योजना	Scheme to expand Obra Thermal Power Station Complex	... 53—54
5324. इलाहाबाद में टायर का कारखाना	Tyre Factory in Allahabad	... 55

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

ता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5325.	तमिलनाडु स्थित परमाणु विद्युत केन्द्र से राज्यों को विद्युत का वितरण	Distribution of Power from Atomic Power Station in Tamil Nadu to States ...	55
5326.	सिचाई परियोजनाओं से की जाने वाली सिंचाई की अपेक्षा विद्युत लिफ्ट सिंचाई व्यवस्था के अन्तर्गत की जाने वाली सिंचाई पर आने वाले व्यय का अधिक होना	Irrigation under Electric Power Lift Irrigation Costlier through Irrigation Projects ...	56
5327.	गुंतकल डिवीजन में सदर्न रेलवे मजदूर यूनियन द्वारा भूख हड़ताल का नोटिस	Notice of hunger strike by Southern Railway Mazdoor Union, Guntakal Division ...	56—57
5328.	रेलवे अस्पताल के बाहर गुंतकल डीजल शेड कर्मचारियों का प्रदर्शन	Demonstration by Guntakal Diesel shed Workers outside Railway Hospital ...	57—58
5329.	सिकन्दराबाद (दक्षिण मध्य रेलवे) स्थित रेलवे गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgrading of Girls' Upper Primary school at Secunderabad (South Central Railway) ...	58—59
5330.	दक्षिण रेलवे के मन्नानूर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म को ऊँचा करना	Raising of Platform of Mannanur Railway Station on Southern Railway ...	59
5331.	गार्डों की वरिष्ठता के संबंध में पश्चिम रेलवे मजदूर संघ, भावनगर द्वारा भूख हड़ताल	Fast by Western Railway Mazdoor Sangh, Bhavanagar re. Seniority of Guards ...	59
5332.	बरौनी से कटिहार तक (पूर्वोत्तर रेलवे) बड़ी लाइन	Broad Gauge Line from Barauni to Katihar (North Eastern Railway) ...	60
5333.	पूर्वोत्तर रेलवे के थाना बीहपुर स्टेशन और कटिहार स्टेशन के बीच नई रेल-गाड़ी चलाया जाना	Introduction of new train between Thana Bihpur Junction Station and Katihar Station on North Eastern Railway ...	60
5334.	पूर्वोत्तर रेलवे के नारायणपुर स्टेशन पर एक्सप्रैस एवं मेल गाड़ियों का रुकना	Halt for Express/Mail train at Narayanpur Station on North Eastern Railway ...	60
5335.	रेलवे विद्युतीकरण (दक्षिण पूर्व रेलवे) हेतु पूँजीगत परिव्यय से प्राप्त धनराशि का वापिस किया जाना।	Surrender of amount from the Capital Outlay for Railway Electrification (South Eastern Railway) ...	61
5336.	पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे पर ठेकेदारों को खाद्य पदार्थ बेचने के ठेके	Catering contracts to Contacteors on North East Frontier Railway ...	61—62
5337.	फेरी वालों तथा खान पान की व्यवस्था करने वालों को रेलवे स्टेशन पर काम करने के लिए लाइसेंस देना	Issue of licences to vendors and caterers on Railway Stations ...	62

अता॰ प्र॰ संख्या

U. S. Q. Nos.

5338.	पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में नए कूच-बिहार रेलवे स्टेशन पर जलपान गृह तथा छोटे खोमचों पर ठेकेदार का एकाधिकार	Monopoly of a contractor in Refreshment Room and vending on New Cooch-Behar Railway Station on North East Frontier Railway	... 62—63
5339.	न्यू कूच बिहार रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) के निकट कृषि के लिए फालतू भूमि	Surplus land near New Cooch-Behar Railway station for agricultural purpose (North East Frontier Railway)	... 63
5340.	रेलवे विद्युतीकरण की बिलासपुर यूनिट तथा कलकत्ता आर्गेनाइजेशन का दक्षिण-पूर्व रेलवे में मिलाना	Merger of Bilaspur Unit and Calcutta Organisation of Railway electrification with South-Eastern Railway	... 63—64
5341.	पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन में फेरी लगा कर खान-पान का सामान बेचने वालों द्वारा बिक्री के सामान पर अधिक कमीशन देने के लिए माँग	Demand of catering vendors working in Howrah Division of Eastern Railway for increase of commission on sale of goods	... 64
5342.	रेलवे में वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Senior Railway Officers	... 64—65
5343.	पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में जंजीर खींचने, चोरी आदि के मामले	Cases of chain-pulling and theft in Sealdah Division of Eastern Railway	... 65—66
5344.	आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा खुला पत्र	Open letter by the All India Loco Running Staff Association	66
5345.	रेलवे में इंजन/ईंधन निरीक्षकों के पद पर पदोन्नति	Promotion as Loco/Fuel Inspectors on Railways	... 66—67
5346.	राजस्थान में गंग नहर के बन्द हो जाने की आशंका	Gang Canal in Rajasthan threatened with Closure	67
5347.	राजस्थान में सीमेंट के कारखाने लगाने के लिए लाइसेंस देना	Issue of Licences for setting up Cement Factories in Rajasthan	... 67
5348.	पश्चिम तथा उत्तर रेलवे पर कुछ ठेकेदारों को जलपान एवं चाय स्टालों पर भोजन यानों के ठेके	Contracts of Refreshment cum Tea Stalls and Dining Cars given to certain Contractors on Western and Northern Railways	... 67—68
5349.	बस्ती (उत्तर प्रदेश) में चौथी योजना के दौरान उद्योग स्थापित करना	Setting up of Industries in Basti (U. P.) during Fourth Plan	... 68—69
5350.	पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर सीमान्त, पूर्वी तथा उत्तर रेलवे के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Railway Workers on North Eastern, North East Frontier, Eastern and Northern Railways	69

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या			
U. S. Q. Nos.			
5351.	रेलवे सेवा आयोग द्वारा परीक्षा न लिये गये आशुलिपिकों को राहत	Relief to Stanographers not Tested by Railway Service Commission	70
5352.	मनीपुर के घरेलू उद्योगों का विकास	Development of Cottage Industries in Manipur	70
5353.	मनीपुर में घरेलू उद्योगों के स्वामियों में व्याप्त असन्तोष	Discontentment among Cottage Industrialists in Manipur	71
5354.	मनीपुर में डीजल इलैक्ट्रिक इंजनों द्वारा बिजली की सप्लाई	Power supply from Diesel Electric Engines in Manipur	... 71—72
5355.	मनीपुर में न्यायिक पदों पर मनीपुर बार एसोसिएशन के सदस्यों की नियुक्ति	Appointment of Members of Manipur Bar Association to Judicial Posts in Manipur	72
5356.	मध्य रेलवे के झांसी जंक्शन पर कलात्मक वस्तुओं की दुकान का ठेका	Contract for Curio Stall at Jhansi Junction of Central Railway	... 72—73
5357.	कार्यालयों और मुख्यालयों में भविष्य निधि अनुभाग में लेखा लिपिकों का कार्यभार	Workload for Accounts Clerks in P. F. Sections of Headquarters and Divisional Officers	... 73
5358.	पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे में स्थायी मार्ग निरीक्षकों और सहायक स्थायी मार्ग निरीक्षकों की एसोसिएशन द्वारा माँग-पत्र दिया जाना	Charter of Demands by Association of Permanent Way Inspectors and Assistant Permanent way Inspectors on Eastern and South Eastern Railways	... 73—74
5359.	बरास्ता पटना चलने वाली डीलक्स गाड़ी से संबद्ध भोजन-यान	Dining Car attached to Deluxe Train running via Patna	... 74
5360.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में अधिकारियों की वरिष्ठता	Seniority of Officers in Junior Administrative Grade	... 74—75
5361.	विदेशी सहयोग से लघु उद्योग	Small Scale Industries with Foreign Collaboration	... 75
5362.	सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मामले और इन कार्यालयों के कार्य के घण्टे/कार्य के दिन	Pending Cases in Supreme Court and High Courts and Working Hours/Days of Courts	... 75—76
5363.	वरिष्ठता के स्थान पर 'योग्यता' के आधार पर पदोन्नति देना	Promotion on basis of Merit instead of 'Seniority'	... 76—77
5364.	उड़ीसा में विस्फोटक बनाने वाला कारखाना	Explosive Factory in Orissa	77

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
5365. पूर्व रेलवे के हावड़ा और बर्दवान डिविजनों में खान पान की वस्तुएँ बेचने वालों को वर्दी की सुविधाएँ	Uniform facilities for Catering Vendors in Howrah and Burdwan Divisions of Eastern Railway	77
5366. नीलगिरि प्राधिकारियों (दक्षिण-रेलवे) द्वारा गैंगमैन, पोईंट्समैन तथा सहायक स्टेशन मास्टर के पदों को समाप्त किया जाना	Surrendering of Posts of Gangmen, Pointsmen and Assistant Station Masters by Nilagiri Railway Authorities (Southern Railway)	... 77—78
5367. पश्चिम रेलवे के जयपुर प्रभाग में ट्रैफिक विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देना	Increments to Class IV Staff of Traffic Department, Jaipur Division (Western Railway)	78
5368. फुलेरा स्टेशन (पश्चिम रेलवे) के केबिनमैनों को बकाया राशि का भुगतान	Payment of Arrears to Cabinmen of Phulera Station (Western Railway)	... 78—79
5369. समुद्र द्वारा कटाव रोकते हेतु पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना	Scheme proposed by West Bengal for Anti-Sea-Erosion	79
5370. खुर्जा जंक्शन के रेलवे फाटक पर उपरिपुल	Overbridge at Khurja Junction Level Crossing	... 79—80
5371. ताम्बरम प्लेटफार्म पर पैदल उपरिपुल को चौड़ा किया जाना	Widening of foot over-bridge on Tambaram Platform	... 80
5372. मद्रास समुद्र तट और ताम्बरम के बीच विद्युत 'ट्रेक्शन'	Electric Traction between Madras Beach and Tambram	... 80—81
5373. इलैक्ट्रिक ट्रेक्शन (दक्षिण रेलवे) के कर्मचारियों को छुट्टी रिजर्वों का दिया जाना	Leave Reserve to Staff of Electric Traction (Southern Railway)	81
5374. असिस्टेन्ट ड्राइवरों के रूप में फिटरों को पदोन्नति (दक्षिण रेलवे)	Promotion of Fitters as Assistant Drivers (Southern Railway)	... 82
5375. दक्षिण रेलवे में अवाड़ी और त्रिवेल्लौर के बीच यात्रियों को असुविधा	Inconvenience to Travellers between Avadi and Trivellore on Southern Railway	... 82
5376. पश्चिम बंगाल में मारे गये अथवा पीटे गये रेल कर्मचारी	Railway Employees killed or assaulted in West Bengal	83
5377. हल्दिया लिंक रेलवे लाइन के निर्माण में लगे मजदूरों की मजूरी में वृद्धि	Increase in Wage of Mazdoors engaged on Haldia Link Railway Construction	... 84
5378. पूर्वी रेलवे में केटरिंग वैंडर्स यूनियन, हावड़ा द्वारा सरकार को ज्ञापन	Memorandum to Government by Catering Vendors Union, Howrah on Eastern Railway	84

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5379. मध्य प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित सांखी नदी का सर्वेक्षण	Survey of River Sankhi at Border of Madhya Pradesh and Bihar ...	84—85
5380. मध्य प्रदेश के जिला रायगढ़ के धर्म जिला, जयगढ़ से जसपुर में बिजली का लगाया जाना	Electrification in Dharam Zila and Jaigarh to Jaspur in District Raigarh (Madhya Pradesh) ...	85
5381. कल्याण विभाग द्वारा रेल कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्तियाँ	Scholarships to Children of Railway Employees from Welfare Department	86
5382. जनरल मैनेजर (दक्षिण रेलवे) के दौरे पर व्यय	Expenditure on the visit of General Manager (Southern Railway)	86
5383. देश की माँग पूरी करने तथा निर्यात के लिये कारों का निर्माण	Production of cars to meet Domestic demand and for export ...	86—87
5384. पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन में उपनगरीय रेलों में अराजकता	Lawlessness Prevailing on Suburban Railway in Sealdah Division of Eastern Railway ...	87
5385. पठानकोट से दिल्ली के बीच माल गाड़ियों की धीमी गति	Slow Movement of Goods Trains from Pathankot to Delhi ...	87—88
5386. केरल में रेलवे अस्पताल	Railway Hospitals in Kerala	88
5387. पश्चिम बंगाल में माल डिब्बों को तोड़ने और तार काटने को रोकने के लिये किये गये उपाय	Measures to stop Wagon-Breaking, Wire-cutting activities in West Bengal ...	88—89
5388. चोर बाजार में कच्चा माल बेचने वाली जाली फर्मों के विरुद्ध जाँच	Enquiry against Fake Firms selling Raw Materials in Black Market ...	89—90
5389. पूर्वोत्तर रेलवे के रसरा स्टेशन पर बी० आई० एम० मालगाड़ी से चुराये गये मिर्च के बोरे	Bags of Chilli stolen from B.I.M. Goods Train Wagon at Rasra Station, on North Eastern Railway ...	90
5390. वाराणसी डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) के रेल कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Railway employees of Varanasi Division (North Eastern Railway) ...	90—91
5391. व्यास बाँध के पूरा होने पर बेकार होने वाले मजदूरों को खपाना	Absorption of Surplus Labour on completion of Beas Dam	91
5392. दिल्ली के चारों ओर स्थापित औद्योगिक एस्टेटों में जगह की कमी	Shortage of accommodation in Industrial Estates around Delhi ...	91—92
5393. रेल मशीनरी के निर्माण के लिये विदेशी सहयोग	Foreign collaboration for the production of Rail Machinery	92

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5394.	भारतीय रेलवे में स्टोर कीपर, स्टेवार्ड 'ई' और हैड क्लर्क (फार्मेसिस्ट) के पदों का भरा जाना	Filling up of Posts of Store-Keeper, Steward 'E' and Head Clerk (Pharmacist) on Indian Railway ...	93
5395.	रेलवे कर्मचारियों के आश्रित पिता को चिकित्सा सुविधायें	Medical facilities to dependent father of Railway employees ...	93—94
5396.	ग्रेड 'बी' ड्राइवरों (पूर्वोत्तर रेलवे) की पदोन्नति	Promotion of Drivers Grade 'B' (North Eastern Railway)	94
5397.	तमिलनाडु के तिरुचेन्दूर कुमारी अन्तरीप क्षेत्र में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव	Erosion in Tiruchendur-Cape Comorin area in Tamil Nadu ...	94—95
5398.	रेलवे के माल डिब्बों द्वारा इलायची ढोने का कार्यक्रम	Programme for the Transportation of Cardamom by Railway Wagons ...	95
5399.	उद्योगों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Industries ...	95—96
5400.	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि	Increase in number of Judges of High Courts ...	96
5401.	पश्चिम रेलवे मजदूर संघ, भावनगर (गुजरात) द्वारा पारित संकल्प	Resolutions passed by Western Railway Mazdoor Sangh, Bhavanagar (Gujarat) ...	96
5402.	अम्बाला सिटी स्टेशन पर अभिलेख सतर्कता संगठन द्वारा जाँच पड़ताल	Scrutiny by Vigilance Organization of records at Ambala City Station ...	97
5403.	सतर्कता संगठन द्वारा अम्बाला स्टेशन पर अभिलेखों की जाँच पड़ताल	Inspection of records at Ambala Station by Vigilance Organization ...	97
5494.	अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में असिस्टेन्ट लोको फोरमैन के रूप में पदोन्नत किये गये कोटे का नियमित किया जाना	Regularisation of Quota for promotion as Assistant Loco Foremen, Ajmer Division (Western Railway) ...	97—98
5405.	दक्षिण बिहार का उत्तर बिहार को और उत्तर बिहार का दक्षिण बिहार को बिजली का दिया जाना	Transfer of Power from South to North Bihar and North to South Bihar	98
5406.	डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट, समस्तीपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) के सम्मुख प्रदर्शन	Demonstration before the Divisional Superintendent, Samastipur (North Eastern Railway) ...	99
5407.	सहायक इंजीनियर कार्यालय (उत्तर रेलवे) में 'ट्रेसर' के वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scale of Tracers in the Office of Assistant Engineers (Northern Railway)	99

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5408.	पूर्वोत्तर रेलवे के सोरन स्टेशन पर पीने के पानी की कमी	Shortage of Drinking Water at Soron Station on North Eastern Railway	... 99—100
5409.	केरल में योजनावधि में उद्योग की स्थापना	Setting up of Industries in Kerala	...100—101
5410.	केरल में बाँधों से किसानों को सहायता	Help to farmers from Dams in Kerala	... 102
5411.	केरल में जल निःसारण के बारे में प्रस्ताव	Proposal for Water Drainage in Kerala	...102—103
5412.	अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के टाइपिस्टों का बढ़ा हुआ कार्यभार	Increased Work-load for Typists in Ajmer Division (Western Railway)	...103—104
5413.	अहमदाबाद स्टेशन पर चाँदी के पार्सल का गायब हो जाना	Parcel containing Silver found missing at Ahmedabad Station	... 104
5414.	मैसूर राज्य के साउथ कनारा डिस्ट्रिक्ट में समुद्र कटाव	Sea-Erosion in South Kanara District, Mysore	... 105
5415.	गुजरात में सिलिको-कार्बाइड बनाने के लिए कारखाने की स्थापना	Setting up of Factory to manufacture Silico Carbide in Gujarat	...105—106
5416.	समुद्र कटाव से रक्षा करने के लिए तमिलनाडु के तिरूनेलवेल्ली जिले में तीरू चेंडूर मन्दिर की पूर्वी ओर दीवार का निर्माण	Construction of Wall on Eastern side of 'Tiruchendur Temple' Tirunelveli District, (Tamil Nadu) to protect from Sea Erosion	... 106
5417.	मध्य प्रदेश घाटी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी ग्रामोद्योग आयोग से वित्तीय सहायता की माँग	Demand for Financial Assistance from K. V. I. C. by Khadi Gramodyog Board, Madhya Pradesh	... 106
5418.	पूर्वोत्तर रेलवे में लूटपाट की घटनायें	Incidents of Looting on North Eastern Railway	... 107
5419.	बरास्ता शिवपुर, ग्वालियर और कोटा के बीच नई रेल लाइन का बिछाया जाना	New Railway line between Gwalior and Kota via Sheopur	... 107
5420.	शिवपुर से होकर ग्वालियर से कोटा जाने वाली छोटी लाइन का विस्तार	Extension of narrow gauge line from Gwalior to Kota via Sheopur	...107—108
5421.	गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में नालियों के खोदने की योजना	Scheme to excavate drains in Godavary and Krishna Deltaic Areas	... 108
5422.	रेलवे कर्मचारियों के रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समति पर मनोनीत किये जाने पर रोक	Ban on nomination of Railway employees to Railway Users Consultative Committee	...108—109

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5423. राजस्थान के चपरावाड़ा और माशी बाँधों में दरार आने से क्षति	Damage caused due to breach in Chaprawara and Mashi dams in Rajasthan	... 109
5424. जयपुर रेलवे स्टेशन पर बुकिंग आफिस के काम के घन्टे	Working hours of Railway Booking Office, Jaipur	...109—110
5425. गन्तव्य स्थानों पर सीमेंट की बोरियों का कम पाया जाना	Cement bags found short at the destination	... 110
5426. हिन्दी में स्टेशनों के लघु नाम	Abbreviated code name of Railway Station in Hindi	...110—111
5427. विधि और न्याय मंत्रालय में आये हिन्दी के कागजातों का निपटान	Disposal of documents received in Hindi in the Ministry of Law and Justice	... 111
5428. इंडिया इलैक्ट्रिक वर्क्स के कर्मचारियों को देय राशि	Amount due to employees of India Electric Works	... 111
अविलम्बीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance—	
नेपाल और चीन के बीच कथित समझौता जिसके अनुसार नेपाल द्वारा चीन को भारतीय सीमा के निकट तराई सीमा क्षेत्र का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई है।	Reported Agreement between Nepal and China permitting China to survey Tarai Border	...112—114
श्री हरि किशोर सिंह	Shri Hari Kishore Singh	
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	115
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee—	
प्रथम प्रतिवेदन तथा कार्यवाही का सारांश	First Report and Minutes	115
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—	Committee on Absence of Members from the Sittings of the House—	
प्रथम प्रतिवेदन	First Report	116
चुनाव विधि संबंधी संयुक्त समिति—	Joint Committee on Election Law—	
प्रतिवेदन पेश करने के लिए समय का बढ़ाया जाना	Extension of Time for presentation of Report	116
अनुदानों की माँगें, 1971-72	Demands for Grants, 1971-72	
विदेश मंत्रालय	Ministry of External Affairs	...116—146
श्री अहमद आगा	Shri Ahmed Aga	...116—118
श्री के० मनोहरन	Shri K. Manoharan	...118—119

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री सन्त बख्श सिंह	Shri Sant Bux Singh	...119—120
श्री सी० सी० देसाई	Shri C. C. Desai	...120—121
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	...122—123
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	...123—124
श्री सी० सी० गोहाईं	Shri C. C. Gohain	... 124
श्री एम० मुहम्मद इस्माइल	Shri M. Muhammad Ismail	...124—125
श्री हरि किशोर सिंह	Shri Hari Kishore Singh	...125—126
श्री त्रिदिब चौधरी	Shri Tridib Chaudhari	...126—127
श्री बी० आर० भगत	Shri B. R. Bhagat	...127—129
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	...129—130
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	...130—131
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim	...131—132
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	...132—134
श्री कृष्णा मेनन	Shri Krishna Menon	...134—136
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	...136—137
प्रो० एस० एल० सक्सैना	Prof. S. L. Saksena	... 137
श्री प्रियरंजन दास मुन्शी	Shri Priya Ranjan Das Munshi	...137—138
श्री एम० एम० जोजफ	Shri M. M. Joseph	...138—139
श्री शंकर देव	Shri Shankar Dev	... 139
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati Lakshmikanthamma	...139—140
प्रो० नारायणचन्द्र पाराशर	Prof. Narain Chand Parashar	... 140
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	...140—141
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	...141—146

लोक सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 20 **जुलाई**, 1971/29 **आषाढ़**, 1893 (**शक**)

Tuesday, July 20, 1971/Asadha 29, 1893 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Illegal Possession of Railway Land at Raxaul in Champaran District

*1231. SHRI BIBHUTI MISHRA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the Railway Land at Raxaul in Champaran District in Bihar is under forcible occupation of certain people; and

(b) if so, the measures contemplated by Government to get it vacated ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, हाँ ।

(ख) अधिक्रमणकारियों की बेदखली के लिए सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम, 1958 के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही शुरू कर दी गयी है ।

SHRI BIBHUTI MISHRA : May I know the total area of land illegally occupied ? When was the action initiated and do government propose to evict the encroachers who have built shops on it and allot the same to the poor people ?

श्री हनुमन्तैया : ऐसे 53 मामले हैं । कुल भूमि 34,970 वर्ग फुट है । रेलवे प्रशासन ने चार व्यक्तियों को छोड़कर सबके विरुद्ध मुकदमे चलाये थे, तथा 48 मुकदमों में न्यायालय ने

हमारे पक्ष में निर्णय दिया और अब हम कलक्टर से भूमि खाली करने के आदेश की क्रियान्विति करने के लिये कह रहे हैं। भूमि के खाली हो जाने पर मैं माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करूँगा।

SHRI BIBHUTI MISHRA : Is it a fact that illegal occupation of land in Raxaul by big people is the result of the negligence of the railway authorities or that it has been done with their conninance ? Raxaul is a nucleus place on Indo-Nepal border and the land remained vacant during the British rule and was used by military. A portion of it was given to the Bihar Government and the rest is occupied by certain people. What action is being taken by the railways and what instructions have been issued to its employees to stop it ? Mr. Speaker, the land in Raxaul is more valuable than the land in the rest of India.

श्री हनुमन्तैया : मैं यह आरोप स्वीकार नहीं कर सकता कि ये सब कब्जे रेलवे कर्मचारियों की सांठ-गांठ से हुए हैं। कहीं एक दो ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, तो उत्तरदायी न हों परन्तु आप जानते हैं कि अवैध कब्जा करने वाले लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं।

श्री डी० बसुमतारी : जब भी अवैध कब्जे के मामले की ओर रेलवे अधिकारियों का ध्यान दिलाया जाता है, तो यही कहा जाता है कि भूमि समस्या का संबंध राज्यों से है। तो क्या रेलवे प्रशासन इस समस्या को स्वयं हल करेगा और राज्यों पर नहीं छोड़ेगा ?

श्री हनुमन्तैया : माननीय सदस्य ठीक कहते हैं। यह राज्य सरकारों का मामला नहीं है। यह हमारी सम्पत्ति है और हम ही मुकदमे चलाते हैं और भूमि खाली कराते हैं। हम राज्य सरकारों से केवल सहायता लेते हैं।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : रेलवे सम्पत्ति का अवैध कब्जा करना वस्तुत: एक राष्ट्रीय समस्या है। सद्भावना और दुर्भावना दोनों से ही कब्जा किया जा रहा है। अत: क्या सरकार ऐसे मामलों के बारे में, जिनमें अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों पर बिना किसी दया के मुकदमे चलायेगी, एक व्यापक नीति बनायेगी ?

श्री हनुमन्तैया : मेरी समझ में नहीं आता कि सद्भावना से कब्जा से माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य है, अवैध कब्जा सद्भावना से हो ही नहीं सकता। उनके अन्य सुझाव पर मैं विचार करूँगा।

श्री बी० आर० शुक्ल : क्या रेलवे सम्पत्ति पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे अधिनियम या भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत मुकदमे चलाये गये हैं ?

श्री हनुमन्तैया : जी, हाँ।

लघु उद्योगों के लिए बिजली की दरों में कमी करना

*1234. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त भारत में लघु उद्योगों के लिए बिजली दरों में कमी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में बनाई गई योजना का स्वरूप क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी फिलहाल कोई नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या उन्हें यह मालूम है कि कुछ लघु उद्योगों को, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में, बिजली की दरें अधिक होने के कारण हानि हो रही है जबकि बिड़ला जैसे लोगों को उत्पादन लागत से कम पर बिजली दी जा रही है ? क्या बिड़ला जैसे लोगों तथा किसानों और लघु उद्योगों के लिये बिजली की समान दरों का कोई प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : भार की किस्म के अनुसार भिन्न भिन्न शुल्क हैं। ऐसे संगठन के लिये जिसमें खपत अधिक है और वर्ष के प्रति दिन शत-प्रतिशत भार का उपयोग होता है, पर काफी कम है। उदाहरण के लिये एल्यूमिनियम उद्योग कभी भी वही दर वहन नहीं कर सकता है, जो लघु उद्योगों के लिये है क्योंकि लघु उद्योग कम बिजली प्रयोग करते हैं। अतः भार की प्रत्येक किस्म के लिये भिन्न दरें हैं और देश में लघु उद्योगों के लिए यह 10 से 21 पैसे है। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों के लिये दर अधिक है। यह वांछनीय है कि इसे कम किया जाये, लेकिन एल्यूमिनियम या उर्वरक उद्योगों जैसे बड़े उद्योगों के बराबर मानना और उनसे वही दर लेना जो लघु उद्योगों से ली जाती है, संभव नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : बिजली की दरें अधिक होने के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में बिजली की अत्यधिक कमी है। पंजाब में भी ऐसी स्थिति है। अतः कमी को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य राज्यों की सहायता करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है ?

डा० के० एल० राव : यह सच है कि समस्त देश में सामान्य रूप में बिजली की कमी है और यह अत्यन्त खेदजनक है। इसलिए हमने दस वर्षों के लिये एक योजना बनाई है कि 1981 में कितनी बिजली होनी चाहिए ताकि कमी न हो, क्योंकि किसी बिजलीघर के चालू होने में परियोजना के मंजूर होने के बाद 6 से 8 वर्ष तक लग जाते हैं। अतः हमें भविष्य के बारे में सोचना होता है और हमने ऐसा ही किया है। हमारी वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता लगभग 165 लाख किलोवाट है और इसे 1981 में 520 लाख किलोवाट करने की हमारी योजना है और यदि हम इसमें सफल होते हैं, तो देश में कोई कमी नहीं होगी। हम ऐसी योजना बना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न बिजली की कीमतें कम करने के बारे में था। अब उत्पादन और किलोवाट की बात होने लगी है। प्रश्न और उत्तर नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं।

श्री जगन्नाथ राव : क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत, आयोग ने राज्य बिजली बोर्डों को निदेश दिये हैं अथवा उनसे सिफारिश की है कि उन्हें इन परियोजनाओं में 11

प्रतिशत लाभांश कमाना चाहिए और इसलिए वे लघु उद्योगों या स्थापित किये जा रहे नए उद्योगों के लिए बिजली की दरें कम नहीं कर पा रहे हैं ?

डा० के० एल० राव : जी, हाँ। बिजली उपक्रमों को इतना न्यूनतम अवश्य कमाना चाहिए। इसमें 6 प्रतिशत की दर से ब्याज, अवक्षयण आदि शामिल हैं और 3 प्रतिशत लाभ भी है, जो मिलाकर 11 प्रतिशत होता है। इतना आवश्यक है क्योंकि विद्युत परियोजनाएँ काफी पूँजी-प्रधान हैं और हमने विश्व बैंक आदि को, जो हमें ऋण देते हैं, भी यही वचन दिया है। ऐसा नहीं है कि आज हमें 11 प्रतिशत मिल रहा है परन्तु दो वर्षों की अवधि में धीरे-धीरे 11 प्रतिशत अवश्य हो जाना चाहिए। हम बिजली दरें बचत के उपायों द्वारा तथा बिजली घरों का आकार बड़ा करके ही कर सकते हैं। इस समय हमारे सैट 2 सेड मेगावाट के भी हैं ये 200 से 300 मेगावाट के होने चाहियें : बड़े आकार की मशीनें और बड़े आकार के बिजलीघर। ऐसा ही किया जा रहा है और यही हमारा ध्येय है।

SHRI N. N. PANDEY : Why it was agreed upon to supply power to the aluminium industry at a rate less than the cost of production on a 12 year contract ? Will it be revised ?

डा० के० एल० राव : रिहांड में एल्यूमिनियम कारखाने के मामलों में दर अब उत्पादन लागत से कम है। लेकिन यह समझौता बहुत पहले ऐसे समय किया गया था जब उत्तर प्रदेश अपने राज्य में यह उद्योग चाहता था। इसके अन्य कारण भी थे। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए दर अन्य किस्मों के भार से काफी कम है।

श्री जी० विश्वनाथन : देश में अनेक जिलों को पिछड़े जिले घोषित किया गया है। क्या सरकार पिछड़े हुए जिलों में लघु उद्योगों को कोई रियायत देने का विचार कर रही है ?

डा० के० एल० राव : इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है। यह एक अच्छी बात है, इस पर मैं संबंधित राज्य बिजली बोर्डों के साथ विचार-विमर्श करूँगा।

बिजली की अधिष्ठापित क्षमता और माँग

*1236. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले दस वर्षों में देश में बिजली की माँग तथा अधिष्ठापित क्षमता में अनुमानतः कितना अन्तर होगा;

(ख) इस अन्तर को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या केंद्रीय सहायता बढ़ाये जाने के लिए कार्यवाही करने का प्रस्ताव है जिससे कि विभिन्न राज्य सरकारें संभावित विद्युत प्रजनन परियोजनाओं का निर्माण कार्य आरंभ कर सकें तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं का कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख). आशा है कि आगामी दस वर्षों में (1970-71 से 1980-81 तक) भार संबंधी माँग 365 लाख किलोवाट तक बढ़ जाएगी। इस माँग की पूर्ति के लिए 485 लाख किलोवाट की प्रतिष्ठापित क्षमता आवश्यक होगी जबकि वर्तमान प्रतिष्ठानों और निर्माणाधीन या पहले से ही स्वीकृत परियोजनाओं से जो क्षमता उपलब्ध होगी, वह मात्र 270 लाख किलोवाट की होगी। इसलिए 215 लाख किलोवाट की कमी रह जाएगी और कार्यान्वयन के लिए जितनी विद्युतजनन क्षमता की मंजूरी पहले से दी जा चुकी है, उसके अतिरिक्त 215 लाख किलोवाट तक की अतिरिक्त विद्युतजनन क्षमता आवश्यक है।

चूँकि 215 लाख किलोवाट की अनुमानित कमी पूरी करने के लिए आगामी दस वर्षों में जो प्रतिष्ठापन कार्य आवश्यक होंगे, उनके लिए दस वर्षों की एक योजना तैयार की गई है जिसमें कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित स्कीमें सम्मिलित हैं। स्कीमों के संबंध में उनके जल, ताप और परमाणु जैसे अलग-अलग रूप में सीमा-रेखा का निर्धारण पहले ही कर दिया गया है।

इस बात का विचार करते हुए कि आर्थिक विकास की उपलब्धि अभी तक जिस गति से की गई है, उससे अधिक तेज गति वाली योजना तैयार की जा रही है, विद्युत की माँग में होने वाली वृद्धि की पूर्ति के लिए अतिरिक्त रूप में थोड़ी और गुंजाइश की व्यवस्था कर दी गई है। अगर ये अनुमानित और संभावित अतिरिक्त माँगे नहीं की जातीं, तो योजना की लगभग 35 लाख किलोवाट की अतिरिक्त क्षमता से आगामी दशक के प्रथम वर्ष में उत्पन्न कुछ माँगों की पूर्ति करने में सहायता मिलेगी।

(ग) राज्यों द्वारा अंतिम परियोजना प्रस्तावों के तैयार किए जाने के बाद योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर केन्द्र और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विचार-विमर्श किया जाना होगा। निर्माणाधीन परियोजनाओं के शीघ्र पूर्ण होने के संबंध में, सरकार प्रगति पर अपना ध्यान लगातार रख रही है और समय-समय पर उत्पन्न गत्यावरोधों को दूर करने के लिए राज्यों को सहायता दे रही है। इस संबंध में विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों और संघीय राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक अध्यक्षों को भी लिखा गया है।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : वर्तमान और स्वीकृत क्षमता में भारी अन्तर—लगभग दुगना को ध्यान में रखते हुए, जिसे आगामी दस वर्षों में पूरा किया जाना है, देश में सभी घोषित प्रजनन योजनाओं को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व क्या सरकार सँभालेगी और यदि नहीं तो उनकी क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य ने एक बहुत अच्छी बात उठाई है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ हमारी वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 165 लाख मेगावाट है। यह बहुत कम है। हम आगामी चार वर्षों में इसे बढ़ाकर 520 करने के लिये प्रयत्नशील हैं। यदि इतनी

अधिक बिजली पैदा करनी है, तो अर्थ-व्यवस्था और बिजली की कम दर के हित में यह महत्व-पूर्ण है कि इस समूचे विद्युत प्रजनन के निर्देशन के लिए एक केन्द्रीय संगठन हो। शेष संसार में ऐसा ही किया जाता है। हम भी ऐसा ही करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन विद्युत संवर्ती सूची का विषय है और इसलिए हमें राज्यों को अपने साथ लेना होता है। इसलिए विद्युत प्रजनन के लिए एकल प्राधिकार के इस प्रश्न पर विचार करने के लिए हम शीघ्र ही एक समिति नियुक्त करने वाले हैं। वितरण और पारेषण के प्रश्न इसे नहीं सौंपे जायेंगे क्योंकि वितरण संबंधित राज्यों द्वारा किया जाता है।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या कमी को पूरा करने के लिये परमाणु प्रजनन, जो पूर्ण रूप से केन्द्र का उत्तरदायित्व है, प्रर्याप्त रूप में बढ़ाया गया है तथा क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित अतिरिक्त परमाणु बिजली घर स्थापित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

डा० के० एल राव : इस समय परमाणु ऊर्जा बम्बई के निकट तारापुर में तैयार की जाती है, जो लगभग 40 मेगावाट है। आगामी दस वर्षों में हम इसे बढ़ाकर 5,000 मेगावाट करना चाहते हैं। विभिन्न कदमों पर विचार किया जा रहा है और मुझे आशा है कि हम योजना के अनुसार प्रजनन कर सकेंगे। दो अन्य परमाणु बिजलीघरों में से एक राणा प्रताप सागर में है, 400 मेगावाट का; दूसरा मद्रास के निकट कलपक्कम में है, 400 मेगावाट का। हमें आशा है कि राणा प्रताप सागर में आगामी वर्ष अर्थात् 1972 में उत्पादन शुरू हो जायेगा तथा दूसरे में उसके एक वर्ष बाद। दुर्भाग्य से कलपक्कम में कुछ कमी है और यह चौथी योजना में नहीं आ सकेगा। वह पाँचवीं योजना के पूर्वोत्तर भाग में आयेगा।

श्री विश्व नारायण शास्त्री : क्या सम्पूर्ण देश में अधिष्ठापित क्षमता और अपेक्षित क्षमता के बीच अन्तर समान है और क्या इस अन्तर को, जहाँ वह अधिक है, मिटाने के लिए उनका विचार और अधिक क्षमता अधिष्ठापित करने का है ?

डा० के० एल० राव : उत्तरी क्षेत्र में कश्मीर, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश और दक्षिण में आन्ध्र में बिजली की अत्यधिक कमी है। हमें बिजली की कमी के बारे में वास्तव में चिन्ता है। उत्तरी क्षेत्र में स्थिति उस समय और अधिक जटिल हो जाती है जबकि भाखड़ा जलाशय तथा रिहन्द जलाशय भर नहीं पा रहे हैं। हम ऐसी आशा कर रहे हैं कि आगामी थोड़े वर्षों में विभिन्न ग्रिडों को जोड़कर मध्य प्रदेश तथा अन्य क्षेत्रों से और अधिक बिजली प्राप्त करना संभव होगा और यह कमी यथासंभव दूर हो जायेगी। किन्तु अगले दो या तीन वर्ष तक यह कमी चलती रहेगी और केवल 1974-75 के पश्चात्, वह भी यदि हम अपनी आयोजित परियोजनाएँ आरम्भ करें तो, शायद यह कमी दूर हो सकेगी। कमी सारे देश में एक समान नहीं है।

SHRI SARJOO PANDEY : The hon. Minister has adimtted that there is acute shortage of power in U. P. and there is still a power crisis due to which farmers in particular are facing great difficulties. Keeping this fact in view, it was proposed to set up an Atomic Power Station in U. P. I want to know the decision taken by the Government in this regard as also the time by which it would be implemented ?

डा० के० एल० राव : यह सच है कि देश में बिजली की सबसे अधिक कमी उत्तर प्रदेश में है। हमने इस कमी को यथाशीघ्र दूर करने के लिये कई परियोजनाएँ आरम्भ करने की योजना बनाई हैं। केवल आण्विक बिजलीघर ही इस कमी को पूरा नहीं कर पायेगा। इसके लिये कई अन्य परियोजनाएँ जिनमें टिहरी बाँध शामिल है, आरम्भ करनी पड़ेंगी। जहाँ तक आण्विक बिजलीघर का संबंध है, ऊर्जा शक्ति विभाग ने विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया है और नरोरा के संबंध में गहन विचार हो रहा है। चूँकि यह भूकम्पीय पेटी में स्थित है अतः वे इसके डिजायन के बारे में चिन्तित हैं। आशा है कि आगामी कुछ महीनों में हम इसे अन्तिम रूप दे सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए।

SHRI G. S. MISHRA : I want to know from the hon. Minister the reasons for not constructing big power stations at or near the coal pitheads particularly in Madhya Pradesh when there is so acute a shortage of power in the country; secondly, why a power station has been set up at a place like Badarpur which is far from the coal pithead causing trouble in the transportation of coal ?

डा० के० एल० राव : बिजलीघर कई बातों को ध्यान में रख कर स्थापित किये जाते हैं। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भार केन्द्र (लोड सेंटर)। जब कभी भार होता है, बिजलीघर का उसके निकट होना आवश्यक है। वहाँ पानी और कोयले का होना भी जरूरी है। प्रश्न कोयले की ढुलाई का नहीं है। हमने कई परियोजनाएँ पहले आरम्भ नहीं कीं इस कारण कमी है। अब हम विभिन्न परियोजनाएँ आरम्भ कर रहे हैं, चाहे वे कोयला मुहानों के निकट स्थित हों अथवा अन्यत्र, बिजलीघर बनाने में उतने ही वर्ष लगते हैं। इसलिये ज्यादा बल इस प्रश्न पर नहीं है कि बिजलीघर कहाँ बना है, बल्कि प्रश्न है काम आरम्भ करने और उत्साहपूर्वक उसे करने का।

बिलेट और अपरीक्षित रेल की पटरियों की कमी के कारण केरल में कारखानों का बन्द हो जाना

*1239. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में कृषि उपकरणों के उत्पादन के लिए बिलेट और अपरीक्षित रेल की पटरियों का उपयोग करने वाले अनेक कारखाने कच्चे माल के उपलब्ध न होने के कारण बन्द कर दिये गये हैं; और

(ख) केरल में इन कारखानों की बिलेट और अपरीक्षित रेल की पटरियों की अनुमानित कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी है और उनको गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार कितना आबंटन किया गया ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) केरल में इस प्रकार के किसी भी एकक के बिल्कुल बन्द हो जाने की कोई जानकारी सरकार को नहीं है।

(ख) राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार एककों को पूरी क्षमता पर कार्य करने के लिए प्रतिवर्ष 51,300 मी० टन कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी। लघु उद्योग एककों को किये गये आबंटन का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस प्रकार के एककों को ये आबंटन संयुक्त संयन समिति द्वारा सीधे ही किए जाते हैं फिर भी अक्तूबर, 1970 से मार्च, 1971 की अवधि में केरल राज्य के एक एकक जो तकनीकी विकास महानिदेशालय की कृषि उपकरण बनाने वाली सूची में दर्ज मात्र एक एकक है, को 3·75 मी० टन द्वितीय श्रेणी के रेल का आबंटन किया गया था।

श्री ए० के० गोपालन : मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि केरल की वास्तविक आवश्यकता तो 50,000 टन है किन्तु सप्लाई उससे कम है। क्या पूर्ति तथा आवश्यकता के बीच का अन्तर कम किया जायेगा ताकि कोई एकक बन्द न हो अथवा जबरी छुट्टी न हो ?

श्री घनश्याम ओझा : यह सच है कि माँग के अनुसार पूर्ति नहीं है और, जैसा कि उन्होंने ठीक ही कहा है, इसके परिणामस्वरूप कुछ एककों में कामबन्दी हो जाती है। हम इस बात के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि सभी एककों को पर्याप्त सप्लाई की जाये। किन्तु जैसा कि माननीय सदस्य को अच्छी तरह मालूम है कि इस्पात की सप्लाई कम है, हम यथासंभव माँग पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, विशेषत: लघु उद्योगों की।

श्री ए० के० गोपालन : गत वर्ष बिलेटों तथा अपरीक्षित रेलों के न मिलने के कारण कितने कारखानों में जबरी छुट्टी दी गई थी ? क्या वह इस बात के लिए प्रयत्न करेंगे कि इस वर्ष ऐसा न होने पाये ?

श्री घनश्याम ओझा : अक्तूबर, 1970 तक बिलेट तथा दूसरी श्रेणी के रेल तकनीकी विकास महानिदेशालय के माध्यम से वितरित नहीं किए गये थे। अब हमने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया है। हम इस बात के लिए हर प्रयत्न कर रहे हैं कि औद्योगिक एककों को, विशेषकर संगठित क्षेत्र में, नुकसान न होने पाये। हम माननीय सदस्य की चिन्ता से सहमत हैं और अपनी क्षमता के अनुसार हम जो कुछ भी कर सकते हैं, वह कर रहे हैं।

श्री वयालार रवि : मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का पता नहीं कि कुछ एकक बन्द हो गये हैं। क्या उन्हें पता नहीं कि इस विशेष वर्ग के इस्पात के न मिलने के कारण उद्योगों को हुई कठिनाइयों के बारे में प्रधान मंत्री, औद्योगिक विकास मंत्री और इस्पात मंत्री को एक ज्ञापन दिया गया है ? क्या यह सच नहीं है कि इस्पात बेलन मिलों के दबाब के कारण जान-बूझ कर यह कमी पैदा की गई है जिस कारण से उद्योगों को हानि हो रही है ? इस बात के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं कि इन एककों की, विशेषत: लघु क्षेत्र में, आवश्यकता पूरी की जाये ?

श्री घनश्याम ओझा : हम इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि लघु उद्योगों की आवश्यकताएँ पूरी की जायें। किन्तु, जैसाकि मैंने बताया है, यह मामला केवल अक्तूबर, 1970 से हमारे हाथ में आया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लघु उद्योगों की आवश्यकताएँ पूरी तरह पूरी की जायें।

मोटर कारों की माँग तथा उत्पादन

*1240. **श्री एच० के० एल० भगत :**
†**श्री एम० सत्यनारायण राव :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पैसेंजर कारों की कुल वार्षिक माँग कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में वर्षवार मोटर कारों की उत्पादन क्षमता कितनी थी तथा कितनी कारों का निर्माण हुआ; और

(ग) उत्पादन में यदि कोई कमी हुई है तो उसके कारण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक़ चौधरी) : (क) योजना आयोग द्वारा मशीनी उद्योगों के लिए गठित योजना दल (प्लानिंग ग्रुप) ने 1973-74 तक प्रति वर्ष 75,000 यात्री कारों की माँग होने का अनुमान लगाया है ।

(ख) कार उत्पादकों ने समय समय पर अपनी उत्पादन क्षमता के अलग-अलग आँकड़े दिए हैं । 1968 में, 1969 और 1970 में हुआ कुल वास्तविक उत्पादन क्रमशः 37,308, 35,265 और 35,829 कारें रहा है ।

(ग) 1968 के मुकाबिले 1969 और 1970 में उत्पादन में आई थोड़ी-सी कमी का कारण इनमें से एक कारखाने का इन वर्षों में आर्थिक और श्रमिक समस्याओं के कारण कुछ समय बन्द पड़ा रहना रहा है ।

श्री एम० सत्यनारायण राव : उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि माँग तथा पूर्ति के बीच भारी अन्तर है । जबकि माँग प्रति वर्ष 75,000 है, पूर्ति केवल 35,000 अथवा 37,000 है । इस बात को देखते हुए क्या कारों के निर्माण के लिये सरकारी क्षेत्र में कोई एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है; और यदि हाँ, तो वह कब तक स्थापित हो जायेगा ?

श्री मोइनुल हक़ चौधरी : जी, हाँ । कारों के निर्माण के लिये सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

श्री पीलू मोदी : किसके द्वारा ?

श्री मोइनुल हक़ चौधरी : सरकार द्वारा । इस निर्णय के किये जाने के पश्चात् हम कुछ कम्पनियों से बातचीत कर रहे हैं । उन्होंने अपने नमूने पेश किए हैं जिन्हें देखा जा रहा है और इन ब्यौरों को अन्तिम रूप देते ही हम सरकारी क्षेत्र में कारों का निर्माण निश्चित रूप से आरम्भ कर देंगे ।

श्री एम० सत्यनारायण राव : क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि हमारे देश में

बनाई जा रही कारों की किस्म कितनी घटिया है; और यदि हाँ, तो उनकी किस्म सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री मोइनुल हक़ चौधरी : सरकार को पता है कि देश में घटिया किस्म की कारें बन रही हैं और हमने इन कम्पनियों को उनकी किस्म सुधारने की बार-बार सलाह दी है। हमने उन्हें निदेश भी जारी किये हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उन पर कोई असर ही नहीं पड़ता।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इस समय यात्री कारों का निर्माण करने वाले कारखानों की कुल क्षमता कितनी है और ये कम्पनियाँ कारों के निर्माण के लिये अधिष्ठापित क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग क्यों नहीं कर पा रही हैं ?

श्री मोइनुल हक़ चौधरी : हिन्दुस्तान मोटर्स की अधिष्ठापित क्षमता 24,000 है और 1970 में उसने 23325 कारें बनाईं। प्रीमियर ओटोमोबाइल की अधिष्ठापित क्षमता 12,000 है, और 1970 में उसने 12,054 कारें निर्मित कीं। जहाँ तक स्टैंडर्ड का संबंध है उसकी अधिष्ठापित क्षमता 3,000 है और उसने 1970 में 1,406 कारें तैयार कीं। जहाँ तक पहले दो अर्थात् हिन्दुस्तान मोटर्स और प्रीमियर ओटोमोबाइल का संबंध है, वे अपनी क्षमता का लगभग पूरा उपयोग कर रहे हैं किन्तु जहाँ तक स्टैंडर्ड का ताल्लुक है, उसमें पिछले दो वर्षों के दौरान श्रम संबंधी झगड़े रहे तथा वह काफी लम्बे समय तक बन्द रहा और इसीलिये उसका काम सन्तोषजनक नहीं रहा है।

श्री बी० एस० मूर्ति : जब स्थिति ऐसी है कि कार-निर्माताओं पर चेतावनियों तथा निदेशों का भी कोई असर नहीं हो रहा है, तो इसका उपचार क्या है क्योंकि निर्माताओं को करोड़ों रुपये दिये जा रहे हैं ?

श्री मोइनुल हक़ चौधरी : ये कारखाने जो कारें बनाते हैं उनकी किस्म को ध्यान में रखकर सरकार उनकी कीमत निर्धारित करती है। वे उच्चतम न्यायालय में गये थे और उच्चतम न्यायालय ने एक आयोग नियुक्त करने का सुझाव दिया है। आयोग ने अन्तरिम प्रतिवेदन दिया था जिसे उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा गया। हमारे प्रतिकूल विचारों के बावजूद, उच्चतम न्यायालय ने उन्हें अन्तरिम मूल्य वृद्धि मंजूर कर दी। यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष अब भी न्याय निर्णयाधीन है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस पर निर्णय दिये जाने के बाद, जिसके अगले महीने में प्राप्त होने की आशा है, हम इस मामले पर नये सिरे से विचार करेंगे।

श्री के० लकप्पा : माननीय मंत्री जी ने इस सरकार की कुछ नीतियाँ स्पष्ट नहीं की हैं। हमारी सरकार कारों के निर्माण के संबंध में निरन्तर बिड़ला-बन्धुओं के इशारे पर चलती रही है। ये दोषपूर्ण कारें हैं। यात्रियों को छाता तक ले जाना पड़ता है क्योंकि वे चूती हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस बीमारी का कोई नया हल निकालेगी बजाये इसके कि वह यह कहती रहे कि निर्माताओं पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। क्या सरकार कार-निर्माण-कार्य बिड़लाओं से अपने हाथ में लेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि देश में बढ़िया किस्म की कारें बनें और यात्री खुश रहें ?

श्री मोइनुल हक़ चौधरी : सरकार इन कम्पनियों को जिनकी कारों की किस्म वास्तव में खराब है, जिनकी तकनीकी जानकारी पुरानी है और किस्म घटिया है, अपने हाथ में नहीं लेना चाहती । इस समस्या को हल करने के लिये हम स्वतः अपनी परियोजना स्थापित करने का विचार कर रहे हैं जिस पर सरकार खुद अपना धन लगायेगी । मैं चाहता हूँ कि इस देश में अच्छी किस्म की कारें बनें ।

श्री पीलू मोदी : "खुद अपना धन" से मंत्री जी का क्या मतलब है ?

श्री मोइनुल हक़ चौधरी : इस कारण हमारी इस समय फियट एस० पी० ए० इटली, रैंजियो नेशनल, डेस यूजिने रेनाल्ट, निसन मोटर कम्पनी और फोर्ड प्रोडक्ट्स कम्पनी के साथ बातचीत चल रही है । उन्होंने अपने नमूने पेश किये हैं, जिन्हें देखा जा रहा है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : भारतीय अथवा विदेशी ?

श्री मोइनुल हक़ चौधरी : अच्छी कारों की तकनीकी विदेशी जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त किया जायेगा । इनका प्रतिरक्षा मंत्रालय के मोटर गाड़ी तथा विकास संस्थान में परीक्षण किया जा रहा है । जब बातचीत पूरी हो जायेगी तब इनमें से एक पार्टी कारखाना स्थापित करेगी ।

श्री जी० विश्वनाथन : हम दस वर्षों से अधिक समय से सरकार से सुन रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित किया जायेगा । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या वह सभा को आश्वासन देंगे कि यह कारखाना एक वर्ष में स्थापित हो जायेगा ।

श्री पीलू मोदी : हम यह आश्वासन चाहते हैं कि क्या यह आगामी दस वर्षों में स्थापित हो जायेगा ?

श्री मोइनुल हक़ चौधरी : वास्तव में सरकार ने गत वर्ष निर्णय किया था, हो सकता है दस वर्षों से बातचीत चल रही हो । निर्णय तो गत वर्ष ही किया गया था ।

श्री जी० विश्वनाथन : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । यह बताया जाये कि इसमें दस वर्ष लगेंगे या पाँच वर्ष ?

श्री मोइनुल हक़ चौधरी : मैं निश्चित तिथि नहीं बता सकता क्योंकि परीक्षण किये गये हैं और इन कारों के बारे में इस महीने के अन्त तक रिपोर्ट के मिलने की आशा है । उसके बाद हमें निर्णय करना होगा कि किस कार का निर्माण करना है । तत्पश्चात् उस कम्पनी के साथ बातचीत की जायेगी । उस बातचीत में दो महीने, चार महीने या छः महीने भी लग सकते हैं । देश में कारों की कमी के कारण मैं खराब पेशकश को स्वीकार नहीं कर सकता । मुझे देश के हितों का ध्यान रखना है ।

फरक्का बाँध पुल पर रेलवे लाइनें

*1241. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फरक्का बाँध बहुत शीघ्र खोला जाने वाला है क्या उनके मंत्रालय की पुल पर रेलवे लाइनें बिछाने की कोई योजना है ताकि पुल पर रेलगाड़ियाँ चल सकें; और

(ख) यदि हाँ, तो कार्य कब आरम्भ किया जायेगा और उसकी लागत कितनी होगी ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) (क) और (ख). फरक्का बराज के लिए रेलवे पुल की व्यवस्था कर दी गयी है। आशा है, यह पुल और दोनों ओर का मार्ग परिवर्तित रेल-पथ 1 जनवरी, 1972 तक यातायात के लिए खोल दिया जायेगा। रेलवे की समूची योजना पर लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है।

श्री बी० के० दास चौधरी : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर घोषित कार्यक्रम के अनुसार इस योजना पर कार्य आरंभ हो जायेगा और क्या मंत्रालय ने इस बारे में कोई अनुमान लगाया है कि इससे सियालदा और न्यू बोंगियागाँव के बीच की कितनी दूरी कम हो जायेगी ? क्या इस मार्ग पर एक वातानुकूलित एक्सप्रैस सेवा चालू करेंगे ?

श्री हनुमन्तैया : इसके लिए मुझे पूर्वसूचना चाहिये। दूसरा उनका एक सुझाव है उस पर विचार किया जायेगा ।

श्री डी० बसुमतारी : माननीय मंत्री ने कहा है कि यह 1 जनवरी, 1972 से खुल जायेगा। क्या असम मेल को बैरेज से बोंगियागाँव तक चलायेंगे ?

श्री हनुमन्तैया : मैं इस समय इनका उत्तर नहीं दे सकता।

टायरों के मूल्यों में वृद्धि की माँग

*1243. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर उत्पादकों ने टायरों के मूल्यों में और अधिक वृद्धि करने के संबंध में सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त माँग का आधार क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक़ चौधरी) : (क) और (ख) : जी, हाँ। उत्पादन व्यय और लागत व्यय में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप टायरों के मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति माँगी है।

(ग) टायर उद्योग को विभिन्न कारणों से कीमत में हुई वृद्धि का औचित्य सहित विश्लेषणात्मक आँकड़ों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा गया है।

SHRI K. C. PANDEY : Keeping in view the importance of tyres and shortage thereof, may I know the steps that are being taken to bring down the prices of tyres; and whether action will be taken to nationalise the tyre industry or bring it under some control ?

श्री मोइनुल हक़ चौधरी : जहाँ तक नियंत्रण का संबंध है राज्य सरकार ऐसा कर सकती है। उसे ऐसा करने का अधिकार है।

SHRI K. C. PANDEY : Keeping in view the rising prices of tyres, may I know whether the tyre industry, which is under foreign companies, will be brought under control ?

श्री मोइनुल हक़ चौधरी : इस समय हम इन कम्पनियों को नियंत्रण में लेने पर विचार नहीं कर रहे हैं। परन्तु टायरों की कमी को ध्यान में रखते हुए हमने वर्तमान उत्पादकों को विस्तार करने की अनुमति दे दी है और नये लाइसेंस भी दिये हैं।

SHRI RAM SURAT PRASAD : The manufacturers of tyres are overcharging in case of tyres of jeeps, rikshaws, cycles, motor cars and trucks. What steps are being taken by Government to check this ?

श्री मोइनुल हक़ चौधरी : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यदि कोई राज्य सरकार यह समझती है कि चोर बाजारी हो रही है तो वह अत्यावश्यक सप्लाई अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रण लागू कर सकती है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सच है कि टायर निर्माण कार्य में विस्तार करने में अनुमति देने के मामले में देशी कम्पनियों की उपेक्षा की जाती है और विदेशी कम्पनियों जैसे गुडइयर, फायरस्टोन और डनलप को लाभ पहुँचाया जाता है; यदि हाँ, तो इस भेदभाव को समाप्त करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और यदि नहीं, तो विदेशी टायर कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण क्यों न कर लिया जाये ?

श्री मोइनुल हक़ चौधरी : जिस किसी ने भी विस्तार के लिए अनुमति माँगी उसे अनुमति दे दी गई है। इस मामले में भेदभाव का प्रश्न ही नहीं है। यदि ऐसी कोई शिकायत है तो मैं उस पर विचार करूँगा।

SHRI RAM SAHAI PANDEY : Have Government received any representation from the small scale tyre manufacturers. I am specially referring to cycle tyre manufacturers—that they are facing stiff competition from big companies after the levy of excise duty on tyres since their cost of production has gone up ?

श्री मोइनुल हक़ चौधरी : मुझे नहीं मालूम कि क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। मैं पता करूँगा। इसके लिए मुझे सूचना चाहिए।

SHRI SHASHI BHUSHAN : It is the policy of Government not to sanction expansion of monopoly concerns. Is the hon. Minister aware that the monopolist tyre manufacturers

referred to by Shri S. M. Banerjee are responsible for increase in prices of tyres and that they are not paying the full price to the growers for the indigenous rubber and that they are allowed to import rubber from abroad ? What steps are proposed to be taken to exercise control on the big foreign rubber companies ? What measures are being taken by Government to curb monopolistic tendencies and to give incentive to small industrial firms ?

श्री मोइनुल हक़ चौधरी : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमने 9 नई टायर कम्पनियों को आशय-पत्र जारी किये हैं। इसके अतिरिक्त विदेश साम्य पूँजी वाली वर्तमान कम्पनियों का एकाधिकार समाप्त करने के लिए दो और कम्पनियों को हाल में आशय-पत्र दिये गये हैं।

नेफा क्षेत्र में रेलवे लाइनें

*1244. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नेफा क्षेत्र में रेल की लाइनों का और विस्तार करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और ये विस्तार कार्य कब तक किया जायेगा;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को पता है कि नेफा क्षेत्र में संचार सुविधाओं के कम होने के कारण वहाँ के लोगों के सामने गम्भीर कठिनाइयाँ हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में वहाँ सर्वेक्षण कार्य आरम्भ करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह अपना-अपना विचार है।

(घ) जी, नहीं।

श्री एन० टोम्बी सिंह : ऐसा प्रतीत होता है कि नेफा क्षेत्र न केवल भौगोलिक रूप में दूर है अपितु मंत्री महोदय की नजर से भी दूर है।

चीन के आक्रमण के बाद गत कुछ वर्षों में बने इसके महत्व तथा इस क्षेत्र में राजनैतिक और अन्य घटनाओं को ध्यान में रखते हुए एक रेलवे लाइन बिछाने के उद्देश्य से एक पूर्ण और व्यापक सर्वेक्षण करने में भारत सरकार के लिए क्या कठिनाइयाँ हैं ताकि वहाँ पर विद्यमान परशुराम कुण्ड जैसे तीर्थ स्थानों और पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं अपितु घाटी में अनेक अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को ध्यान में रखते हुए रेलवे की सहायता से इस क्षेत्र का शीघ्रता से विकास किया जा सके ?

श्री हनुमन्तैया : इस क्षेत्र की उपेक्षा नहीं की गई है। हमने 1961 और 1966 के बीच 8 करोड़ रुपये की लागत से सामरिक महत्व की 324 किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण किया है। इस विनियोजन से भी पर्याप्त कार्य नहीं हो सका है। अतः माननीय सदस्य को यह देखना है कि माल-यातायात और यात्री-यातायात को ध्यान में रखते हुए एक नई लाइन बिछाना कहाँ तक आवश्यक है।

श्री एन० टोम्बी सिंह : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में कहा गया है कि यह अपना-अपना विचार है। क्या भारत सरकार का यह विचार है कि इस क्षेत्र में संचार की कमी के कारण लोगों को कठिनाई नहीं हो रही है ?

अध्यक्ष महोदय : वे उत्तर नहीं देना चाहते इसीलिए उन्होंने कहा कि यह अपना-अपना विचार है।

श्री एन० टोम्बी सिंह : मैं मंत्री महोदय का विचार जानना चाहता हूँ।

श्री हनुमन्तैया : इस क्षेत्र के माननीय सदस्यों ने इस क्षेत्र तथा अन्य स्थानों का दौरा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। वहाँ का दौरा करने के बाद मैं कोई विचार बना सकूँगा।

श्री पी० आर० दास मुंशी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पूर्वोत्तर सीमान्त एजेन्सी का सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्व है, रेलवे लाइन के विस्तार के लिए रेलवे मंत्री को अनेक अभ्यावेदन दिये गये हैं तथा बंगला देश की स्थिति और नेफा सीमा पर तनाव को देखते हुए क्या मंत्री जी रेलवे लाइन के विस्तार के लिए विशेष कदम उठायेंगे ? पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के साथ सरकार द्वारा हमेशा उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता रहा है। उन्हें सुविधायें नहीं मिलती हैं। जब भी वे कुछ माँगते हैं, तो सरकार 'विचाराधीन है' आदि कह देती है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षिप्त और विषय संबंधी प्रश्न ही पूछें। जितना मैं आपको रोकता हूँ उतना ही आप क्रुद्ध होते हैं। इसमें बहुत सा समय निकल जाता है। इसका परिणाम यह है कि हम अब कम प्रश्न ले पा रहे हैं।

श्री हनुमन्तैया : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार इस क्षेत्र के साथ न तो सौतेली माँ जैसा व्यवहार कर रही है और न ही कर सकती है। यदि वे सामरिक महत्व की बात करते हैं, तो प्रतिरक्षा मंत्रालय की ओर से प्रस्ताव आना चाहिए। इसलिए जब भी रक्षा मंत्रालय हमसे इस पर विचार करने के लिए कहेगा, हम अवश्य विचार करेंगे।

Setting up of Tractor Factory in Bihar with Japanese Collaboration

*1245. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether the Bihar State Agro-Industries Corporation has formulated a scheme to set up a tractor factory in collaboration with Japan;

(b) if so, the terms and conditions of the collaboration;

(c) whether Government have given their approval in this regard; and

(d) if so, the time by which the said factory would be set up ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) : (a) An application for a licence for setting up an undertaking for the manufacture of tractors has been received from the Bihar State Agro-Industries Development Corporation. It is stated in the application that the Corporation is negotiating for foreign collaboration with Japan and other countries.

(b) & (c). The terms and conditions of collaboration have not yet been submitted by the Bihar State Agro-Industries Development Corporation.

(d) Does not arise.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : May I know whether it is a fact that the demand for tractors has sufficiently increased in Bihar during the past years and the supply is not according to the requirement; and if so, the action Government propose to take to make up this shortage ?

SHRI SIDDHESHWAR PRASAD : It is true that the demand of tractors has increased in Bihar as also in other parts of the country. That is why we are importing tractors from other countries. In addition, we are trying to see that the installed capacity of the companies engaged in the manufacture of tractors is increased.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : May I know whether the Government have had any correspondence with the Bihar State Agro-Industries Development Corporation with regard to setting up of a tractor factory in the state and if so, the details thereof ? The hon. Minister has stated in his reply that the Corporation is negotiating with other countries also. I want to know the names of such countries.

SHRI SIDDHESHWAR PRASAD : The application which the Bihar State Agro-Industries Development Corporation submitted to the Government specifically mentioned the name of Japan. So far as other countries are concerned, they gave indication of a possibility only. So we would not be in a position to say anything definite in this regard till we received a specific information from the Bihar State Agro-Industries Development Corporation in the matter. The Corporation has stated that the negotiations regarding the terms and conditions as also the basis of collaboration with Japan for setting up this industry have not yet reached the final stage. There is, therefore, no question to further examine the matter at this stage.

SHRI RAMSHEKHAR PRASAD SINGH : May I know whether any other party—other than the Bihar State Agro-Industries Development Corporation—has also applied to the Bihar Government for the manufacture of tractors; if not, whether Government is prepared to consider the applications of any other parties which may be willing to manufacture the tractors ?

SHRI SIDDHESHWAR PRASAD : The Government will take into consideration all applications which are received for the manufacture of tractors irrespective of the fact whether they are from the Bihar State or any other State.

SHRI BIBHUTI MISHRA : Bihar is the biggest agricultural state in India. *(Interruptions)* One who takes the delivery of a tractor at Ghaziabad has to spend an additional amount of four thousand rupees on its transport to its destination, i. e., Bihar. As there is a

great demand of tractors in the state, I want to know whether any proposal to set up a tractor factory in Bihar in the Public or Private sector is under consideration of the Government in order to meet this growing demand.

SHRI SIDDHESHWAR PRASAD : I have just now stated that if any body wants to set up a factory in Bihar to manufacture tractors, we shall be glad to consider his application.

श्री चपल भट्टाचार्य : क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि ट्रैक्टर के निर्माण से उनका मतलब केवल चार पहिये वाले ट्रैक्टरों से है अथवा हाथ से चलाने वाले हलों (टिलरों) से तथा शक्ति चालित हलों से है ? दूसरी बात, वे पार्टियाँ तथा जापान आदि, कौन देश हैं जिनके साथ बातचीत चल रही है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मुख्य प्रश्न का संबंध केवल ट्रैक्टरों से है न कि शक्ति चालित टिलरों से । यदि शक्ति चालित टिलरों के संबंध में कोई आवेदन-पत्र हो, तो उस पर भी विचार किया जायेगा ।

पूर्व रेलवे में भोजन-यानों से प्राप्त होने वाली आय

1246. **श्री रेणु पद दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 के दौरान पूर्व रेलवे में भोजन-यानों से कुल कितनी आय प्राप्त हुई;

(ख) क्या इस रेलवे में भोजन-यान घाटे पर चल रहे हैं;

(ग) यदि हाँ, तो वर्ष 1970-71 के दौरान कुल कितनी हानि हुई; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो वर्ष 1970-71 के दौरान हुए लाभ की कुल राशि कितनी है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) 15,98,067 रुपये ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) अनुमानतः 41,642 रुपये ।

श्री रेणु पद दास : क्या यह सच नहीं है कि रेलवे भोजन सेवा कि कर्मचारियों के हितों का हनन करके भोजन-यान सेवा चला रहा है और यात्रियों को घटिया दर्जे का भोजन दिया जाता है ? उपरोक्त बात को देखते हुए, क्या मंत्री जी पूर्व रेलवे में और आमतौर पर भारतीय रेलवे में भोजन सेवा में नियुक्त कर्मचारियों की सेवा-शर्तों का ब्यौरा देंगे जिसमें विशेषत: उनके वेतन-मानों तथा अन्य भत्तों अथवा कमीशनों का यदि कोई मिलते हों, उल्लेख हो ?

श्री हनुमन्तैया : यह एक नया प्रश्न है जो मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है इसलिए माननीय सदस्य इस प्रश्न की अलग सूचना दें ।

श्री रेणु पद दास : क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूँ कि क्या भोजन सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को रेलवे का नियमित स्थायी कर्मचारियों के रूप में लिया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न भोजन-यानों से आय के संबंध में था, क्या भोजन-यान घाटे पर चल रहे हैं, और यदि हाँ, तो कुल कितनी हानि हुई है आदि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या इस बात की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाया गया है कि संसद सदस्यों के लिए संसद भवन में रेलवे की जो भोजन व्यवस्था है उसमें अच्छा भोजन मिलता है...

अध्यक्ष महोदय : क्या संसद भवन में भोजन-यान है ?

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं उसी बात पर आ रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं यह कह रहा हूँ कि हमें संसद भवन में जो भोजन मिलता है उसकी तुलना में रेलवेके भोजन-यानों में कहीं अधिक घटिया किस्म का भोजन मिलता है । लोग हम से पूछते हैं कि यह भेद-भाव क्यों बरता जाता है । मैं उन से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह बाहर भी अच्छा भोजन दिलवाने की कोशिश करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे प्रश्नों को मत जोड़िये । मैं उनकी इस बात पर आप से सहमत नहीं हूँ । लेकिन रेलवे में भोजन-यानों का संसद भवन में डाइनिंग हाल (भोजन-कक्ष) से कोई संबंध नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सुनता रहूँगा और कहता रहूँगा कि इसका उससे संबंध नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यदि माननीय मंत्री जी यह कहें कि यह जानकारी देना लोक हित में नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर बहुत ज़िद मत पकड़िये । श्री समर गुह खड़े हो रहे हैं । क्या बाकी समय मैं इसी प्रश्न पर लगा दूँ या आगे भी चलें ? आज पाँच या छः प्रश्न कम लिए जा सके हैं । कल मैं ज्यादा सख्ती बरतूँगा ।

श्री समर गुह : राजधानी एक्सप्रैस को छोड़कर बाकी रेलों में दिये जाने वाले भोजन की किस्म के बारे में बहुत सी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, क्या रेलवे में "हानि-लाभ रहित" आधार पर भोजन की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री हनुमन्तैया : अब भी यह इसी आधार पर ही है। 16 लाख रुपये की आय तथा व्यय के लिए 41,000 रुपये का लाभ बहुत कम है। यदि यह यात्रियों को दिया जाना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

सतपुड़ा विद्युत संयंत्र को उत्तरी ग्रिड के साथ जोड़ना

*1247. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग दो वर्ष पूर्व सतपुड़ा विद्युत संयंत्र को उत्तरी ग्रिड के साथ जोड़ने के संबंध में निर्णय किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है तथा जोड़ने के कार्य को पूरा करने में कितना और समय लगने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). सतपुड़ा ताप विद्युत घर राजस्थान के साथ बुरवाहा, उज्जैन और गांधी सागर होकर 1967 में ही जोड़ दिया गया था। इसलिए कि राजस्थान सतपुड़ा से अपने हिस्से की पूरी विद्युत ले सके, तत्कालीन 152 के० वी० पारेषण लाइन में ही बुरवाहा से उज्जैन तक एक दूसरा परिपथ खींच दिया गया। यह लाइन फरवरी, 1970 में पूर्ण हो गई ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि दूसरी लाइन फरवरी, 1970 में जोड़ी गई थी। क्या यह विद्युत की कमी की स्थिति में राजस्थान को सतपुड़ा से पर्याप्त बिजली सप्लाई करने में समर्थ होगी ?

डा० के० एल० राव : वर्तमान व्यवस्था से राजस्थान के भाग का ध्यान रखा जायेगा। अन्य प्रश्न यह है कि कभी-कभी राजस्थान मध्य प्रदेश से अपने हिस्से से अधिक विद्युत लेता है। ऐसी स्थिति में कठिनाई उत्पन्न होती है। इस संबंध में हम कुछ अस्थायी उपाय करने पर विचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम भोपाल होते हुए इटारसी से राना प्रताप सागर तक एक और लाईन लगाने जा रहे हैं। यह 220 किलोवाट की होगी। इसके बन जाने पर सतपुड़ा स्टेशन से राजस्थान तक अधिक विद्युत ले जाने की व्यवस्था हो जायेगी।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

डा० के० एल० राव : इस पर $4\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये व्यय होगा। हम इसे यथाशीघ्र पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हैं। राना प्रताप सागर में एक आण्विक शक्ति संयन्त्र है। हम इस का उत्तरी भाग में प्रयोग करना चाहते हैं। इटारसी-भोपाल-राना प्रताप सागर लाइन के दो या तीन वर्षों में बन जाने की आशा है।

उद्योगों और कारखानों में उत्पादन की अधिकतम सीमा

*1248. **श्री विक्रम चन्द्र महाजन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे उद्योग तथा कारखाने कितने हैं जिनके उत्पादन की अधिकतम सीमा नियत की गई है अर्थात् वे उस मात्रा से अधिक उत्पादन नहीं कर सकते जितनी सरकार के आदेशानुसार अथवा उन्हें प्राप्त लाइसेंसों में निर्धारित की गई है; और

(ख) ऐसे उद्योग अथवा कारखाने कौन-कौन से हैं और उनकी उत्पादन क्षमता की अधिकतम सीमा-निर्धारित करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन पंजीकृत अथवा लाइसेंसीकृत सभी उद्योगों को यदि वे अपनी अधिष्ठापित क्षमता का पंजीकृत अथवा लाइसेंसीकृत सीमा से अधिक विस्तार करना चाहते हैं तो एक समान रूप से अधिनियम की धारा (1) (घ) के उपबन्धों के अनुसार औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। 1970 में घोषित संशोधित आयात नीति में सरकार ने इस प्रणाली को और उदार बना दिया है। अब 1 करोड़ रु० से कम विनियोजन करने वाले एककों को कुछ शर्तों के अधीन लाइसेंसिंग उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया है। उन उपक्रमों को जिनकी कुल अचल परिसम्पत्तियाँ 5 करोड़ रुपये से कम हैं कुछ शर्तों के अधीन अपने उत्पादन में 1 करोड़ रु० तक का विस्तार करने की अनुमति दी जाती है। सभी औद्योगिक एककों को जो उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन स्वीकृत उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं, निर्धारित नियम और प्रणाली के अनुसार औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा।

श्री विक्रम चन्द्र महाजन : यह सर्वविदित है कि हमारा देश बेरोज़गारी की गम्भीर समस्या का सामना कर रहा है। दूसरे हमारे देश में उत्पादन भी कम है। सरकार कुल क्षमता के 20 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करने की अनुमति नहीं देती। क्या सरकार यह नहीं चाहती कि लागत कम हो ? यदि उसी मशीनरी के द्वारा उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दी जाये तो उत्पादन लागत कम हो जायेगी। क्या आप इस प्रकार अपनी नीति में परिवर्तन करेंगे ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : यह एक अच्छा सुझाव है। ऐसे मामलों पर विचार करते समय हम इसे ध्यान में रखेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पैसेंजर कार के निर्माण के लिए मैसर्स अगरवाला को लाइसेंस दिया जाना

*1232. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स अगरवाला को पैसेंजर कार के निर्माण के लिए एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी है;

(ख) क्या उक्त परियोजना के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है;

(ग) यदि हाँ, तो लाइसेंस जारी करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस कारखाने की अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक़ चौधरी) : (क) तकनीकी विकास महानिदेशालय ने हिसार के श्री पी० सी० अग्रवाल को फरीदाबाद में यात्री कारों का उत्पादन करने के लिये एक नया एकक लगाने हेतु रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट देने के लिए एक आशय-पत्र जारी किया गया है ।

(ख) और (ग). इन मामलों में किसी लाइसेंस की न तो आवश्यकता ही है और न ही कोई लाइसेंस दिया गया है ।

(घ) 1,000 कारें प्रतिवर्ष ।

बिहार में दामोदर घाटी निगम के कोनार बाँध में पन-बिजलीघर का निर्माण

*1233. **डा० रानेन सेन** : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दामोदर घाटी निगम के कोनार बाँध पर एक नया पन-बिजलीघर बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह कार्य कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है और उस पर कितनी लागत आएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख). दामोदर घाटी निगम के कोनार बाँध में एक पम्प संचय विद्युत संयंत्र का प्रतिष्ठापन किया जा सकता है । पम्प

संचय विकास एक हाल ही की तकनीक है जिसे उन्नत देशों में अपनाया गया है ताकि फालतू आफ-पीक तापीय ऊर्जा का उपयोग निम्न तल पर बने जलाशय से उच्च तल पर बने जलाशय में पानी पम्प करने के लिए किया जा सके, जिससे 'पीकिंग पावर' अपेक्षतया कम लागत पर उत्पन्न की जा सके। कोनार बाँध पम्प संचय जल-विद्युत परियोजना की संभाव्यता निर्धारित करने के लिए अनुसंधान कार्य प्रगति कर रहा है। अनुसंधान के परिव्यय पर निर्भर करते हुए यह प्रस्ताव रखा गया है कि परियोजना को पांचवीं योजना के दौरान कार्यान्वयनार्थ हाथ में लिया जाए।

विदेशी कार निर्माण कम्पनियों द्वारा भेजे गये कार के नमूनों का परीक्षण तथा प्रदर्शन

*1235. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी कार परियोजना को अन्तिम रूप देने हेतु कुछ विदेशी कार निर्माण कंपनियों द्वारा निर्मित कारों के नमूने परीक्षण तथा प्रदर्शन के लिए भारत पहुँच गये हैं;

(ख) क्या भारतीय इंजीनियरों द्वारा उक्त नमूनों की जाँच की जा रही है; और यदि हाँ, तो किन स्थानों पर, और

(ग) क्या इन नमूनों की जाँच के पश्चात छोटी कार परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए कोई समय निर्धारित किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक़ चौधरी) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ। आद्यरूपों की कार्य-क्षमता का नियन्त्रित परीक्षण रक्षा मंत्रालय के व्हीकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, अहमदनगर में किया जाता था। उन्हें देश के विभिन्न भागों की विभिन्न प्रकार की सड़कों और कई तरह की जलवायु में चलाया गया है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के इन्जीनियरों का इन परीक्षणों से घनिष्ट संबंध है।

(ग) इस समय उन चार विदेशी फर्मों के साथ जिन्होंने सहयोग के प्रस्ताव भेजे हैं उपयुक्त नमूने और विदेशी सहयोगी का चयन करने के विचार से विस्तार में पत्र-व्यवहार किया जा रहा है। यद्यपि परियोजना को शीघ्र ही लागू करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है फिर भी अभी ठीक से वह तारीख बता सकना कठिन है कि जब से इसे अन्तिम रूप दिया जा सकेगा।

ट्रेको केबल लिमिटेड, त्रिपुनिथुरा, केरल को एल्यूमिनियम का आबंटन

*1237. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रेको केबल लिमिटेड, त्रिपुनिथुरा (केरल) ने तकनीकी विकास महानिदेशालय से अनुरोध किया है कि उसकी एल्यूमिनियम की समस्त आवश्यकता इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, आलवे द्वारा निर्मित 3/8" छड़ों के रूप में ही आबंटित की जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक़ चौधरी) (क) जी, हाँ ।

(ख) इस प्रकार के अनुरोध को मानना साम्योचित नहीं समझा गया ।

मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स कारखाने में ट्रैक्टरों के निर्माण में कमी

*1238. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड, बड़ौदा में हाल के महीनों में ट्रैक्टरों के निर्माण में कमी आ गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने निर्माण में कमी के कारणों का पता लगाने के लिए जाँच समिति बनाई है;

(घ) यदि हाँ, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ङ) समिति अपना प्रतिवेदन सरकार को कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक़ चौधरी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) से (घ). उत्पादन में गिरावट के कारणों का निश्चय करने के लिए और इस प्रकरण की समग्र और पूर्ण जाँच करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय का गठन किया है :

(1) श्री एम० शिवगणनम्, उद्योग आयुक्त गुजरात सरकार—अध्यक्ष ।

(2) श्री ए० एस० भंडारी, एफ० ए० एण्ड सी० ए० ओ० सीमेन्ट निगम—सदस्य ।

(3) श्री राव, संयुक्त महाप्रबंधक एच० एम० टी० लि०; हैदराबाद—सदस्य ।

(4) श्री आई० एस० नागिया, मैनेजर प्रबंधक भारत का औद्योगिक वित्त निगम—सदस्य ।

(5) श्री के० एस० प्रभाकर, विकास अधिकारी त० वि० महा० नि०. उद्योग भवन, नई दिल्ली—सदस्य ।

(ङ) आशा है कि समिति 23-8-71 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा और अधिक माल डिब्बों के लिए अनुरोध

*1242. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल को तुरन्त और अधिक माल डिब्बे आबंटित करने के लिए अनुरोध किया है जिससे डिब्बों की कमी को पूरा किया जा सके, जिस कारण से राज्य के व्यापार और उद्योग पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या 24 जून, 1971 के 'स्टेट्समैन' के समाचार के अनुसार उनके मंत्रालय ने राज्य सरकार को सूचित किया है कि अधिक माल डिब्बे राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति के सुधारने पर ही दिये जा सकते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो यह समाचार कहाँ तक सच है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

पश्चिम बंगाल सरकार ने अप्रैल और मई, 1971 में राज्य की परिवहन संबंधी कठिनाइयों के बारे में रेल मंत्री को लिखा था । उन्होंने कोयले और पटसन, कपास, सोडा-ऐश आदि जैसी अन्य वस्तुओं की और अधिक ढुलाई करने की माँग की ।

2. इस पत्र के उत्तर में रेल मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण दिया कि पर्याप्त माल डिब्बों के रहते हुए तथा और अधिक यातायात उठाने के बारे में रेल मंत्रालय की गहरी चिन्ता के बावजूद, पश्चिम बंगाल राज्य को भेजने तथा वहाँ से यातायात की ढुलाई के लिए खाली माल डिब्बों की उपलब्धता में वर्तमान कमी कई ऐसे कारणों से है जो रेलों के काबू से बाहर हैं । ऊपरी कर्षण तारों, दूर संचार केबुलों और रेल-पथ तथा माल डिब्बों की फिटिंग्स की बड़े पैमाने पर चोरियों, रेल कर्मचारियों आदि को धमकी देने तथा उन पर आक्रमण किये जाने जैसी विभिन्न समाज विरोधी गतिविधियों के कारण देश के पूर्वी क्षेत्र में गाड़ी सेवाएँ अक्सर अस्त-व्यस्त हो जाती हैं । उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकार का ध्यान इन मामलों की ओर दिलाया गया है । यह भी स्पष्टीकरण किया गया कि इन कठिनाइयों के बावजूद रेलों ने बंगाल और बिहार कोयला क्षेत्रों से कोयले का लदान जारी रखने का भरसक प्रयास किया है और पश्चिम बंगाल को भारी मात्रा में खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का परिवहन किया है ।

3. 24-6-71 के स्टेट्समैन में जो समाचार छपा है, हो सकता है वह पश्चिम बंगाल राज्य के इन अभ्यावेदनों और रेल मंत्रालय की ओर से दिये गये उनके स्तरों पर आधारित हो ।

4. कानून और व्यवस्था कायम रखना राज्य सरकार का विषय है । पत्र-व्यवहार और निजी सम्पर्क के ज़रिए पश्चिम बंगाल सरकार का ध्यान विभिन्न समाज विरोधी गतिविधियों

को नियंत्रित करने की तात्कालिक आवश्यकता की ओर दिलाने के अलावा रेलें अपने साधनों से इन गतिविधियों की रोक-थाम के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं।

राउरकेला-बिलासपुर सैक्शन के विद्युतीकरण से ठेकेदारों द्वारा अर्जित लाभ

*1249. **श्री सी० जनार्दनन्** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया था कि राउरकेला-बिलासपुर सैक्शन के विद्युतीकरण के कार्य से ठेकेदारों ने 2·5 करोड़ रुपये का लाभ कमाया था; और

(ख) क्या रेलवे विद्युतीकरण संगठन के पुनर्गठन के नाम पर इस संगठन को समाप्त करके यह ठेका निजी पार्टियों को दिया गया था ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) लोक सभा में यह आरोप लगाया गया था कि राउरकेला-बिलासपुर खण्ड के विद्युतीकरण के दौरान ठेकेदारों ने बहुत अधिक लाभ कमाया।

(ख) जी, नहीं।

अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए पंजाब सरकार का प्रस्ताव

*1250. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने विद्युत की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के संबंध में कोई योजनाएँ पेश की हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन योजनाओं पर विचार किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है;

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) से (ग). जी, हाँ। अपेक्षित जानकारी का एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग). अतिरिक्त ऊर्जा के उत्पादन के लिए पंजाब सरकार से प्राप्त स्कीमों का विवरण नीचे दिया गया है :

क्रम सं०	स्कीम का नाम	प्रस्तावित प्रतिष्ठापित क्षमता (मैगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)	तारीख जब परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	गुरु नानक ताप विस्तार, भटिण्डा	2×110	41·38	अप्रैल, 1971	जाँच की जा रही है।
2.	रूपड़ा स्थित तापविद्युत केन्द्र	5×200	161·40	मई, 1971	– वही –
3.	आनंदपुर साहिब जल-विद्युत स्कीम	4×27	32·43	जुलाई, 1970	– वही –
4.	शनान विद्युत घर का विस्तार	2×25	4·73	मार्च, 1970	रिपोर्ट की जाँच कर ली गई है और परियोजना को तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य पाया गया है। फिर भी चूँकि परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसकी स्वीकृति के प्रश्न पर राज्य सरकार के साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है।
5.	मुकेरिया जल विद्युत स्कीम	4×14	11·95	मार्च, 1968	जून, 1970 में बजट प्राधिकारियों से और भी स्पष्टीकरण माँगा गया। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।
6.	थीन बाँध परियोजना	6×70	90·87 (6 और 7 के लिए)	मई, 1969	1964 में भेजी गई परियोजना रिपोर्ट में राज्य सरकार ने
7.	अपरबारी दोआब नहर चरण-II	3×15			

1	2	3	4	5	6
					संशोधन किया था और उसे पुनः प्रस्तुत किया गया। जून, 1970 में इस पर टिप्पणियाँ योजना आयोग को भेज दी गई थीं। थीन बाँध का संबंध अन्य राज्यों से भी है और उनके साथ विचार विमर्श अपेक्षित है।

अफ्रीकी देशों को रेल संबंधी तकनीकी ज्ञान का भेजा जाना

*1251. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी देशों को रेल संबंधी तकनीकी ज्ञान को भेजने की बड़ी गुंजाइश है और रेलवे के विस्तार हेतु बहुत से देशों ने भारतीय सहायता/सहयोग के लिए प्रार्थना की है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या भारत उन देशों को अपेक्षित सहायता/सहयोग देने की स्थिति में है; और

(घ) यदि हाँ, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे इस संबंध में इस समय बातचीत चल रही है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, हाँ।

(ख) मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दहोमी और नाइज़र।

(ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(घ) कोई नहीं।

तमिलनाडु में बोदीनयाकनुर से उत्तर भारत को भेजी गई इलायची का रास्ते में खराब होना

*1252. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत आठ महीनों में तमिलनाडु में बोदीनयाकनुर से उत्तर भारत के लिए माल गाड़ी में बुक करायी गयी इलायची भारी मात्रा में मार्ग में खराब हुई है;

(ख) कितने माल डिब्बे गुम हुए हैं तथा कितने मूल्य की इलायची खराब हुई; और

(ग) गुम हुए माल डिब्बों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) भारी नुकसान नहीं लेकिन कुछ नुकसान हुआ है ।

(ख) इसका यातायात पूरे माल डिब्बों में नहीं होता । लेकिन बोदीनयाकनुर से उत्तर के लिए पार्सल के रूप में बुक किये गये इलायची के फुटकर परेषणों में यदा-कदा कुछ कमी नोटिस में आयी है । गत 8 महीनों के दौरान प्राप्त दावों के आधार पर खराब हुए माल की कीमत का अनुमान 45,000 रुपये लगाया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर रेलवे में स्थानापन्न कर्मचारियों की प्रस्तावित छटनी

*1253. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में लगभग 7,000 स्थानापन्न कर्मचारियों की छटनी करने का प्रस्ताव है; यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और उनको बेरोज़गार होने से बचाने के लिए क्या योजना बनाई गई है;

(ख) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में 7 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे लगभग 7,000 कर्मचारियों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में ट्रैक्टरों, मुद्रण मशीनों और हैवी ड्यूटी प्रेसों का उत्पादन

*1254. **श्री एस० आर० दामाणी** :
श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा ट्रैक्टरों, मुद्रण मशीनों और हैवी ड्यूटी प्रेसों का निर्माण आरम्भ करने संबंधी प्रस्ताव की क्रियान्विती में क्या प्रगति हुई है;

(ख) उक्त प्रत्येक मद के लिए प्रस्तावित संयंत्रों की उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी होगी, उन पर कितनी-कितनी पूँजी लगायी जायगी और वे कहाँ-कहाँ स्थापित किये जायेगे;

(ग) यदि कोई विदेशी सहयोग तय हुआ है तो उसकी शर्तें क्या हैं; और

(घ) उनमें उत्पादन कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक़ चौधरी) : (क) ट्रैक्टरों, मुद्रण मशीनों और हैवी ड्यूटी प्रेसों के बनाने में की गई प्रगति इस प्रकार है :

ट्रैक्टर : ट्रैक्टर के निर्माण के लिए 29-1-71 को मैसर्स मोतोकोव फारेन ट्रेड कार्पोरेशन, प्राह चेकोस्लावाकिया के साथ एक सहयोग करार किया गया था। संयुक्त रूप से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के इंजीनियरों तथा चैक विशेषज्ञों द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

मुद्रण मशीनें तथा हैवी ड्यूटी प्रेसें : मुद्रण मशीनों के बनाने के लिए इटली के मैसर्स सोसिता नकियोलो के साथ तथा हैवी ड्यूटी प्रेसों के लिए अमरीका के मैसर्स वर्सन आल-स्टील प्रेस कम्पनी से सहयोग करने के प्रस्तावों को सरकार ने पहले से ही अनुमति दे दी है। आजकल इनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट विचाराधीन है।

(ख)

क्षमता	प्रचलित लागत पर पूँजीगत परिव्यय	स्थान
ट्रैक्टर :		
पूर्ण उत्पादन हो जाने पर प्रतिवर्ष 20 अश्व-शक्ति तथा उससे अधिक के 2011/2511 माडल वाले 12000 ट्रैक्टरों का निर्माण	4·91 करोड़ रुपये	पिंजौर (हरियाणा)
मुद्रण मशीनें :		
पूर्ण उत्पादन हो जाने पर प्रतिवर्ष 3·50 करोड़ रु० मूल्य की मुद्रण, आफसेट तथा कागज काटने वाली मशीनें।	3·30 करोड़ रुपये	कैलमसैरी (केरल)
हैवी ड्यूटी प्रेसें :		
पूर्ण उत्पादन हो जाने पर प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपये के।	3·30 करोड़ रुपये	हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)

(ग) सहयोग की शर्तें व्यावसायिक संविदा के स्वभाव प्रकार की हैं और उसके ब्यौरे को बताना उपयुक्त नहीं है।

(घ) इन परियोजनाओं के बारे में नियोजन संबंधी निर्णय अभी किये जाने हैं।

हिमाचल प्रदेश में नैटपा-झकरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण

*1255. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में सतलज के पानी से बिजली बनाने के लिए नैपटा-झकरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित परियोजना पर अनुमानत: कितना व्यय होगा; और

(ग) क्या इसे चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) जी, हाँ। महासु जिले में झकरी पर सतलज के जल का समुपयोजन करने के लिए 1000 मैगावाट की एक जल विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए प्रस्ताव समेत हिमाचल प्रदेश राज्य प्राधिकारियों से एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ख) प्रारंभिक प्रस्तावों के अनुसार स्कीम की अनुमानित लागत 130·35 करोड़ रुपये है।

(ग) विस्तृत अनुसंधानों के पूर्ण हो जाने और तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन कर लेने के पश्चात् ही इस परियोजना को चौथी योजना में सम्मिलित करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

केरल में औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

*1256. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह राज्य में औद्योगिक विकास के लिए उसे बड़े पैमाने पर सहायता दे;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या हाल ही में केरल के औद्योगिक मंत्री ने उनके साथ इस संबंध में नई दिल्ली में कोई विचार-विमर्श किया था और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक़ चौधरी) : (क) जी, हाँ।

(ख) राज्य सरकार के अनुसार राज्य में जूट, काजू और हथकरघा उद्योग के लिए आर्थिक सहायता की माँग की गई थी। इन उद्योगों की देख-भाल विदेश व्यापार मंत्रालय द्वारा की जाती है।

(ग) पिछली मई में राज्य उद्योग मंत्री ने मुझसे उस राज्य से प्राप्त कुछ औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदनों पर शीघ्र और सहानुभूतिपूर्ण विचार करने और वहाँ की औद्योगिक प्रगति में गति लाने के लिए विशेष प्रयास करने के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया था। इन मामलों पर विचार हो रहा है। जून में उद्योग राज्य मंत्री मुझसे पुनः मिले और राज्य के पिछड़े जिलों को दी जाने वाली रियायतों/सुविधाओं के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया।

कोयला, चाय और सोड़ा-ऐश की ढुलाई के लिए माल डिब्बों की कमी

*1257. **श्री समर गुह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में माल डिब्बों की कमी के कारण कोयले और चाय के संचित भंडार को ले जाने में संकट उत्पन्न हो गया है;

(ख) क्या मीठापुर से सोड़ा-ऐश को न ले जाये जाने के कारण सिलिकेट और साबुन के कारखानों के उत्पादन में गंभीर कठिनाई उत्पन्न हो गई है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके मंत्रालय को और अधिक माल डिब्बों के लिए जोरदार अपील की है ताकि कोयला, चाय और सोडा-ऐश को ले जाने में सुगमता हो सके; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) पश्चिम बंगाल में कोयले के लिए माल डिब्बों की सप्लाई में कुछ कमी रही है। लेकिन चाय यातायात की निकासी लगभग साथ-साथ की गयी थी।

(ख) जी, नहीं। पश्चिम बंगाल के स्टेशनों के लिए मीठापुर कारखाने पर प्रस्तुत किया गया सोड़ा-ऐश के यातायात की निकासी लगभग साथ-साथ की गयी थी।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने कोयला और अन्य वस्तुओं जैसे पटसन, चाय, सोड़ा-ऐश आदि के लिए माल डिब्बों की सप्लाई में बढ़ती करने की माँग की थी।

(घ) पश्चिम बंगाल की परिवहन संबंधी वर्तमान माँगों को पूरा करने के लिए रेलों के पास सभी साधन मौजूद हैं बशर्ते राज्य की वर्तमान कानून और व्यवस्था की स्थिति जिसके कारण माल-डिब्बे बहुत अधिक रुके रहते हैं और गाड़ियों के संचलन में गड़बड़ी पैदा होती है, में सुधार हो जाये।

दिल्ली-अहमदाबाद मीटरगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1258. **श्री बी० एन भार्गव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-अहमदाबाद लाइन पर भारी यातायात की दृष्टि से उनके मंत्रालय का विचार इसे मीटरगेज से बड़ी लाइन में बदलने का है;

(ख) यदि हाँ, तो यह कार्य कब तक किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग). दिल्ली-अहमदाबाद मीटर लाइन खण्ड की लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए यातायात सर्वेक्षण हो रहा है। विभिन्न विकल्पों की जाँच करते समय सर्वेक्षण दल इस खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के प्रश्न पर भी विचार करेगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने और उसकी जाँच हो जाने के बाद ही इस आमान-परिवर्तन के संबंध में विनिश्चय किया जायेगा।

Report of Kosi Technical Committee Regarding Dagmara Barrage

*1259. SHRI CHIRANJIB JHA : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the report submitted by the Kosi Technical Committee of experts appointed by the Government of Bihar in January, 1971;

(b) whether the Chairman of the Central Water and Power Commission and a Member of the aforesaid Committee have given their comments regarding the usefulness of Dagmara barrage from every angle;

(c) whether Government have gone into the suggestions made by the said Committee and the comments made by the Chairman and Members of the C. W. & P. C.; and

(d) if so, the decision taken by Government in this regard and the time by which it is proposed to be implemented ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) to d). The Kosi Technical Committee constituted by the Government of Bihar in January, 1971, in its report submitted to the State Government in April, 1971, has, inter-alia, recommended the construction of a second barrage, down stream of the existing, barrage, near Dagmara. The Chairman Central Water and Power Commission, who was also a member of this Committee has stated that he was not convinced that Dagmara barrage would be an economic solution of the problem and suggested that before taking a decision on the Dagmara barrage, the economics of the project should be worked out taking into account alternative methods of providing flood protection and irrigation facilities by Western Kosi Canal or tubewells. The recommendations made by the Committee are under examination.

मैसूर में वाराखी नदी के पानी का उपयोग

*1260. **श्री पी० आर० शिनाय : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कई वर्षों से मैसूर में वाराखी नदी पर पनबिजली परियोजना स्थापित करने के विचार से उसके पानी के उपयोग की संभावनाओं की जाँच की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस जाँच पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) इस जाँच की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) जी, हाँ। राज्य प्राधिकारियों द्वारा अनुसंधान कार्य 1961 में शुरू किए गए थे और 1969 में पूर्ण किए गए।

(ख) अब तक अनुसंधान पर खर्च की गई धन-राशि 20·74 लाख रुपये है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा कालीनदी परियोजना की तुलना में वाराखी परियोजना को कम प्राथमिकता देने के परिणामस्वरूप प्रगति धीमी रही। बहरहाल, इस परियोजना को दसवर्षीय योजना (1971-1981) में शामिल कर लिया गया है।

तिनसुकिया रेलवे स्टेशन के रेलवे फाटक पर उपरि पुल

5288. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिनसुकिया रेलवे स्टेशन के पूर्व की ओर स्थित रेलवे फाटक पर उपरि पुल के निर्माण के संबंध में असम के तिनसुकिया नगर के अनेक सार्वजनिक निकायों से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) (क) जी, हाँ।

(ख) राज्य सरकार के परामर्श से इस प्रस्ताव की प्रारम्भिक रूप से जाँच पड़ताल की जा रही है।

असम में भूमि कटाव रोकने के कार्य पर किया गया व्यय

5289. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968-1969 और 1970 के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा होने वाले भूमि कटाव से असम के विभिन्न भागों को बचाने के लिए कुल कितना धन व्यय किया गया; और

(ख) उक्त कार्य के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल कितना धन आबंटित किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) ब्रह्मपुत्र घाटी में कटाव-रोधी उपायों पर निम्नलिखित धनराशि व्यय की गई ।

1968-69	11·5 लाख रुपये
1969-70	142·0 लाख रुपये
1970-71	172·0 लाख रुपये

(ख) बाढ़ नियंत्रण के लिये 26·6 करोड़ रुपये के कुल प्रावधान में से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ब्रह्मपुत्र घाटी में कटाव-रोधी उपायों के 462 लाख रुपये का प्रावधान है ।

डिब्रूगढ़ में भूमि कटाव रोकने के कार्य पर किया गया व्यय

5290. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा होने वाले भूमि कटाव से डिब्रूगढ़ शहर को बचाने के लिए 31 मार्च, 1971 के अन्त तक कुल कितनी राशि व्यय की गई; और

(ख) इस संबंध में भविष्य में कितने धन की आवश्यकता है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) डिब्रूगढ़ नगर की सुरक्षा के लिये मार्च, 1971 तक कुल 4·24 करोड़ रुपये व्यय हुए । इसके अतिरिक्त, सुरक्षा कार्यों की विशेष मरम्मत और रख-रखाव पर 2·35 करोड़ रुपये व्यय किए गये ।

(ख) डिब्रूगढ़ के निकट नदी के रुख पर और वर्तमान कार्यों के और दृढ़िकरण के लिए अपेक्षित उपायों पर अध्ययन किया जा रहा है और हाथ में लिए जाने वाले कार्यों के लिए एक व्यापक स्कीम अभी तैयार की जानी है । बहरहाल, डिब्रूगढ़ नगर की सुरक्षा के लिए तात्कालिक कार्य 1971-72 में लगभग 63 लाख रुपये की लागत पर करने के लिए प्रस्ताव किया गया है ।

आय-कर अपीलीय मामलों का निपटाया जाना

5291. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी संख्या में पड़े आय-कर अपीलीय मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है;

(ख) अपील अधिकरण के पास इतनी अधिक संख्या में मामलों के अनिर्णित पड़े रहने के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या प्रत्येक मामले को निपटाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) अधिकरण के समक्ष भारी संख्या में संस्थित अपीलों का निपटारा करने के लिए जहाँ कहीं भी आवश्यक हो अधिक न्यायपीठें खोलकर हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है। हाल ही में, जनवरी, 1971 में अधिकरण की सात और न्यायपीठें खोली गई हैं जिससे न्यायपीठों की कुल संख्या 30 हो गई है। अपीलों का शीघ्र निपटारा करने के लिए नई न्यायपीठें खोलने के अलावा कुछ अन्य प्रशासनिक उपाय भी किए गए हैं। मामलों को निपटाने की रफ्तार में तेजी लाने की दृष्टि से अधिकरण के सदस्यों को प्रशासनिक स्तर पर यह सलाह दी है कि वे :

(i) उन मामलों में जिनमें आय-कर अधिकारी द्वारा यथासंगणित कुल आय 40,000 रु० से अधिक नहीं है, अपीलों को निपटाने के लिए अपनी शक्तियों का सम्यक् रूप से अकेले प्रयोग करें;

(ii) प्रतिमास प्रति न्यायपीठ 150 मामलों या उसके लगभग मामलों को निपटाएं;

(iii) मामलों का स्थान मंजूर करने में अधिक कड़ाई से काम लें;

(iv) छोटे मामलों में आदेश खुले न्यायालयों में बोलकर लिखाएं;

(v) अन्य मामलों में आदेश न्यायालय के काम के समय के बाद या शनिवारों को बोलकर लिखाएँ; और

(vi) मामलों की सुनवाई के लिए प्रतिदिन पाँच घंटे बैठें।

(vii) पूर्व वर्णित प्रशासनिक उपायों के अलावा आय-कर अधिनियम, 1961 में समुचित संशोधन करने के मामले पर भी कार्यवाही की जा रही है।

(ख) हाल के वर्षों में अधिकरण के समक्ष अपीलों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि होने का मुख्य कारण यह है कि निर्धारण से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए राजस्व विभाग ने अभियान चलाया है और नये केन्द्रों में नई न्यायपीठें स्थापित हुई हैं। अधिकरण बढ़ती हुई संख्या में संस्थित अपीलों को निपटाने और लम्बित अपीलों की संख्या कम करने के लिए अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रहा है। किन्तु, चूँकि अधिकरण न्यायिक कल्प निकाय है और विधि के प्रश्नों पर उसके विनिश्चय को उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में निर्देश द्वारा चुनौती दी जा सकती है अतः वह अपने कृत्यों के महत्वपूर्ण गुणात्मक पहलू की स्पष्टतः उपेक्षा नहीं कर सकता।

(ग) जी, नहीं।

संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान को अनुदान

5292. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान को चालू वर्ष के दौरान कितना अनुदान दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या उक्त संस्थान को अन्य भारतीय या विदेशी स्रोतों से भी सहायक अनुदान प्राप्त हो रहे हैं: और

(ग) उक्त संस्थान द्वारा स्थापना तथा अपने कार्यकलापों पर गत एक वर्ष में कितना धन व्यय किया गया?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) 2 लाख रुपये ।

(ख) जी हाँ, फोर्ड फाउन्डेशन से, जिसने संसदीय मामलों, संवैधानिक प्रश्नों तथा संघ-राज्य संबंधों के बारे में उसके अनुसंधान तथा प्रशिक्षण कार्यों में सहायता पहुँचाने के लिए संस्थान को 2,00,000 डालर का विकास अनुदान अगस्त,1967 से तीन वर्ष की अवधि में दिया और 2,39,700 डालर का अनुपूरक अनुदान 1970 के अप्रैल 1 से तीन वर्ष की अवधि के लिए दिया है ।

(ग) संस्थान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1970-71 में संस्थान ने लगभग 3,24,000 रुपये स्थापना पर और 2,96,000 रुपये अन्य क्रियाकलापों पर खर्च किए ।

ट्रंक मार्गों पर रेलों का चलाया जाना

5293. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1 अक्तूबर, 1971 से ट्रंक मार्गों पर ऐसी 6 नई रेल गाड़ियाँ चलाने का है जिनकी गति 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी; और

(ख) यदि हाँ, तो किन मार्गों पर ये नई रेल गाडियाँ चलाई जाएँगी ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). निम्नलिखित छ: जोड़ी गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है । इस संबंध में जाँच हो रही है :

गाड़ी नम्बर और नाम	मार्ग	वर्तमान स्वीकृत रफ्तार	रफ्तार में प्रस्तावित वृद्धि
1. राजधानी एक्सप्रैस	नयी दिल्ली और हावड़ा के बीच	120	130
2. ताज एक्सप्रैस	नयी दिल्ली और आगरा छावनी के बीच	105	110
3. 1 अप और 2 डाउन हावड़ा-दिल्ली-कालका मेल	हावड़ा और दिल्ली के बीच	100	110

गाड़ी नम्बर और नाम	मार्ग	वर्तमान स्वीकृत रफ्तार	रफ्तार में प्रस्तावित वृद्धि
4. 3 डाउन और 4 अप फ्रंटियर मेल	दिल्ली और बम्बई सैंट्रल के बीच	100	110
5. 1 डाउन और 2 अप नागपुर के रास्ते हावड़ा-बम्बई मेल	हावड़ा और बम्बई वी० टी० के बीच	100	110
6. 15 डाउन और 16 अप ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रैस	नयी दिल्ली और मद्रास के बीच	100	110

वर्षा के कारण हिन्दुस्तान साल्ट लि०, जयपुर को हुई हानि

5294. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1971 के अन्तिम सप्ताह में भारी वर्षा के कारण बड़ी मात्रा में नमक तथा इसके उप-उत्पाद साँभर झील में बह गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो वर्षा के कारण हिन्दुस्तान साल्ट लि०, जयपुर को कितनी अनुमानित हानि हुई;

(ग) क्या झाबोरा गुढ़ा बाँध में प्रति वर्ष वर्षा के कारण दरारें पड़ जाती हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे नुकसान को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार करीब 20,000 मी० टन सामान्य नमक, 418 मी० टन वरकाइट और 15 मी० टन सोडियम सल्फेट के गल जाने/बह जाने की सूचना मिली है। साल्ट वर्क्स में हुई हानि, जिसका पता पानी उतर जाने के पश्चात् चलेगा, को छोड़कर करीब 4,50,000 रु० की अनुमानित हानि हुई है।

(ग) जी, नहीं। कम्पनी द्वारा 1959 में साल्ट वर्क्स ले लिये जाने के पश्चात् झाबोरा गुढ़ा बाँध में बाढ़ के कारण 1968 में केवल एक बार दरार पड़ी थी।

(घ) 1968 की भारी बाढ़ के बाद झाबोरा गुढ़ा बाँध को केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के एक विशेषज्ञ की सलाह पर निवारक अभ्युपाय के तौर पर मजबूत किया गया था।

Disposal of Letters received in Hindi and Publications brought out in Hindi

5295. KUMARI KAMLA KUMARI : Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state :

(a) the number of letters received in Hindi and the number of those replied in Hindi by his Ministry during the last three years; and

(b) the number of reports and other publications brought out by his Ministry during the last year and the number out of them brought out in Hindi ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY) : (a) 14,535 letters were received in the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs and the Legislative Department) in Hindi from the State Governments, Union Territories, members of public etc. during the last three years 1.1.68 to 31.12.70). Of these, 7.811 did not call for reply and 7 letters were transferred to other Ministries/Departments. Of the remaining 6,717 letters, 6584 were replied to in Hindi and 133 which related to urgent legal matters were replied to in English.

(b) (i) Two reports, viz., the Annual Report on the activities of the Ministry of Law and Justice for the year 1969-70 and the Report on the Mid-term General Elections held in 1968-69 (Vol. I—General), were brought out during the last year. Both of them were published in Hindi as well as in English.

(ii) The Ministry of Law and Justice in the Legislative Department is publishing two monthly Law Journals in Hindi, viz., the Uchchatama Nayalaya Nirnaya Patrika and Uchcha Nayalaya Nirnaya Patrika containing the reportable judgments of the Supreme Court and the High Courts, respectively. In all, 35 issues of the said journals in Hindi were brought out during the last year.

Hindi work in Ministry of Law and Justice

5296. KUMARI KAMLA KUMARI : Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state :

(a) whether in accordance with the Official Languages Act, Hindi Officers are appointed in each Ministry and Department to look after the work pertaining to Hindi, but no such appointments have been made in his Ministry;

(b) whether there is no one to look after the Hindi work in the Department of Legal Affairs and the provisions of the Official Languages Act are being violated there; and

(c) the action being taken by Government to check violation of the Official Languages Act and to encourage the use of Hindi in his Ministry ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY) : (a) There is no provision in the Official Languages Act, 1963, for appointment of Hindi Officers in each Ministry/Department to look after the work pertaining to Hindi. However, there are executive instructions of the Government for the appointment of Hindi Officers in each Ministry/Department for satisfactory implementation of the Hindi programme with which it is concerned. So far as the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs and the Legislative Department) is concerned, it has not

been considered necessary to have Hindi Officers as such for looking after the Hindi work of the Ministry. The Ministry has, however, a number of translators, draftsmen, sub-editors, assistant editors and editors on its strength for attending to the entire Hindi work of the Ministry.

(b) It is not correct that there is no one to look after the Hindi work of the Department of Legal Affairs and that the provisions of the Official Languages Act, 1963, are being violated in the Department. The Hindi work of the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs and Legislative Department) is done by the Translation Unit in the Legislative Department. That Unit has been provided with adequate number of qualified staff to attend to the entire Hindi work of the Ministry.

(c) As there has been no violation of the provisions of the Official Languages Act, 1963, in the Ministry of Law and Justice, the question of taking any action to check such violation does not arise. The Ministry is mainly concerned with tendering of legal advice to other Ministries/Departments of the Government, conduct of Central Government cases in the Supreme Court and the High Courts and the drafting of legislation. There is, therefore, not much scope for the use of Hindi in such work.

उपरि कृष्णा परियोजना

5297. **श्री बी० ई० चौधरी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरि कृष्णा परियोजना में यह व्यवस्था की गई थी कि प्रति सैकिण्ड 3,000 क्युबिक फिट पानी की निकास के लिये दाँये तथा बाँये किनारे पर दो नहरें बनाई जायें और अब प्रति सैकिण्ड 1,000 क्युबिक फिट जल निकासी की व्यवस्था के साथ केवल बाँये किनारे पर एक नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है;

(ख) क्या सरकार बाँये किनारे पर आगे निर्माण कार्य को रोकना आवश्यक समझती है क्योंकि इसके बनने से बीजापुर जिले की उठाऊ सिंचाई के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा; और

(ग) क्या गुलाटी आयोग की सिफारिशों के अनुसार जल का आबंटन किया गया है; और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) योजना आयोग द्वारा 1963 में दी गई मंजूरी के अनुसार उपरि कृष्णा परियोजना (चरण I) में शीर्ष पर 3700 क्यूसेक क्षमता की एक वाम तटीय नहर और शीर्ष पर 2847 क्यूसेक क्षमता की एक दक्षिण तटीय नहर की व्यवस्था थी। राज्य सरकार ने फरवरी, 1971 में सिर्फ एक वाम तटीय नहर की व्यवस्था के संशोधित प्रस्ताव भेजे हैं। ऐसा समझा जाता है कि यह इस दृष्टि से किया गया है कि इससे उन क्षेत्रों को लाभ होगा जहाँ फिलहाल सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है और दक्षिण तटीय नहर से रायचूर जिले की सिंचाई होगी जहाँ तुंगभद्रा परियोजना के लाभ विस्तृत रूप में पहले ही से मिल रहे हैं। संशोधित प्रस्तावों की तकनीकी जाँच केंद्रीय जल और विद्युत में की जा रही है।

(ख) और (ग). ऐसा समझा जाता है कि परियोजना के दूसरे चरण में लिफ्ट सिंचाई को सम्मिलित करने के कुछ प्रस्ताव मैसूर सरकार के पास हैं। इस चरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और प्राक्कलन मैसूर सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अतिरिक्त, कृष्णा वेसिन के जल-विवाद इस समय एक न्यायाधिकरण के अधिनिर्णयाधीन हैं और किन्हीं नई परियोजनाओं या पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के आगे के चरणों पर विचार करने के लिए न्यायाधिकरण का पंचाट आने तक प्रतीक्षा करनी होगी।

मैसर्स नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बलूर, हावड़ा को दिया गया लाइसेंस

5298. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी लोक सभा के मध्यावधि चुनाव के बाद मैसर्स नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बलूर, हावड़ा को पश्चिम बंगाल में कोई उद्योग खोलने के लिए कोई नया लाइसेंस दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो किस उद्योग के लिए यह लाइसेंस दिया गया है तथा यह उद्योग किस स्थान पर खोला जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1 मार्च, 1971 से 30 जून, 1971 तक की अवधि में पश्चिम बंगाल में नये उपक्रम स्थापित करने के लिए मै० आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बेलूर, हावड़ा को कोई औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Pumping Sets remaining Idle for want of Power in Bihar

5299. SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether pumping sets installed for irrigation in South-Bihar, particularly in Gaya, Patna and Shahabad Districts often remain idle due to shortage of power as a result of which summer crops have been damaged badly this year;

(b) if so, the arrangements being made to meet the shortage of power; and

(c) the time by which power supply would be ensured to enable the pumping sets to work full time ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) Yes, Sir. During May and June, 1971, load shedding had to be resorted during some hours of the day on account of break-down of generating plant at Patratu Power Station resulting in reduced supply to agricultural pumps.

(b) Power was availed from the Damodar Valley Corporation and Uttar Pradesh Power Systems to the extent possible to mitigate the shortage of power in Bihar.

(c) The maintenance work on the generating plant which has broken down is progressing. Work of putting one more 100 MW set into commercial operation is also in hand. The power supply position is expected to improve considerably by the middle of August, 1971.

रेलों द्वारा कोयले का ढोया जाना

5300. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 से 1970-71 तक रेल द्वारा, वर्षवार, कितनी मात्रा में कोयला ढोया गया;

(ख) जनवरी और दिसम्बर, 1970 के बीच प्रतिमास, रेल द्वारा कितनी मात्रा में कोयला ढोया गया;

(ग) क्या 1970-71 में रेल द्वारा माल के परिवहन में भारी गिरावट के कारण कोयले की ढुलाई पर विपरीत प्रभाव पड़ा था; और

(घ) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) भारतीय सरकारी रेलों द्वारा ढोये गये कुल प्रारम्भिक कोयले की मात्रा जिसमें रेलवे का कोयला शामिल है, इस प्रकार है :

	(आँकड़े दस लाख मीटरिक टनों में)
1968-69	68·64
1969-70	70·98
1970-71	63·95

(ख) भारतीय सरकारी रेलों द्वारा ढोये गये कुल प्रारम्भिक कोयला की मात्रा जिसमें रेलवे का कोयला शामिल है, इस प्रकार हैं :

	(आँकड़े दस लाख मीटरिक टनों में)
जनवरी, 70	5·65
फरवरी, 70	5·32
मार्च, 70	6·15
अप्रैल, 70	5·70
मई, 70	5·53
जून, 70	5·08
जुलाई, 70	5·37

(आँकड़े दस लाख मीटरिक टनों में)

अगस्त, 70	5·68
सितम्बर, 70	4·82
अक्टूबर, 70	5·16
नवम्बर, 70	5 26
दिसम्बर, 70	5·38

(ग) और (घ). प्रश्न स्पष्ट नहीं है । लेकिन समग्र रूप से 1970-71 में कोयले के लदान में गिरावट इसलिए आयी कि अगस्त, 1970 तक माँगें कम की गयीं और प्रायोजित रैकों की बहुत अधिक माँगें रद्द कर दी गयीं तथा सितम्बर, 1970 के बाद देश के पूर्वी क्षेत्र में अनेक समाज विरोधी गतिविधियों के कारण और कानून और व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति से रेल परिचालन पर विपरीत प्रभाव पड़ा ।

कोका कोला निर्यात निगम का विदेशी मुद्रा सम्पूर्ति लाइसेंस

5301. **श्री निहार लास्कर :**
श्री पी० गंगादेव :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विदेश व्यापार समिति को कोका कोला निर्यात निगम के विदेशी विनिमय सम्पूर्ति लाइसेंस के मामले की जाँच करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हाँ, तो समिति द्वारा कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

(ग) समिति को भेजी गई मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) क्या निर्यात की आय में 20 प्रतिशत की सामान्य कटौती के स्थान पर 40 प्रतिशत कटौती करने संबंधी उनके मंत्रालय की सिफारिश वापिस ले ली गई है, और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). औद्योगिक विकास मंत्रालय ने मैसर्स कोका-कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन के विदेशी मुद्रा सम्पूर्ति लाइसेंस के प्रश्न की जाँच करने के लिए विदेश व्यापार मंत्रालय की किसी भी समिति से अनुरोध नहीं किया है । फिर भी स्वयं विदेश मंत्रालय ने कोका-कोला कान्सेन्टट में, जिसका निर्यात किया जा रहा है और जिसके आधार पर सम्पूर्ति लाइसेंस की दर स्वीकृत की जाती है उसमें आयात के अंश का पता लगाने के लिए अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की है । समिति को अपनी रिपोर्ट उस मंत्रालय को देनी होगी । जहाँ तक औद्योगिक विकास मंत्रालय का संबंध है, उसने, विदेश व्यापार मंत्रालय से प्राप्त एक संदर्भ में कोका-कोला कान्सेन्टट के निर्यात पर आयात सम्पूर्ति की दर में पुनरीक्षण करने का सुझाव भेजा है जो उस मंत्रालय के विचाराधीन है ।

कोका-कोला के बोटलिंग संयंत्र

5302. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला की 24 बोटलिंग संयंत्रों से केवल 4 को ही लाइसेंस प्राप्त है, और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) बोटलिंग मिश्रण तैयार करने और विभिन्न कोका कोला संयंत्र बनाने में प्रारम्भिक निवेशित पूँजी कितनी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कोका कोला जैसे पेय पदार्थ तैयार करने वाले केवल तीन एककों को 1957 में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये गये हैं और इनमें से एक एकक को 1961 में बाद में इस नियम के अधीन विस्तार करने के लिए लाइसेंस दिया गया है । सरकार द्वारा औद्योगिक लाइसेंस में घोषित रियायतों के संदर्भ में शेष एककों को बाद में अधिनियम के अधीन लाइसेंस लेने की आवश्यकता ही नहीं रही ।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

काजू के छिलके से निकलने वाले 'लिक्विड' को तैयार करने के संबंध में जारी किये गये पेटेंट

5303. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में काजू के छिलके से निकलने वाले लिक्विड के मुख्य औद्योगिक उपयोग क्या हैं;

(ख) इस प्रकार का लिक्विड तैयार करने के संबंध में सरकार द्वारा कितने पेटेंट तैयार किये गये हैं; और

(ग) पेटेंट जारी किये जाने के उद्देश्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस समय काजू के छिलके से निकलने वाले द्रव (लिक्विड) का प्रयोग मुख्य रूप से पेंट तथा वारनिश, ब्रेक लाइनिंग, इन्सुलेटिंग वारनिश, इलैक्ट्रीकल वाइंडिंग/कंडक्टरस, रबड़ मिश्रित रैजिन, लैमीनेटिंग रैजिन, थर्मोसेटिंग रैजिन, कैशू लेकरस्, कैशू सीमेंट्स आदि जैसे उद्योगों में किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

काजू के छिलके से तेल निकालने का तरीका

5304. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में काजू के छिलके से तेल निकालने के लिए विलायक निस्सारण का तरीका अपनाया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह तरीका 'क्रूड' या 'एक्सपैलर' तरीके से अधिक लाभप्रद है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, हाँ ।

काजू के छिलके से प्राप्त होने वाले तेल के लिये उद्योग समूह की स्थापना

5305. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्लास्टिक सामग्री, जंग विरोधी सामग्री, परिरक्षण सामग्री, मौसम से रक्षा संबंधी सामग्री, 'लीक स्टाप' सड़क चिह्न पेंट, फंक्शन पेंटिंग और वार्निश के निर्माण के लिए काजू के छिलके से प्राप्त होने वाले तेल के उद्योग समूह की स्थापना किये जाने की संभावना का पता लगाया है; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकार द्वारा निर्यात किये जाने वाले तेल का विदेशों में आधुनिक औद्योगिक उत्पादों के लिए प्रयोग किया जाता है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हाँ ।

ट्यूबों व टायरों का उत्पादन, माँग तथा सप्लाई

5306. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में साईकिलों, कारों, ट्रकों तथा सैनिक गाड़ियों के ट्यूब एवं टायरों के संबंध में माँग तथा सप्लाई का अनुपात क्या है;

(ख) क्या उक्त वस्तुओं का देशी उत्पादन माँग के अनुरूप होने लगा है; और

(ग) यदि नहीं, तो माँग के स्तर तक पहुँचने में अभी और कितना समय लगेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). वाणिज्यिक गाड़ियों (ट्रक, बस, जीप, हल्के ट्रक आदि) कारों और साईकिलों की 1971-72 की माँग और उनका अनुमानित उत्पादन निम्न प्रकार होगा :

टायर का प्रकार	अनुमानित माँग	अनुमानित उत्पादन
वाणिज्यिक गाड़ियों के टायर	*24·0 लाख	22 लाख
कारों के टायर	11·0 लाख	11 लाख
साईकिलों के टायर	280·0 लाख	280 लाख

* इसमें प्रतिरक्षा विभाग की 1·5 लाख टायरों की माँग भी सम्मिलित है। टायरों, साईकिलों के ट्यूबों, कारों, ट्रकों और मिलिटरी गाड़ियों के उत्पादन की देश में स्थापित क्षमता माँग की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है। किन्तु हड़तालों से, धीमे काम करने से तथा बिजली बन्द (पावर कट) हो जाने से कुछ फैक्टरियों के उत्पादन में थोड़ी कमी हुई है।

फल तथा सब्जी परिरक्षण उद्योग के संबंध में बालसुब्रह्मण्यम समिति का प्रतिवेदन

5307. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फल तथा सब्जी परिरक्षण उद्योग का सर्वेक्षण करने वाली बालसुब्रह्मण्यम समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) फल तथा सब्जी परिरक्षण उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). समिति की रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

भोपाल स्थित हैवी इलेक्ट्रीकल्स (इण्डिया) लिमिटेड में जेनरेटरों और टर्बाइनों की उत्पादन लागत

5308. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलेक्ट्रीकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल में निर्मित जेनरेटरों और टर्बाइनरों की वर्तमान उत्पादन लागत ऐसी मदों की आयात लागत से अधिक है;

(ख) यदि हाँ, तो उत्पादन को घटाकर आयात किए जाने वाले उसी प्रकार के उत्पादनों की कीमत के स्तर पर लाने के लिये क्या सरकार ने हैवी इलेक्ट्रीकल्स (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लागत ढांचे की जाँच की है; और

(ग) उपरि प्रभारों के बढ़ जाने और उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने में असफलता के कारण किस सीमा तक उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). आयातित तथा देश में बने जनयंत्रों और टर्बाइनों के मूल्य में सीधे तुलना करना साधारणतया संभव नहीं है क्योंकि ये वस्तुयें हाथ द्वारा बनाई जाती हैं और दो उपकरण एक जैसे नहीं बन पाते हैं। फिर, विदेशी निर्माताओं द्वारा दिये गये मूल्य समय-समय पर, देश-देश में और यहाँ तक कि एक ही देश के दो निर्माताओं के मूल्यों में काफी विषमता होती है। कभी तो विदेशी निर्माता संकटावस्था मूल्य भी दे देते हैं यदि उन्हें क्रयादेशों की अधिक आवश्यकता होती है। सामान्यतया सीमान्तक लागत के सिद्धान्त से निर्यात मूल्य तय किये जाते हैं।

सरकार अभी यह नहीं समझती कि इस कारखाने में निर्मित वस्तुओं के मूल्यों का अध्ययन कराने का अवसर आ गया है। वह जानती है कि इन उत्पादों के लिए कुशलता तथा तकनोलोजी में अभी विकास करने की आवश्यकता है और अभी तो पूर्ण उत्पादन ही नहीं हो पाया है, अतः निपज में इष्टतम बिन्दु तक ऊपरी खर्चों को हिसाब में नहीं लगाया जा सकता है। यह भी विश्लेषण करना समय पूर्व होगा कि ऊपरी खर्चों में किसी प्रकार की वृद्धि लागत को किस सीमा तक ऊँचा करेगी अथवा उत्पादन का स्तर कितना कम हो जायेगा।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

5309. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट प्रस्तावों की घोषणा के पश्चात आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण कर लिया गया है;

(ख) क्या वस्तुओं की खुदरा कीमतों और थोक कीमतों का आपस में कोई संबंध नहीं है;

(ग) यदि हाँ, तो कीमतों को उचित स्तर पर लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई या करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—691/71.**]

मध्यावधि निर्वाचनों में कार्य के लिये केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त राशि की अदायगी

5310. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र और राज्य सरकारों के उन कर्मचारियों को अतिरिक्त राशि देने का है जिन्होंने गत मध्यावधि निर्वाचनों में समयोपरि कार्य किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो कब और किस प्रकार से दिया जायेगा ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नितिराज सिंह चौधरी) : (क) केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के कर्मचारी, जिन्होंने लोक सभा और कुछ राज्य विधान सभाओं के हाल में हुए मध्यावधि साधारण निर्वाचनों के दौरान निर्वाचन संबंधी कर्त्तव्यों का पालन किया, उससे सम्बद्ध आदेशों के अनुसार यात्रा भत्ते और/या दैनिक भत्ते के लिए हकदार हैं। ऐसे कर्मचारियों को उपर्युक्त निर्वाचनों के संबंध में उनके द्वारा किए गए कर्त्तव्यों के लिए कोई अन्य भत्ता देने का सरकार का विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Constitution of Time-Table Committees

5311. SHRI BIBHUTI MISHRA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the Time Table Committees exist for different Railways;

(b) whether there are nominated persons other than the Members of Lok Sabha on these Committees;

(c) whether the manner in which they get the Time Table framed causes resentment in the public; and

(d) whether Government propose to nominate on these Committees only the Members of Lok Sabha who are the representatives of the people ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI HANUMANTHAIYA) : (a) Yes.

(b) The Time Table Committee consists of elected representatives of Divisional and Zonal Railway Users' Consultative Committees, representatives of Passengers' Associations, Members of Parliament nominated on the Zonal Railway Users' Consultative Committee and one Lady member preferably from the Parliament or from the Legislature of any State through which the Railway passes, if there is no lady member in the Committee otherwise.

(c) No, there is no resentment. There are representations in certain cases which are duly looked into to meet the conflicting demands as far as possible.

(d) No.

केरल में दूसरा सूक्ष्म उपकरण कारखाना स्थापित किया जाना

5312. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने केरल के मुख्य मंत्री को यह आश्वासन दिया था कि केन्द्र द्वारा दूसरा कारखाना निर्मित करने के बारे में निर्णय करने की स्थिति में दूसरा सूक्ष्म उपक्रम कारखाना केरल में निर्मित किया जाएगा;

(ख) क्या राजस्थान में मुख्य मंत्री ने कहा है कि कोटा में सूक्ष्म उपक्रम कारखाने का विस्तार करना नए कारखाने की स्थापना करने से बेहतर होगा; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सरकार ने निश्चय किया है कि कभी सरकारी क्षेत्र में दूसरा प्रिसीजन उपकरण एकक लगाने की आवश्यकता अनुभव की जाने पर, पूर्व निश्चय के अनुसार केरल राज्य के पालघाट में यह कारखाना लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(ख) राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को लिखे गये हाल के ही अपने एक पत्र में कोटा स्थित इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०, कोटा के विस्तार का निवेदन किया था।

(ग) सरकार ने ऊपर (क) में उल्लिखित निश्चय करने में मामले के सभी पहलुओं पर विचार कर लिया था।

कुरसियोंग (पश्चिम बंगाल) में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुद्रणालय की पारियों में वृद्धि

5313. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुरसियोंग दार्जिलिंग जिला पश्चिम बंगाल स्थित मुद्रणालय केवल दो पारियां चला रहा है और रेलवे की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं है तथा बड़ी संख्या में छपाई आर्डर बाहर भेजे जा रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे की समूची आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से इस मुद्रणालय में तीन पारियाँ चलाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, हाँ। दूसरी पारी केवल आंशिक रूप से चलायी जाती है। जिन प्रकाशनों में जिल्द बँधाई और छपाई का काम बहुत अधिक होता है उनके लिए प्राइवेट मुद्रणालयों में व्यवस्था की जाती है।

(ख) जी, नहीं। फिर भी, पूरी दूसरी पारी चलाने के प्रस्तावों पर विचार हो रहा है।

(ग) पूरी दूसरी पारी चलाने से रेलवे की लगभग सभी आवश्यकताएँ पूरी हो जायेंगी।

पूर्वी रेलवे के हावड़ा तथा बर्दवान डिवीजनों में कार्य कर रहे खाद्य विक्रेताओं के लिये भविष्य निधि संबंधी सुविधायें

5314. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे की हावड़ा तथा बर्दवान डिवीजनों में कार्य कर रहे खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के लिये भविष्य निधि संबंधी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी सुविधायें प्रदान करने के लिये सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : हावड़ा मण्डल अथवा किसी अन्य मण्डल में खान-पान विक्रेताओं के लिए भविष्यनिधि की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वर्दवान में कोई अलग मण्डल नहीं है। यह हावड़ा मण्डल का ही एक स्टेशन है।

(ख) और (ग). विभागीय खान-पान यूनिटों में कमीशन के आधार पर काम करने वाले विक्रेता रेल कर्मचारी नहीं हैं और इसलिए वे भविष्य निधि लाभ के पात्र नहीं हैं।

भारतीय सहयोग से फिलीपीन में इन्जीनियरी उद्योगों की स्थापना

5315. **श्री एस० एम० कृष्ण** :
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने देश में इन्जीनियरी उद्योगों की स्थापना संबंधी संभावना का पता लगाने हेतु फिलीपिनी मिशन के भारत के दौरे पर आने की संभावना है;

(ख) क्या भारत फिलिपिन्स के बीच यह संयुक्त सहयोग होगा;

(ग) भारत सरकार का विचार उस देश को किस प्रकार की सहायता देने का है; और

(घ) इस संबंध में फिलिपाइन्स निवेश बोर्ड के चेयरमैन द्वारा हाल ही में किए गए भारत के दौरे के क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). भारत सरकार के निमंत्रण पर माननीय श्री विसेन्ट टी० पटेर्नो, अध्यक्ष, विनियोजन बोर्ड, फिलिपाइन्स, जून, 1971 में एक सप्ताह के दौरे पर भारत आये। दौरे के दौरान माननीय श्री पटेर्नो ने सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कई औद्योगिक एकक देखे और भारत सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। वह भारत द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में की गई प्रगति से प्रभावित हुए और फिलिपाइन्स में मैकेनिकल इंजिनियरी उद्योग, विशेष कर मोटर गाड़ी सहायक उद्योग, के विकास करने में भारत का सहयोग प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने इंजिनियरों और व्यापारियों का एक शिष्टमंडल नवम्बर, 1971 में भारत के दौरे पर भेजने का अपना इरादा भी प्रकट किया, जिससे वे अपने लिए इन क्षेत्रों में भारत की योग्यता मालूम करें।

2. भारत और फिलिपाइन्स के बीच सहयोग का स्वरूप और सीमा फिलिपाइन्स के शिष्टमंडल से विचार-विमर्श के पश्चात उसके परिणाम पर निर्भर करेगा।

जारी किए जाने के छः महीने के भीतर उपयोग न किए जाने वाले लाइसेंसों का रद्द किया जाना

5316. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत औद्योगिक एकक की स्थापना के लिए जारी किया गया लाइसेंस उस स्थिति में रद्द कर दिया जाएगा जब लाइसेंस जारी करने की तिथि से छः महीने के भीतर उसको क्रियान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक किया जाएगा; और

(ग) यह निर्णय विशेष क्षेत्रों में औद्योगिक क्षमता के पूर्वक्रम की प्रथा को कहाँ तक निरुत्साहित करेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). छः अथवा बारह मास की वैद्य अवधि में औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करने की नीति को परियोजना के कार्यान्वियन में लगने वाले समय पर निर्भर करती है अभी भी जारी है। यदि कोई लाइसेंस निर्दिष्ट अवधि के अन्दर-अन्दर क्रियान्वित नहीं किया जाता है तो वैद्य अवधि को बढ़ाने के लिए साधारणतया अनुरोध प्राप्त होते हैं और उन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। संबंधित उद्योगों के प्रभारी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग लाइसेंसों के अकार्यान्वियन के मामलों में कार्यवाही करने हेतु जहाँ आवश्यक हो और लाइसेंस के कार्यान्वियन पर निगरानी रखने के लिए एक प्रणाली बना कर रखते हैं। विभिन्न उद्योगों में पूर्वक्रमाधिकार की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए सरकार अब औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन-पत्रों पर विचार करते समय क्षमता पर कड़ाई से विचार नहीं करती है।

पंचेट हिल, धनबाद, बिहार में दूसरे पन-बिजली एकक की स्थापना

5317. **डा० रानेन सेन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचेट हिल, धनबाद, बिहार में दूसरा पन-बिजली एकक नाममात्र व्यय पर स्थापित किया जा सकता है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसको मंजूरी न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). दामोदर घाटी निगम ने मानसून के महीनों के दौरान अतिरिक्त उत्पादन करके तथा प्रणाली की वास्तविक क्षमता बढ़ा कर लाभ देने के लिए 362 लाख रुपये की लागत पर 40 मैगावाट के एक अतिरिक्त यूनिट से पंचेट-पर्वत विद्युत केन्द्र के विस्तार का प्रस्ताव रखा था। जाँच करने पर यह

पता चला कि इस स्कीम से मानसून के महीनों में केवल मौसमी विद्युत का ही जनन होगा और वास्तविक क्षमता में परिकल्पित मात्रा तक वृद्धि नहीं होगी। दामोदर घाटी निगम ने हाल ही में यह स्पष्ट किया है कि इस स्कीम से पर्याप्त आरक्षित लाभ होंगे। अतः इस स्कीम की जाँच और आगे हो रही है।

फरक्का बाँध परियोजना के साथ "लो हैड" पन-बिजलीघर स्थापित करने का प्रस्ताव

5318. **डा० रानेन सेन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बाँध परियोजना के साथ जिसकी योजना पहले ही बनाई गई थी एक "लो हैड" पन-बिजलीघर की स्थापना करने का प्रस्ताव था;

(ख) क्या रूसी विशेषज्ञों ने ऐसे बिजलीघर की स्थापना का सुझाव दिया था; और

(ग) इस प्रस्ताव को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). रूसी विशेषज्ञ के सुझाव पर, फरक्का बराज पर विद्युत उत्पन्न करने के प्रश्न की जाँच की गई; परन्तु इसे आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाया गया।

दामोदर घाटी निगम के तापीय एककों का कार्य

5319. **डा० रानेन सेन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैन एककों के असन्तोषजनक कार्य के अतिरिक्त दामोदर घाटी निगम के अन्य तापीय एकक जिसमें नए तापीय एकक भी शामिल हैं सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या वर्षा के कारण बार-बार कमी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है; और

(ग) यदि हाँ, तो दामोदर घाटी निगम में इस त्रुटि को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) दामोदर घाटी निगम की अन्य तापीय यूनिटें, जिनमें नई यूनिटें भी सम्मिलित हैं, साधारणतः संतोषजनक कार्य कर रहीं हैं।

(ख) और (ग). भारी वृष्टि के दौरान जबकि कोयला बहुत गीला हो जाता है तापीय संयंत्रों के बायलरों में कोयला अबाध रूप से नहीं पहुँच पाता, जिससे लगातार एक सी आग नहीं मिल पाती। इसके परिणामस्वरूप किसी समय अस्थायी रूप से बिजली बंद हो जाती है। आपरेटरों को सजग करने के वास्ते कि वे आपातकाल के दौरान तुरन्त तेल से संयंत्र चलायें,

एहतिहाती नो-कोल फ्लो अलार्मों को लगाया गया है । अत्यधिक वृष्टि के दौरान कोयले के अधिक गीला होने में कमी करने के वास्ते उपयुक्त आकार के मिडलिंगों के साथ स्टाकों के निर्माण करने के लिए कदम उठाये गये हैं ।

दामोदर घाटी निगम में "मैन" तापीय प्रजनन एककों का कार्य

5320. **डा० रानेन सेन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के "मैन" तापीय प्रजनन एकक स्थापना के समय से ही भली-भाँति कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या दामोदर घाटी निगम के इंजीनियरों ने आपत्तिजनक परिस्थितियों में इनके सन्तोषजनक रूप से कार्य करने का आश्वासन दिया था; और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक एकक की निर्धारित क्षमता कितनी है जिसके आधार पर क्रय किया गया था; और

(घ) इस समय प्रत्येक एकक में कितना उत्पादन होता है और प्रत्येक एकक से कितना उत्पादन हो सकता है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). दामोदर घाटी निगम के एम० ए० एन० यूनिटों के प्रचालन के दौरान प्रारम्भिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इन्हें बड़ी-बड़ी तरमीमें करके खत्म कर दिया गया । स्वीकरण (ऐक्से-प्टेंस) परीक्षण किये गये और जब मुख्य इन्जीनियर, दामोदर घाटी निगम समेत विशेषज्ञों के पैनल द्वारा परिव्ययों को स्वीकार्य पाया गया तो निगम ने यूनिट ले लिए । इन यूनिटों ने इसके पश्चात् तीन वर्षों के लिए संतोषजक कार्य किया ।

(ग) 75 मैगावाट ।

(घ) मुख्यतः इस बिजलीघर में प्रयोग किए जाने वाले कोयले के बहुत अधिक अपघर्षी तत्व के कारण जिसके परिणामस्वरूप सहायक मशीनों (जिनमें ड्राफ्ट फैन और कोयला मिल शामिल हैं) को बहुत टूट फूट हुई, यह पाबंदी लगा दी गई है कि प्रत्येक यूनिट 55 मैगावाट तक बिजली उत्पन्न कर सकता है । उपलभ्यता तत्व 55% से 70% तक होता है ।

उच्चतम न्यायालय में अनिर्णीत पड़े मामले

5321. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उच्चतम न्यायालय की वर्ष में कितने दिन बैठकें होती हैं ।

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय में बहुत से मामले एक वर्ष या इससे अधिक समय से अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ग) क्या अनिर्णीत मामलों में विशेष अनुमति वाली कुछ ऐसी अपीलें भी हैं जो उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट की गयी फाँसी की सजाओं से संबंधित हैं ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) उच्चतम न्यायालय की छुट्टी के दिनों की बैठकों के अलावा वर्ष में 182 दिन बैठकें होती हैं ।

(ख) उच्चतम न्यायालय में एक वर्ष या इससे अधिक समय से अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या 4037 है ।

(ग) उच्च न्यायालयों द्वारा पुष्ट की गई फाँसी की सजा पर विशेष इजाजत वाली 15 अपीलें हैं, जो उच्चतम न्यायालय में लम्बित हैं, किन्तु ये मामले एक वर्ष से कम समय से लम्बित हैं ।

कानपुर और लखनऊ के मध्य विद्युतीकरण

5322. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर और लखनऊ के मध्य विद्युतीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) (क) अभी कानपुर-लखनऊ खण्ड के बिजलीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कानपुर-लखनऊ खण्ड के बिजलीकरण के प्रस्ताव की जाँच करने से पता चला है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में और उसके बाद भी यातायात में प्रत्याशित वृद्धि को सम्हालने के लिए कर्षण के वर्तमान स्वरूप में ही पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है ।

ओबरा तापीय विद्युत केन्द्र कारखाने का विस्तार करने की योजना

5323. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओबरा तापीय विद्युत केन्द्र कारखाने का विस्तार करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके विस्तार पर कितना व्यय होने का अनुमान है;

(ग) विस्तार कार्यक्रम कब तक पूरा हो जाएगा;

(घ) क्या कोई जेनरेटर लगाने का विचार है; और

(ड़) यदि हाँ, तो इसकी क्षमता कितने मिलियन वाट होगी और यह कितनी बिजली उत्पन्न करेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हाँ। ओबरा ताप विद्युत केन्द्र कम्पलेक्स का कई चरणों में विस्तार करने की एक स्कीम है।

(ख) विस्तार के विभिन्न चरणों की अनुमानित लागत निम्नलिखित हैं :

ओबरा ताप विद्युत विस्तार चरण-I 3 × 100 मैगावाट	रु० 53·34 करोड़
ओबरा ताप विद्युत विस्तार चरण-II 3 × 100 मैगावाट	रु० 90·00 करोड़
ओबरा ताप विद्युत विस्तार चरण-III 2 × 200 मैगावाट	रु० 60·13 करोड़
रिहंद नदी के विपरीत किनारे पर नया ताप विद्युत केन्द्र (5 × 200 मैगावट)	रु० 148·25 करोड़

(ग) विस्तार कार्यक्रम का चरण-एक (3 × 100) मैगावाट पहले से ही स्वीकृत हो चुका है और उस पर कार्य किया जा रहा है। इस चरण से 1973-74 तक लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है।

विस्तार कार्यक्रम के चरण-दो (3 × 200 मैगावाट) को सिद्धान्त रूप से कार्यान्वियन के लिए स्वीकार कर लिया गया है। परियोजना का पाँचवीं योजनावधि में पूर्ण होना संभावित है।

ओबरा ताप विद्युत विस्तार के चरण-तीन (2 × 200 मैगावाट) के लिए और विपरीत किनारे पर नए विद्युत केन्द्र के लिए प्रस्तावों पर केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में जाँच हो रही है। ये यूनिटें कब तक चालू हो सकेंगी, यह अभी बताना संभव नहीं है।

(घ) और (ड़). विभिन्न चरणों के अन्तर्गत निम्नलिखित टर्बो-जेनरेटर सेटों को लगाने का प्रस्ताव है :

	प्रतिष्ठापित क्षमता	वार्षिक ऊर्जा उपलभ्य
(1) चरण-एक	3 × 100 मैगावाट	1840 मिलियन यूनिट
(2) चरण-दो	3 × 200 मैगावाट	3680 मिलियन यूनिट
(3) चरण-तीन	2 × 200 मैगावाट	2450 मिलियन यूनिट
(4) विपरीत किनारे पर नया विद्युत केन्द्र	5 × 200 मैगावाट	6100 मिलियन यूनिट

इलाहाबाद में टायर का कारखाना

5324. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद में टायर का एक कारखाना स्थापित किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी क्षमता कितनी होगी तथा उससे कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा; और

(ग) क्या इस कारखाने में 1972 में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस कारखाने की वार्षिक क्षमता बीस लाख बाईसिकिल टायर और ट्यूबें तथा 3 लाख मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूबें है। पार्टी ने बताया है कि बाईसिकिल और मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूबें बनाने की फैक्टरी में नौ सौ श्रमिकों को रोजगार मिलेगा।

(ग) पहली जून, 1971 से इन्होंने बाईसिकिल टायरों का परीक्षण उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है और मोटर गाडियों के टायर उत्पादन प्रारम्भ करने में अभी 2 से 3 वर्ष तक लग सकते हैं।

तमिलनाडु स्थित परमाणु विद्युत केन्द्र से राज्यों को विद्युत का वितरण

5325. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कलपक्कम स्थित परमाणु विद्युत केन्द्र में पैदा की जाने वाली विद्युत के संबंधित विभिन्न राज्यों में कितना-कितना भाग आबंटित किया गया है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अपने भाग का उपयोग करने हेतु प्रेषण लाइनों की व्यवस्था करने तथा उसे सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता की माँग की है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) परमाणु विद्युत केन्द्र, कलपक्कम में 215-215 मैगावाट के दो उत्पादन सेट स्थापित किए जाने हैं। प्रथम यूनिट से सारा का सारा तथा दूसरी यूनिट से 50 प्रतिशत उत्पादन तमिलनाडु को उपलब्ध किया जाएगा। शेष उत्पादन दक्षिणी क्षेत्र के दूसरे राज्यों नामशः आंध्र प्रदेश, मैसूर और केरल के लिए पृथक रक्षित किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई परियोजनाओं से की जाने वाली सिंचाई की अपेक्षा विद्युत लिफ्ट सिंचाई व्यवस्था के अन्तर्गत की जाने वाली सिंचाई पर आने वाले व्यय का अधिक होना

5326. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में विद्युत लिफ्ट सिंचाई के अंतर्गत आने वाला प्रति एकड़ सिंचाई व्यय सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत की जाने वाली सिंचाई से पाँच से छः गुना अधिक है;

(ख) यदि हाँ, तो लिफ्ट सिंचाई पर आने वाले व्यय को कम करने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऊँचाई वाले क्षेत्रों में लिफ्ट सिंचाई हेतु विद्युत शुल्क के लिए आर्थिक सहायता देने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) 'लिफ्ट' सिंचाई पम्पों को लगातार ऊर्जित करना होता है। इसलिए यह नहरी सिंचाई से अधिक मँहगी पड़ती है जिसमें गुरुत्व के आधार पर सप्लाई की जाती है।

(ख) और (ग). 1966 और 1969 के बीच, यदि वास्तविक विद्युत शुल्क 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक हो, तो शुल्क जितना 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक होता था उतना उपदान दिया जाता था और उपदान की यह राशि भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार के बीच बाँटी जा रही थी। बहरहाल, यह उपदान किसानों को पम्पों के ऊर्जन के परिणाम स्वरूप होने वाले अधिक लाभों तथा अन्य फायदों को ध्यान में रखते हुए खत्म कर दिया गया।

गुंटाकल डिवीजन में सदर्न रेलवे मजदूर यूनियन द्वारा भूख हड़ताल का नोटिस

5327. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुंटाकल डिवीजन में सदर्न रेलवे मजदूर यूनियन ने डिवीजनल कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल करने का नोटिस दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उनके नोटिस में किन-किन कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है; और

(ग) उन कठिनाइयों का उसी समय विचार-विमर्श करके हल न करने के क्या कारण हैं, जब वे उत्पन्न होती हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, हाँ ।

(ख) यूनियन के पत्र में उल्लिखित शिकायतें इस प्रकार हैं :

(1) रेनीगुंटा के कम्पाउंड की दीवार के गिर जाने के लिए तथाकथित उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा कार्यवाही न करना।

(2) गूत्ती के डीजल शैड में 2 और 3 अप्रैल, 71 को अवैध रूप से काम बन्द कर देने के कारण सेवा भंग होना।

(3) सितम्बर, 1968 में हुई हड़ताल के संबंध में गिरफ्तार किये गये 7 अस्थायी कर्मचारियों के बारे में छूट दिवस की अवधि को नियमित न किया जाना।

(4) गुंतकल के यानान्तरण शैड के हमालों को स्थायी न करना।

(5) इंजीनियरी विभाग के कुछ कर्मचारियों का परावर्तन।

(6) नैमित्तिक श्रमिकों को प्राधिकृत वेतनमान न देना।

(7) रेल पथ निरीक्षक के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को छुट्टी और आवधिक विश्राम मंजूर न करना।

(8) दो गैंगमैनों का पारस्परिक स्थानान्तरण अनुमोदित न करना।

(9) रेलवे अस्पताल में कथित दुर्व्यवहार।

(10) महाप्रबन्धक द्वारा दिये गये आश्वासन को क्रियान्वित न करना।

(11) यातायात कर्मचारियों को प्राधिकृत वेतनमान मंजूर न करना।

(12) कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धियाँ शीघ्र तथा नियमित रूप से मंजूर न करना।

(13) कर्मचारियों को यात्रा-भत्ता तथा भविष्य-निधि से ऋण की अदायगी समय पर न करना।

(ग) चूँकि दक्षिण रेलवे मजदूर यूनियन एक मान्यता प्राप्त यूनियन है, अतः उसे स्थायी वार्तातंत्र के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर रेल प्रशासन से वार्ता करने की सुविधा प्राप्त है। यूनियन द्वारा कार्य सूची में शामिल की गयी शिकायतों पर विचार-विमर्श किया जाता है ताकि उनका समाधान किया जा सके।

भाग (ख) के उत्तर से संबंधित शिकायतों की जाँच की गई है और उन पर की गयी कार्यवाही से यूनियन को अवगत करा दिया गया है।

रेलवे अस्पताल के बाहर गुंतकल डीजल शैड कर्मचारियों का प्रदर्शन

5328. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुंतकल डीजल शैड कर्मचारियों ने 2 और 3 अप्रैल, 1971 को रेलवे अस्पताल के बाहर लगातार प्रदर्शन किया था और इसके परिणामस्वरूप उनकी सेवाओं में व्यवधान हुआ माना गया है;

(ख) क्या गुंतकल में चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध पहले भी शिकायतें की गई थीं;

(ग) रेलवे अधिकारियों द्वारा उस समय कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं जब शिकायतें प्राप्त हुई थीं;

(घ) 2 और 3 अप्रैल, 1971 को प्रदर्शन के उपरान्त क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) क्या कर्मचारियों की सेवाओं में व्यवधान को रद्द अथवा क्षमा कर दिया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ; 2-4-1971 को रेलवे अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात रेलवे डाक्टर की एक घायल कर्मचारी की समुचित परिचर्या में कथित असफलता के विरोध में डीजल शैड, गुंतकल के कुछ कर्मचारियों द्वारा 2 और 3 अप्रैल, 1971 को प्रदर्शन और काम बन्द करने की अवैधानिक कार्यवाही की गयी थी। वर्तमान रेल नियमों के अनुसार अवधानिक हड़ताल में भाग लेने से सेवा स्वत: ही भंग हो जाती है।

(ख) और (ग). जी हाँ; रोगियों की देख-भाल, उनका उपचार और उनके भोजन की व्यवस्था के संबंध में दक्षिण रेलवे मजदूर यूनियन ने शिकायत की थी। रेल प्रशासन ने यूनियन के प्रतिनिधियों से इस मामले पर विचार-विमर्श किया था और इस विचार-विमर्श के आधार पर जो कार्यवाही आवश्यक समझी गयी, की गयी।

(घ) रेलवे अस्पताल में 2-4-1971 को जो घटना हुई, उसके संबंध में जाँच की गयी और उससे यह पता चला कि डाक्टर ने रोगी के संबंध में उपयुक्त कार्यवाही की थी।

(ङ) जी, नहीं। अवैधानिक हड़ताल में भाग लेने के परिणामस्वरूप जो सेवा भंग की जाती है उसे नैमी रूप में नहीं, बल्कि पर्याप्त औचित्य होने पर ही क्षमा किया जाता है।

सिकन्दराबाद (दक्षिण मध्य रेलवे) स्थित रेलवे गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल का दर्जा बढ़ाया जाना

5329. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) सिकन्दराबाद स्थित रेलवे गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल में स्कूल वर्ष 1970-71 के अन्त में कुल कितने विद्यार्थी थे;

(ख) क्या दक्षिण मध्य रेलवे अधिकारियों को इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें स्कूल का दर्जा हाई स्कूल तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सिकन्दराबाद में रेलवे कर्मचारियों की संख्या में भारी वृद्धि को देखते हुए इस मामले पर विचार किया गया है; और

(घ) इस संबंध में प्रशासन ने क्या निर्णय किया है;

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) 684.

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ). यह प्रश्न रेल प्रशासन के विचाराधीन है और आशा है शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा।

दक्षिण रेलवे के मन्नानूर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म को ऊँचा करना

5330. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि मन्नानूर रेलवे प्लेटफार्म, ओलवाकरोड डिवीजन दक्षिण रेलवे, केरल को ऊँचा किया जाय; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, हाँ।

(ख) मन्नानूर स्टेशन जो कि एक हाल्ट स्टेशन था, केवल परिचालनिक कारणों से उसे क्रासिंग स्टेशन में बदला गया है। वहाँ के यातायात के वर्तमान स्तर को देखते हुए एक ऊँचे प्लेटफार्म की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं है।

गार्डों की वरिष्ठता के संबंध में 'पश्चिम रेलवे मजदूर संघ, भावनगर' द्वारा भूख हड़ताल

5331. **श्री पी० एम० मेहता** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम रेलवे पर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ, भावनगर (गुजरात) तथा पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के सहयोगियों ने 1 जुलाई, 1971 से गार्डों के वरिष्ठता संबंधी मामले, जिनमें न्याय नहीं किया गया है, के विरोध में, भूख हड़ताल पर रहने का निश्चय किया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक ने कुछ आदेश जारी किये हैं जिन्हें अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कार्य रूप नहीं दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). मामले पर अभी विचार हो रहा है।

Broad Gauge line from Barauni to Katihar (North Eastern Railway)

5332. SHRI G. P. YADAV : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct a broad gauge line from Barauni Jn. Station to Katihar on the North Eastern Railway;

(b) if so, the further action proposed to be taken in this regard; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI HANUMANTHAIYA) : (a) to (c). Surveys for the conversion of the Barauni-Katihar metre gauge section into broad gauge have been completed and the reports are under examination. An economic study for this conversion scheme is also in progress. A final decision regarding the conversion of this section will be taken after the Survey and Economic Study Reports are examined from all angles.

Introduction of New Train between Thana Bihpur Junction Station and Katihar Station on North Eastern Railway

5333. SHRI G. P. YADAV : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce a new train between Thana Bihpur Junction and Katihar Jn. on the North Eastern Railway for the convenience of local passengers, if so, by what time; and

(b) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI HANUMANTHAIYA) : (a) and (b). Introduction of an additional passenger local train between Thana Bihpur and Katihar is neither justified by the present level of traffic nor is it possible to introduce the same for want of capacity over the section, especially Karhagola-Katareah Single line section, because the section is very intensively utilised with traffic for and from North East Frontier Railway which serves strategic areas of Assam, NEFA, etc.

Halt for Express/Mail Train at Narayanpur Station on North Eastern Railway

5334. SHRI G. P. YADAV : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether no Express or Mail train halts at Narayanpur Railway Station on the North Eastern Railway, if so, the reasons therefor;

(b) whether a Hospital, a College and a good market is located in Narayanpur; and

(c) if so, whether Railways would provide a halt of Express and Mail trains at the said Station and if so, by what time ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI HANUMANTHAIYA) : (a) Yes, no Mail/Express trains stop at Narayanpur station as the offering of long distance traffic at this station is too meagre.

(b) Yes.

(c) No such proposal is under consideration at present.

रेलवे विद्युतीकरण (दक्षिण पूर्व रेलवे) हेतु पूंजीगत परिव्यय से प्राप्त धनराशि का वापिस किया जाना

5335. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1970-71 के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे पर रेल विद्युतीकरण कार्य के लिए पूँजीगत परिव्यय कितना है;

(ख) क्या पूँजीगत परिव्यय की समस्त राशि उक्त वित्तीय वर्ष में व्यय किये जाने के लिए बुक की गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो कितनी राशि वापिस की गई थी; और

(घ) धनराशि वापिस किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) 5·10 करोड़ रुपये ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) 2·77 करोड़ रुपये ।

(घ) मुख्यतः अधिशेष सामानों की निकासी से जितनी रकम जमा खाते में प्राप्त होने की प्रत्याशा थी उसकी अपेक्षा अधिक रकम प्राप्त होने, क्रनों और अनुरक्षण के फालतू पुर्जों को चालू लाइन रेलों को अन्तरित किये जाने और लोको सम्बन्धी नाम खातों की रकमों का समायोजन करने तथा कुछ पदों के अप्रवर्तन के कारण कर्मचारियों पर कम खर्च होने के कारण धनराशि अभ्यर्पित की गयी ।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे पर ठेकेदारों को खाद्य पदार्थ बेचने के ठेके

5336. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में कुछ ही खाद्य पदार्थ बेचने वाले ऐसे ठेकेदार हैं जिन्हें सदैव ही ऐसे ठेके लेने का अवसर मिलता है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में गत 10 वर्षों से कार्य कर रहे ऐसे ठेकेदारों के नाम क्या हैं तथा ठेके की शर्त क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रकार के ठेकों के लिये खुले टेन्डर मँगाने की कोई व्यवस्था है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) ऐसे कोई ठेकेदार नहीं हैं जिन्हें बार-बार ठेके दिये जाते हैं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०— 692/71.**]।

(ग) जी, नहीं।

(घ) टेण्डर माँगने और सबसे ऊँचे टेण्डर के आधार पर ठेकेदारों के चयन करने की परिपाटी का परिणाम यह होता है कि कुछ ठेकेदार ठेका लेने के अभिप्राय से बहुत ऊँची दरें दे देते हैं जिसके कारण सेवा के स्तर में गिरावट आ जाती है। नीति यह है कि विभिन्न ठेकों के लिए निर्धारित दर पर लाइसेंस फीस ली जाये और ठेकेदारों को गुण-दोष के आधार पर चुना जाये।

फेरी वालों तथा खान-पान की व्यवस्था करने वालों को रेलवे स्टेशन पर काम करने के लिए लाइसेंस देना

5337. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी की गम्भीरता को देखते हुए सभी रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर काम करने के लिये उनके मंत्रालय की छोटे-छोटे फेरी वालों तथा खान-पान का प्रबंध करने वालों को लाइसेंस देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) (क) और (ख). सामान्यतः स्टेशनों पर खान-पान/खोमचे के लिए जो जगहें खाली होती हैं, उन्हें भरने के सिवाय अलग से लाइसेंस जारी करने की कोई योजना नहीं है।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में नये कूच-बिहार रेलवे स्टेशन पर जलपान गृह तथा छोटे खोमचों पर ठेकेदार का एकाधिकार

5338. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के नये कूच-बिहार रेलवे स्टेशन पर एक ठेकेदार जिसका रेलवे जलपान गृह तथा छोटे खोमचों पर एकाधिकार है अन्य विक्रेताओं को रेलवे स्टेशन पर वस्तुएँ न बेचने देने की धमकी दे रहा है; और

(ख) उन ठेकेदार/ठेकेदारों के नाम क्या हैं जो गत दस वर्षों से, नये कूच-बिहार रेलवे स्टेशन पर कार्य कर रहे हैं और ठेकेदारी की शर्तें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) न्यू कूच-बिहार स्टेशन 1965 में खोला गया था। इस स्टेशन पर काम करने वाले खान-पान और वैंडिग ठेकेदारों का ब्यौरा तथा उनके ठेके की अवधि नीचे दिखायी गयी है :

ठेकेदार का नाम	ठेके का ब्यौरा	ठेके की अवधि से	तक
(1) श्री एस० बनर्जी	सामिष भोजनालय	22-2-66	31-3-70*
(2) श्री एस० सी० डे	(क) चाय की दूकान	(क) 1-4-67	31-3-73
	(ख) चाय और रोटी के लिए एक डल्ला	(ख) 11-9-68	31-3-73
(3) श्री जे० सी० राय	(क) चाय काउन्टर	(क) 18-6-67	31-3-73
	(ख) एक चाय डल्ला	(ख) 5-7-68	31-3-73
(4) श्री आर० एस० घोष	मिठाई और पूड़ी के लिए एक रेड़ी	9-10-69	6-5-74

* न्यायालय के निषेधाज्ञा के अन्तर्गत काम कर रहा है।

न्यू कूच बिहार रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) के निकट कृषि के लिए फालतू भूमि

5339. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने यह निर्णय किया है कि फालतू भूमि को कृषि के लिए पट्टे पर दिया जाये;

(ख) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के न्यू कूच बिहार रेलवे स्टेशन पर कितने एकड़ फालतू भूमि है और कृषि के लिए इस प्रकार की फालतू भूमि लेने हेतु क्या कुछ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे कितने प्रार्थी हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) वर्तमान नीति के अनुसार, रेलवे की फालतू जमीन खेती के लिए पट्टे पर दी जाती है, रेलवे स्टेशनों के बीच की जमीन राज्य सरकार के माध्यम से और स्टेशन यार्डों तथा कर्मचारी-बस्तियों की जमीन सीधे रेलवे द्वारा।

(ख) कूच बिहार में रेलवे की 300 एकड़ जमीन खेती के लिए उपलब्ध है लेकिन अभी तक किसी भी प्रार्थी ने पट्टे पर लेने के लिए रेलवे से लिखा-पढ़ी नहीं की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे विद्युतीकरण की बिलासपुर यूनिट तथा कलकत्ता आर्गेनाइजेशन का दक्षिण पूर्व रेलवे में मिलाना

5340. **डा० सरदीश राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विद्युतीकरण की बिलासपुर यूनिट तथा ऐसीडुअल कलकत्ता आर्गेनाइज़ेशन को दक्षिण पूर्व रेलवे के साथ मिला दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या रेलवे विद्युतीकरण अब भी एक स्वतंत्र संगठन है और उक्त यूनिट ऐसे ही स्वतंत्र संगठन के भाग हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन में फेरी लगा कर खान-पान का सामान बेचने वालों द्वारा बिक्री के सामान पर अधिक कमीशन देने के लिए माँग

5341. **डा० सरदीश राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन में फेरी लगा कर खान-पान का सामान बेचने वालों द्वारा की गई उस माँग पर विचार कर रही है कि जब तक रेलवे विभाग द्वारा उक्त लोगों को अपनी सेवा में नहीं लिया जाता तब तक सामान की बिक्री पर कमीशन में 10 प्रतिशत वृद्धि की जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे में वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण

5342. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक रेलवे से दूसरी रेलवे में जिन वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिए आदेश जारी किये गये हैं, उनकी संख्या लगभग 80 है;

(ख) क्या कुछ अधिकारियों से छुट्टी पर जाने के लिए कहा गया है और कुछ अधिकारियों की पदावनति कर दी गई है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके कारण तथा औचित्य क्या हैं; और

(घ) क्या ये आदेश वरिष्ठ अधिकारियों तक ही समिति रखे गये हैं अथवा दूसरी श्रेणियों के अधिकारियों पर भी ये लागू होते हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) पिछले एक महीने में विभागाध्यक्ष और इससे ऊपर के औहदे के 24 वरिष्ठ रेल अधिकारियों को एक रेलवे से दूसरी रेलवे में स्थानांतरित किया गया है।

(ख) और (ग). 4 अधिकारियों को कहा गया था कि वे नियुक्ति होने तक छुट्टी पर चले जायें। उनमें से दो की एक महीने के भीतर ही नियुक्ति की जा चुकी है। बाकी दो अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में शीघ्र निर्णय किया जा रहा है। किसी को भी निचले ग्रेड में परावर्तित नहीं किया गया है।

(घ) विभागाध्यक्ष से कम औहदे के लगभग 53 अधिकारियों को भी स्थानान्तरित किया गया था।

पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में जंजीर खींचने, चोरी आदि के मामले

5343. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में वर्ष 1970-71 में जंजीर खींचने, तारों की चोरी, सिगनल उपकरणों से जानबूझकर छेड़-छाड़ और फिश प्लेटों के हटाये जाने के अलग-अलग कितने मामले हुए तथा कितनी वित्तीय हानि हुई;

(ख) क्या अपराधों को देखते हुए बन्दी बनाये गये व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है क्योंकि इस डिवीजन में प्रतिदिन 415,000 सीजन टिकट वाले यात्री यात्रा करते हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) 1970-71 के दौरान पूर्व रेलवे के सियालदह मण्डल में खतरे की जंजीर खींचने के 7,074 मामले हुए। खतरे की जंजीर खींचने के कारण कोई प्रत्यक्ष वित्तीय हानि नहीं हुई। ऊपरी तारों की चोरी की 189 घटनाएं हुईं जिनके कारण कारण 69,712 रुपये की हानि हुई। सिगनल उपस्करों की छेड़-छाड़ की 295 घटनाएं हुईं जिनके कारण 1,27,563 रुपये की हानि हुई। तीन बार फिश-प्लेटें हटायी गयीं जिनसे 1,093 रुपये की वित्तीय हानि हुई।

(ख) जी, हाँ। इसका कारण यह है कि अनधिकृत रूप से खतरे की जंजीर खींचने वाले अपराधियों को पकड़वाने में जनता सहयोग नहीं देती।

अन्य सामानों की चोरी के संबंध में जितनी गिरफ्तारियाँ की गयी हैं वे माल डिब्बे तोड़ने आदि जैसे अन्य किस्म के अपराध के मामलों में की गयी गिरफ्तारियों की अपेक्षा कोई खास कम नहीं हैं।

(ग) रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों की सहायता से आकस्मिक जाँच और अनधिकृत रूप से जंजीर खींचने के लिए बदनाम स्थानों पर, घात लगाकर बदमाशों को पकड़ने के लिए आकस्मिक जाँच की व्यवस्था करने के अलावा अपराधियों को पकड़वाने और उन पर मुकदमा चलाने में सहायता करने वालों को रेलें 100 रुपये का नकद इनाम देती हैं।

राज्य पुलिस और रेलवे सुरक्षा विशेष दल के कर्मचारियों की सहायता से तत्परता से गश्त लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस समस्या को कारगर ढंग से सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय बैठकें की गयी हैं।

आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा खुला पत्र

5344. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक को एक खुला पत्र भेजा था;

(ख) यदि हाँ, तो पत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) पत्र में वर्णित मामलों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) उन मामलों पर विशेषतया पुनर्वर्गीकरण के संबंध में सरकार का विचार कितना समय लेने का है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक को इस तरह का कोई खुला पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे में इंजन/ईंधन निरीक्षकों के पद पर पदोन्नति

5345. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में इंजन/ईंधन निरीक्षकों के पदों के लिए पदोन्नति/चयन संबंधी सामान्य प्रक्रिया क्या है; और

(ख) क्या उपरोक्त भाग (क) में वर्णित प्रक्रिया का पालन पश्चिम रेलवे की डिवीजनों सहित सभी रेलवेज़ में ठीक प्रकार से किया जाता है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) सामान्य कार्यविधि के अनुसार विभिन्न ग्रेडों में लोको/ईंधन निरीक्षकों के पद पावर कंट्रोलर और सहायक लोको फोरमैन सहित लोको रनिंग शाखा के कर्मचारियों में से प्रवरण/गैर-प्रवरण के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं लेकिन शर्त यह है कि इसके लिए पात्र कर्मचारियों ने कनिष्ठ ईंधन निरीक्षक के रूप में पदोन्नति के प्रयोजन के लिए ड्राइवर की हैसियत से कम से कम 5 वर्ष तक काम किया हो। लेकिन सभी भारतीय रेलों पर पदोन्नति की यूनिटों और कर्मचारियों की कोटियों के संबंध में कोई एकरूपता नहीं है क्योंकि इसका विनिश्चय प्रत्येक रेल प्रशासन द्वारा उनकी मान्यता प्राप्त यूनियनों के परामर्श से स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

पश्चिम रेलवे पर 370-475 रुपये के वेतनमान में लोको/ईंधन निरीक्षकों के पद ड्राइवर ग्रेड 'बी' (वेतनमान 210-380 रु०) और 335-425 रुपये के वेतनमान के पावर कंट्रोलर/लोको निरीक्षक/सहायक लोको फोरमैन कोटियों में से प्रवरण के आधार पर भरे जाते हैं। 450-575 रुपये के वेतनमान में लोको/ईंधन निरीक्षकों के पद 370-485 रुपये के वेतनमान में लोको/ईंधन निरीक्षकों में से सम्पूर्ण रेलवे के आधार पर वरिष्ठता और उपयुक्तता द्वारा भरे जाते हैं।

(ख) इस मामले में निर्धारित कार्यविधि का अनुसरण विभिन्न रेल-प्रशासनों द्वारा किया जा रहा है। पश्चिम रेल-प्रशासन द्वारा निर्धारित कार्यविधि का अनुसरण उक्त रेलवे के सभी मंडलों द्वारा किया जा रहा है।

Gang Canal in Rajasthan Threatened with Closure

5346. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether Gang Canal in Rajasthan is threatened with closure again; and

(b) if so, the reason thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) There is no proposal to close the Gang Canal.

(b) Does not arise.

Issue of Licences for Setting up Cement Factories in Rajasthan

5347. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether licences for setting up Cement factories in Rajasthan have been issued;

(b) if so, in which Districts these factories are proposed to be set up;

(c) whether a licence has also been issued to the Birlas for setting up a cement factory in Bundi, Rajasthan; and

(d) if so, the reasons for delay in the setting up of the factory ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) : (a) Yes, Sir.

(b) Two in Chittorgarh and one in Udaipur.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Contracts of Refreshment cum Tea Stalls and Dining Cars given to certain Contractors on Western and Northern Railways

5348. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of contracts of Refreshment cum Tea stalls and dining cars given to Chhotey Lal Jammuna Das, Mukandi Lal and Sons, Mansha Ram Lakshmi Chand of Dahanu Road, Lal Mohammad Patel and Ishwar Das Vallabh Das on Western and Northern Railways;

(b) the steps being taken by Government to break their monopoly; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI HANUMANTHAIYA) : (a) None of the parties referred to in the Question hold any catering/vending contract on the Northern Railway. On the Western Railway also, no catering/vending contracts are at present held in the name of M/s Chhotelal Jamnadas and Co. and M/s Ishwardas Vallabhdas. The details of catering/vending contracts held by the other contractors namely M/s Mukandilal and Sons, M/s Mansharam Laxmidas of Dahanu Road and Shri Lal Mohammed Patel are given in the statement attached.

(b) There is no monopoly. The Railway Catering and Passenger Amenities Committee, 1967 recommended inter-alia. allotment of catering/vending contracts upto a ceiling limit of six units to each contractor so that his contract may be viable. Individual contractors are, therefore, considered for allotment of contracts upto this ceiling limit subject to their performances being satisfactory. The holdings of none of the contractors under reference exceed the prescribed ceiling limits.

(c) The question does not arise.

Statement

S. No.	Name of Contractor	Station	Nature of contract held	No. of units
1	2	3	4	5
1	M/s Mukandilal & Sons	Dohad	Refreshment Stall and 2 trays of cheap food packets.	½
	—do—	Borivli	2 Milk Bars.	1
	—do—	Bombay Central (Main)	1 Fruit and fancy goods stall with 3 trollies.	½
2	M/s Mansharam & Sons	Dahanu Road	Refreshment Stall with 6 vendors.	1
3	Shri Lal Mohammed Patel	Ratlam	1 Fruit Stall 3 Trollies.	1

बस्ती (उत्तर प्रदेश) में चौथी योजना के दौरान उद्योग स्थापित करना

5349. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला बस्ती को औद्योगिक विकास के लिए पिछड़े क्षेत्रों की सूची में सम्मिलित किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो वहाँ पर कौन कौन से उद्योग लगाये जाने का विचार है और चौथी योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितना पूँजी परिव्यय निश्चित है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). बस्ती

जिला उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए जिलों में से एक है जो उद्योग लगाने के लिये वित्तीय संस्थाओं से रियायती दर पर धन प्राप्त करने का हकदार है। भारत का औद्योगिक वित्त निगम, भारत का औद्योगिक तथा निदेश निगम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा कृषि पुर्नवित्त निगम द्वारा प्रायोजित एक संयुक्त दल ने उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण राज्य के औद्योगिक विभव का पता लगाने के विचार से किया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इन जिलों में उद्योगों को स्थापित करने की बात मुख्य रूप से स्वयं उद्योगियों की पहल तथा उद्योगों के संवर्धन में रत राज्य अभिकरणों पर निर्भर करती है।

पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर सीमान्त, पूर्व तथा उत्तर रेलवे के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

5350. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या रेलमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली अप्रैल, 1971 से 31 जून, 1971 के बीच पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर सीमान्त, पूर्व तथा उत्तर रेलवे में रेलवे कर्मचारियों ने किन-किन स्थानों पर हड़ताल की;

(ख) कितने जन-दिवसों की हानि हुई तथा रेलवे को कितना नुकसान हुआ; और

(ग) प्रत्येक मामले में हड़ताल करने के क्या कारण थे ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है जिसमें सूचना दी गई है।

विवरण

रेलवे	(क) उन स्थानों के नाम जहाँ 1 अप्रैल, 1971 से 30 जून, 1971 के दौरान रेल कर्मचारियों ने हड़ताल की	(ख) जितने जन दिन की हानि हुई और रेलवे को हुई हानि	(ग) प्रत्येक मामले में हड़ताल करने का कारण
1	2	3	4
उत्तर	कोई नहीं।	कुछ नहीं।	प्रश्न नहीं उठता।
पूर्वोत्तर सीमा	कुछ नहीं।	कुछ नहीं।	प्रश्न नहीं उठता।
पूर्वोत्तर	गड़हरा-बरौनी 25-3-71 से 27-4-71 तक	जन दिनों की हानि — 98,176 रेलवे को हुई हानि– लगभग 34 लाख रुपये	परियोजना भत्ता देने की माँग के कारण।
पूर्व	दानापुर मण्डल में गड़हरा 25-3-71 से 27-4-71 तक	जन दिनों की हुई हानि — 330,33 रेलवे को हानि— लगभग 19 लाख रुपये	परियोजना भत्ता देने की माँग के कारण।

रेलवे सेवा आयोग द्वारा परीक्षा न लिये गये आशुलिपिकों को राहत

5351. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व रेलवे मंत्री, डा० राम सुभग सिंह ने उन आशुलिपिकों को कुछ राहत देने का निर्णय किया था जो 1960 के पश्चात् नियुक्त किये गये थे तथा जिनकी नियुक्ति के समय रेलवे सेवा आयोग, इलाहाबाद ने रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक पी० सी० 60/पी० एस० 51/ ओ० एस०-4, दिनांक 19 अगस्त, 1960 के अनुसार 100 या 120 शब्द प्रति मिनट की क्षमता पर उनकी परीक्षा नहीं ली थी;

(ख) क्या 1½ वर्ष से अधिक अवधि के व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी उक्त निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो देरी के और कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस निर्णय को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). जी, हाँ। इस विनिश्चय को कार्यान्वित कर दिया गया है कि जिन संबंधित स्टैनोग्राफरों ने सेवा आरम्भ करने के तुरन्त बाद पहले उपलब्ध अवसर पर प्रथम प्रयास में ही उच्चतर गति से प्रोत्साहन परीक्षा पास कर ली थी, उन्हें मूलतः भर्ती के समय से ही प्रति मिनट 100 अथवा 120 शब्द, जैसी भी स्थिति हो, की उच्चतर गति से पास मान लिया जाना चाहिए और बकाया रकम का भुगतान किये बिना उनका प्रोफार्मा वेतन उनकी नियुक्ति की प्रारम्भिक तारीख से निश्चित कर दिया जाना चाहिए।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

मनीपुर के घरेलू उद्योगों का विकास

5352. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने मनीपुर के कुछ घरेलू उद्योगों को अन्य उद्योगों से वरीयता देकर उनका अधिक विकास करने के लिए चुन लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने घरेलू उद्योगों के विकास की योजना को सर्वथा त्याग दिया है और इसका औचित्य क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मनीपुर में घरेलू उद्योगों के स्वामियों में व्याप्त असन्तोष

5353. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार की पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता न देने की नीति के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योगों के मालिकों में व्याप्त असन्तोष की ओर वहाँ की सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस असन्तोष को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है अथवा की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस विषय की जाँच करने के लिए निकट भविष्य में एक समिति का गठन करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर में डीजल इलेक्ट्रिक इंजनों द्वारा बिजली की सप्लाई

5354. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में वर्तमान डीजल इलेक्ट्रिक इंजन संभावित बिजली की सप्लाई नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो मनीपुर में कितने इंजन लगाए गए हैं और किलोवाट में उनकी सामान्य क्षमता कितनी है;

(घ) क्या अतिरिक्त इंजन लगाए जा रहे हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो कब और वे कितनी क्षमता के होंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हाँ। मनीपुर में विभिन्न स्थानों पर विद्युत-उत्पादन के लिए जो डीजल विद्युत इंजन प्रतिष्ठापित किए गए थे उनमें से कुछ इंजन मूलतः निर्धारित उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं ।

(ख) कई वर्ष तक काम करते रहने की वजह से और आयातित कलपुर्जों के तुरंत न मिल सकने के कारण रख-रखाव में कठिनाइयों की वजह से डीजल उत्पादन इंजनों की क्षमता घट गई है ।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, हाँ ।

(ङ) 1971-72 के दौरान लेइमारबोंग में 2 × 1000 किलोवाट के डीजल उत्पादन सेटों के प्रतिष्ठान की एक स्कीम विचाराधीन है ।

मनीपुर में न्यायिक पदों पर मनीपुर बार एसोसिएशन के सदस्यों की नियुक्ति

5355. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में विभिन्न श्रेणियों के न्यायिक पदों पर मनीपुर बार एसोसिएशन के सदस्यों को नियुक्त करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में मनीपुर बार एसोसिएशन ने कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या हैं और उनकी माँगें कहाँ तक मान ली गई हैं ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) मनीपुर में विभिन्न प्रवर्गों के न्यायिक पदों के लिए नियुक्तियाँ मनीपुर न्यायालय अधिनियम, 1955 की धारा 17, 18 और 19 के अधीन की जाती हैं, जिनके अधीन बार के सदस्य भी इन पदों के लिए पात्र हैं और उनके नामों पर भी विचार किया जा सकता है । नियुक्तियाँ उप राज्यपाल द्वारा न्यायिक आयुक्त से परामर्श के पश्चात् की जाती हैं ।

(ख) और (ग). हाल ही में मनीपुर बार एसोसिएशन ने जिला न्यायाधीश के पद पर बार के एक स्थानीय सदस्य की नियुक्ति के लिए आंदोलन किया । इसके अलावा इस विषय में हाल ही में कोई अभ्यावेदन उनसे प्राप्त नहीं हुआ । मनीपुर के अपर जिला और सेशन न्यायाधीश के पद पर मनीपुर बार से नियुक्त किया गया व्यक्ति ही है । बार एसोसिएशन चाहता था कि जिला न्यायाधीश का पद भी बार के किसी स्थानीय सदस्य द्वारा भरा जाये । यह बात नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यह अनुभव किया गया कि नियुक्तियाँ करने में न्यायिक सेवा और बार के बीच सन्तुलन होना चाहिये ।

Contract for Curio Stall at Jhansi Junction of Central Railway

5356. SHRI GENDA SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the Curio stall at the Jhansi Junction on the Central Railway had been given on a contract for Rs. 9,000 but now the same has been given on contract to the brother of the same contractor for less than half of the said amount; and

(b) if so, the rules under which this contract has been awarded when it can fetch higher amount as contract even now ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI HANUMANTHAIYA) : (a) and (b). Prior to 1968 successful tenderers offered more than Rs. 9,000; they either backed out before commencing the contract or gave it up after commencement as it was not remuenerative.

From 21 5 68 the contract was allotted for a period of three years on an annual licence fee of Rs. 5,501/- to the highest tenderer. The contractor, however surrendered the contract on 21.12.1969. Tenders were called again and the highest bidder was awarded the contract on an annual licence fee of Rs, 3,350/- in January, 1970. He is the brother of the previous contractor.

कार्यालयों और मुख्यालयों में भविष्य निधि अनुभाग में लेखा लिपिकों का कार्यभार

5357. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसा अनुभव किया है कि डिवीजनल लेखा कार्यालयों के भविष्य निधि अनुभाग में विशेषतया पूर्वी रेलवे के दानापुर डिवीजन में कार्य करने वाले लेखा लिपिकों पर कार्यभार बहुत अधिक है; और

(ख) यदि हाँ, तो डिवीजनल कार्यालयों तथा भारतीय रेलवे के मुख्यालयों के भविष्य निधि अनुभाग में कार्य करने वाले लेखा लिपिकों के कार्यभार का मापदंड क्या है ?

रेल मत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) रेलवे बोर्ड ने भविष्य निधि अनुभाग के लेखा क्लर्कों के कार्यभार का कोई एक समान मापदण्ड निर्धारित नहीं किया है । लेकिन विभिन्न रेलों ने अपने-अपने मापदण्ड निर्धारित कर रखे हैं जिनके अनुसार एक लेखा क्लर्क 700 से लेकर 1300 तक भविष्य निधि लेखों का हिसाब रखता है ।

पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे में स्थायी मार्ग निरीक्षकों और सहायक स्थायी मार्ग निरीक्षकों की एसोसिएशन द्वारा माँग पत्र दिया जाना

5358. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे में कार्य कर रहे स्थायी मार्ग निरीक्षकों और सहायक स्थायी मार्ग निरीक्षकों की एसोसिएशन ने 7 अप्रैल, 1970 को प्रधान मंत्री को एक माँग-पत्र दिया था;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऐसे कर्मचारियों को गैर-तकनीकी कार्यों से हटाने के लिए उनकी माँग पर क्या निर्णय लिया गया है ताकि वे रेल मार्गों के रख-रखाव सम्बन्धी कार्यों पर अपेक्षित ध्यान दे सकें ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). माँगें मुख्यत: निम्नलिखित से सम्बन्धित थीं :

(1) रेल पथ निरीक्षकों के वेतन-मान में संशोधन और उनका ग्रेड बढ़ाना; और

(2) रेल पथ कर्मचारियों को भण्डार सम्बन्धी उत्तरदायित्व से मुक्त करना।

जहाँ तक वेतनमान में संशोधन का सम्बन्ध है, एक वेतन आयोग की स्थापना की जा चुकी है जो नि:सन्देह रेल पथ कर्मचारियों सहित सभी कोटियों के कर्मचारियों के वेतनमान और उनकी सेवा की शर्तों पर विचार करेगा।

जहाँ तक भण्डार सम्बन्धी उत्तरदायित्व से मुक्ति का प्रश्न है, दक्षिण-पूर्व रेलवे के लगभग सभी रेल पथ निरीक्षकों को अपने प्रधान कार्यालय में भण्डार सम्बन्धी उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया है। पूर्व रेलवे में रेल पथ निरीक्षकों को इस उत्तरदायित्व से मुक्त करने के लिए सक्रिय कार्यवाही की जा रही है।

Dining Car attached to Deluxe Train Running via Patna

5359. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the Dining Car attached to the Deluxe train running via Patna is very small;

(b) whether the passengers have to face difficulties as a result thereof;

(c) whether Members of Parliament have urged that the present dining car should be replaced by a bigger one; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI HANUMANTHAIYA) : (a) Yes.

(b) Some difficulties have been reported.

(b) No.

(d) Arrangements are being made to replace the existing dining car by a bigger one.

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में अधिकारियों की वरिष्ठता

5360. **श्री वी० एन० पी० सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वरिष्ठ वेतनमानों वाले कर्मचारियों की कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नतियाँ अखिल भारतीय स्तर पर की जाती हैं अथवा रेलवेवार;

(ख) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में अधिकारियों की वरिष्ठता निश्चित करने का आधार क्या है; और

(ग) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में जिन अधिकारियों की पदोन्नतियाँ अकार्यकुशलता के आधार पर रोक ली गयीं थीं क्या कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति होने पर उन्हें उन अधिकारियों के ऊपर वरिष्ठता दे दी गयी हैं जिनकी पदोन्नतियाँ पहले कर दी गयी थीं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) वरिष्ठ वेतनमान से कनिष्ठ प्रशासी पदक्रम में लम्बी अवधि वाली नियमित पदोन्नतियाँ सिगनल एवं दूर संचार, बिजली, भण्डार, चिकित्सा तथा लेखा विभागों में सभी रेलों की वरिष्ठता को ध्यान में रखकर वास्तविक प्रवरण के आधार पर की जाती हैं । सिविल इंजीनियरिंग, परिवहन (यातायात) तथा वाणिज्य और यांत्रिक इंजीनियरिंग विभागों में इस तरह की पदोन्नतियाँ रेलवे की वरिष्ठता को देखते हुए की जाती हैं । ऐसा करते हुए अधिकारी जिस रेलवे को स्थायी रूप से आबंटित है और जिस रेलवे पर वह काम कर रहा है उसके बारे में उन दोनों पर ही ऐसी पदोन्नति पाने के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।

(ख) और (ग). जब तक ऊपर (क) में बताये गये आधार पर कनिष्ठ प्रशासी पदक्रम में पदोन्नति के लिए किसी अधिकारी की वरिष्ठता का अतिक्रमण नहीं होता, तब तक कनिष्ठ प्रशासी पदक्रम में उसकी वरिष्ठता वही होगी जो संबंधित श्रेणी I की सेवा में उसकी मूल वरिष्ठता थी ।

विदेशी सहयोग से लघु उद्योग

5361. **श्री बी० एन० पी० सिंह :**
श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में कितने और किन-किन वर्गों के लघु औद्योगिक एककों को विदेशी सहयोग और तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है; और

(ख) इस का स्वदेशी प्रयासों पर और विशेषज्ञों के जुटाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मामले और इन कार्यालयों के कार्य के घण्टे/कार्य के दिन

5362. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में बहुत से मामले अन्तिम निर्णय के लिए दो वर्ष से भी अधिक से अनिर्णीत पड़े हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ तो क्या सरकार ने इन न्यायालयों को एक दिन में आठ घंटे तथा एक सप्ताह में छः दिन कार्य करने का सुझाव दिया है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) प्रत्येक उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में 1-1-1971 को दो वर्ष से अधिक समय से अन्तिम विनिश्चय के लिए लम्बित मामलों की संख्या दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) सरकार ने ऐसा कोई भी सुझाव उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय को नहीं दिया है।

विवरण

उच्च न्यायालय का नाम	मामलों की संख्या
1. इलाहाबाद	28188
2. आन्ध्र प्रदेश	1352
3. असम और नागालैंड	1267
4. बम्बई	15046
5. कलकत्ता	41710
6. दिल्ली	8162
7. गुजरात	6610
8. हिमाचल प्रदेश	*
9. जम्मू और कश्मीर	148
10. केरल	3866
11. मध्य प्रदेश	5222
12. मद्रास	9654
13. मैसूर	7912
14. उड़ीसा	2279
15. पटना	4604
16. पंजाब और हरियाणा	11223
17. राजस्थान	3797
	151040
उच्चतम न्यायालय	2372

* हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय 25 जनवरी, 1971 को स्थापित किया गया था।

Promotion on basis of Merit Instead of 'Seniority'

5363. SHRI JAGANNATHRAO JOSHI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether 'Merit' instead of 'Seniority' has been recognised as a basis for promotion of various categories of Railway Officers and employees; and

(b) if so, the rules and procedure laid down in this regard ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI HANUMANTHAIYA) : (a) In posts which are filled by 'Selection', merit is the prime consideration though seniority is also taken into account. The remaining posts are filled on the basis of seniority-cum-suitability.

(b) The rules and procedures for filling various types of posts are contained in the Indian Railway Establishment Code and the Indian Railway Establishment Manual, copies of which are available in the library of the Sabha.

उड़ीसा में विस्फोटक बनाने वाला कारखाना

5364. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी योजना में उड़ीसा में केन्द्राधीन सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत विस्फोटक बनाने वाला कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : उड़ीसा में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में चौथी योजना अवधि के अन्तर्गत विस्फोटक का कारखाना लगाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

पूर्व रेलवे के हावड़ा बर्दवान डिवीजनों में खान पान की वस्तुएँ बेचने वालों को वर्दी की सुविधाएँ

5365. **श्री गदाधर साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के हावड़ा और बर्दवान प्रभागों में खान पान की वस्तुएँ बेचने वालों के लिए वर्दी देने की समुचित व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त सुविधा प्रदान करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) पूर्व रेलवे के हावड़ा मण्डल में खान पान विक्रेताओं को वर्दी सप्लाई किये जाने की सुविधा विद्यमान है । बर्दवान में कोई अलग रेलवे मण्डल नहीं है । यह स्टेशन हावड़ा मण्डल में स्थित है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

नीलगिरि प्राधिकारियों (दक्षिण रेलवे) द्वारा गैंगमैन, पोइंट्समैन तथा सहायक स्टेशन मास्टर के पदों को समाप्त किया जाना

5366. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के नीलगिरि रेलवे प्राधिकारियों ने गैंगमैन, पोइन्ट्समैन, तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के बहुत से पदों को फालतू घोषित कर दिया है तथा ये पद समाप्त कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो ये कर्मचारी किस प्रकार फालतू हुये तथा फालतू घोषित किये गये कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों को करने के लिये कौन से वैकल्पिक प्रबंध किये गये हैं; और

(ग) क्या इस प्रकार के प्रबन्ध से यातायात कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता देना होगा तथा रेल लाइनों की रख-रखाव की व्यवस्था बिगड़ जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). कार्य भार के आधार पर कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी इसकी समीक्षा करने के पश्चात् ही पदों में कमी की गई है, अतः वैकल्पिक प्रबन्ध करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

पश्चिम रेलवे के जयपुर प्रभाग में ट्रैफिक विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देना

5367. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार के कोई नियम हैं कि रेलवे में स्थानापन्न या नैमत्तिक श्रमिक को समय मान में वेतन वृद्धि न दी जाये; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं कि पश्चिम रेलवे के जयपुर प्रभाग में ट्रैफिक विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की, जिन्हें प्रति मास 70 रुपये का वेतन मिलता है और जो कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, वेतन वृद्धि नहीं की जाती है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : नैमित्तिक मजदूर के मामले में वेतन वृद्धि के लिये सेवा की गणना तभी की जाती है जब ऐसा मजदूर, परियोजना को छोड़कर, किसी अन्य निर्माण कार्य पर छः मास की निरन्तर सेवा पूरी कर लेने के बाद नियमित समय मान में आ जाता है। एवजी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के मामले में एवजी के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख से सेवा की गणना की जाती है । यदि वेतन वृद्धि देय हो तो उसकी स्वीकृति में बाधा पैदा करने वाले इस तरह के कोई नियम नहीं हैं ।

(ख) जयपुर मंडल के यातायात विभाग में काम करने वाले चौथे दर्जे के कर्मचारियों को अर्हक सेवा पूरी करने पर वेतन वृद्धि दी जाती है ।

फुलेरा स्टेशन (पश्चिम रेलवे) के केबिनमैनों को बकाया राशि का भुगतान

5368. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जुलाई, 1961 से पश्चिम रेलवे में फुलेरा स्टेशन के कैबिनमैनों के वेतन मान बढ़ा कर 105-135 (ए) कर दिये गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो इस वेतनमान को कब से कार्य रूप दिया गया था;

(ग) क्या नए वेतनमानों के अनुसार सम्बद्ध कर्मचारियों की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, हाँ ।

(ख) 1-1-1964 से ।

(ग) जी हाँ, 1-1-1964 से 31-3-1970 तक की अवधि के लिए बकाया रकम का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को 19-5-70 को कर दिया गया था । 1-7-61 से 31-12-1963 तक की बकाया रकम का भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि उस अवधि का रिकार्ड उपलब्ध नहीं था ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

समुद्र द्वारा कटाव रोकने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना

5369. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने समुद्र द्वारा कटाव को रोकने हेतु कोई योजना तैयार की है और उसे तट कटाव बोर्ड को प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हाँ, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि अपेक्षित है और बोर्ड द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में श्री उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि इस समय उनके पास समुद्र-कटाव से बचाव के लिए कोई स्कीम नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

Overbridge at Khurja Junction Level Crossing

5370. SHRI HARI SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to construct a foot over-bridge at Khurja Junction level-crossing; and

(b) if so, the date when the construction work is likely to start ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI HANUMANTHAIYA) : Presumably the question refers to level crossing No. 129 at Km. 1370/2-3 at Delhi end of Khurja Junction. If so, the reply is as under :

(a) No.

(b) Does not arise.

ताम्बरम प्लेटफार्म पर पैदल उपरिपुल का चौड़ा किया जाना

5371. **श्री सी० चित्तबाबू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताम्बरम प्लेटफार्म पर पैदल उपरिपुल को चौड़ा किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या गत पाँच वर्षों में यात्री यातायात में असाधारण वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पैदल उपरिपुल को चौड़ा करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी नहीं, क्योंकि यातायात के वर्तमान स्तर को देखते हुए वर्तमान उपरि-पैदल पुल पर्याप्त है।

मद्रास समुद्रतट और ताम्बरम के बीच विद्युत 'ट्रैक्शन'

5372. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पदोन्नति के अवसर संबंधी चार्ट को उस समय बदल दिया गया था जब मद्रास समुद्रतट से ताम्बरम के बीच विद्युत 'ट्रैक्शन' को डी० सी० से ए० सी० में परिवर्तित किया गया था;

(ख) क्या नये चार्ट से प्रभावित कर्मचारियों के विशेषाधिकारों की रक्षा नहीं की गई थी; और

(ग) क्या सरकार का विचार पुराने चार्ट के अन्तर्गत उन लोगों के विशेषाधिकारों की रक्षा के लिये आदेश जारी करने का है जिन पर पुराना चार्ट लागू होता था ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, हाँ।

(ख) डी० सी० कर्षण के पदोन्नति सरणि संबंधी पुराने चार्ट के अन्तर्गत ताम्बरम कार वर्कशाप के कारीगर कर्मचारी 180-240 रु० के वेतनमान में गाड़ी परीक्षक, कर्षण के 40 प्रतिशत रिक्त स्थान पर पदोन्नति पाने के पात्र थे और 'शंटर' के रूप में 130-200 रु० के वेतनमान में जा सकते थे। पदोन्नति सरणि के संशोधित चार्ट के अन्तर्गत गाड़ी परीक्षक, कर्षण के पद समाप्त कर दिये गये और इन पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को ए० सी० कर्षण में 125-155 रु० के वेतनमान में सहायक ड्राइवरों के रूप में समाहित कर लिया गया और उन्हें वर्तमान सहायक ड्राइवरों से वरिष्ठ कर दिया गया। संशोधित चार्ट के लागू होने से गाड़ी परीक्षक, कर्षण के पदों

पर काम करने वाले कर्मचारियों ने परिचालन विभाग की पदोन्नति सरणि में सहायक ड्राइवरों के रूप में जाना पसंद किया, यद्यपि वे चाहते तो अनुरक्षण विभाग में काम करते रह सकते थे और चार्जमैन, वरिष्ठ बिजली चार्जमैन और सहायक फोरमैन के रूप में पदोन्नति पा सकते थे। पदोन्नति की संशोधित सरणि के अंतर्गत सहायक ड्राइवरों के 20 प्रतिशत रिक्त स्थान कारीगर कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए आरक्षित हैं।

इलैक्ट्रिक ट्रैक्शन (दक्षिण रेलवे) के कर्मचारियों को छुट्टी रिजर्वों का दिया जाना

5373. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के विद्युत ट्रैक्शन में ग्रेड 'ए', ग्रेड 'बी' ग्रेड 'सी' और मोटरमैन के लिये क्रमशः 11 सीरियल, 14 सीरियल, 10 सीरियल और 42 सीरियल वाले रोस्टर हैं;

(ख) क्या प्रत्येक ग्रेड में कर्मचारियों की संख्या बिना छुट्टी रिजर्व की व्यवस्था के कार्यकारी सीरियलों के अनुरूप है;

(ग) क्या कर्मचारियों की छुट्टी काटकर विद्यमान कर्मचारियों से ही सम्पूर्ण काम कराया जाता है; और

(घ) यदि हाँ, तो काम के कार्यकारी सीरियलों के अनुरूप कर्मचारियों को निर्धारित छुट्टी रिजर्व न देने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) (क) 'ए', 'बी' और 'सी' ग्रेड के ड्राइवरों और मोटरमैनों के लिए क्रमशः ग्यारह व्यक्ति श्रृंखला, तेरह व्यक्ति श्रृंखला, दस व्यक्ति श्रृंखला और चालीस व्यक्ति श्रृंखला वाले चार रोस्टर हैं। चूंकि 'बी' ग्रेड ड्राइवरों की वर्तमान श्रृंखला में बिल्कुल गुंजायश नहीं है और 1-4-1971 से चार अतिरिक्त उपनगरीय गाड़ियाँ शुरू की गयी हैं, अतः स्थिति की समीक्षा की गयी थी और 'बी' ग्रेड ड्राइवरों के लिए चौदह व्यक्तियों और मोटरमैनों के लिए बयालीस व्यक्तियों की संशोधित श्रृंखलाएँ लागू की गयी हैं।

(ख) 1-4-1971 को वर्तमान स्वीकृत संख्या को आधार मानते हुए पूरी प्रतिशत छुट्टी रिजर्व कर्मचारियों की व्यवस्था की गयी है।

(ग) जब तक अतिरिक्त पद नहीं बनाये जाते तब तक 1-4-71 से लागू संशोधित श्रृंखलाओं की व्यवस्था छुट्टी रिजर्व पदों को इस्तेमाल करके की जा रही है। इसके लिए न तो छुट्टी में किसी तरह कमी की जा रही है और न ही विधिक विनियमों का अतिलंघन किया जा रहा है।

(घ) 1-4-71 से उक्त श्रृंखलाएँ लागू किये जाने के परिणामस्वरूप, 'बी' ग्रेड ड्राइवर का एक पद और मोटरमैनों के दो पद तथा छुट्टी रिजर्व मोटरमैन को एक पद बनाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

असिस्टेंट ड्राइवरों के रूप में फिटरों की पदोन्नति (दक्षिणी रेलवे)

5374. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी रेलवे में ए० सी० ट्रैक्शन फिटर (रुपये 110-180 ग्रेड) असिस्टेंट ड्राइवरों के पद पर पदोन्नति के पात्र हैं;

(ख) क्या कार वर्कशाप, ताम्बरम में फिटर ग्रेड एक (रु० 175-240) और ग्रेड दो (रु० 130-212) के फिटरों को असिस्टेंट ड्राइवरों के पद पर पदोन्नति के लिए ठीक नहीं समझा जाता है; और

(ग) यदि हाँ, तो फिटरों को असिस्टेंट ड्राइवरों के रूप में पदोन्नत न करने के क्या कारण हैं, और जैसा कि टी० अक्स० आर०/टी० में किया जाता है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग). ग्रेड I (175-240 रुपये) और ग्रेड II (130-212 रुपये) के फिटरों को 125-155 रुपये के ग्रेड में सहायक ड्राइवरों के पद पर पदोन्नत करने के बारे में इस तथ्य को ध्यान में रखकर विचार नहीं किया जाता कि उनका वेतनमान सहायक ड्राइवरों के पद के नियत वेतनमान से अपेक्षाकृत ऊँचा है ।

दक्षिण रेलवे में अवाडी और त्रिवेल्लौर के बीच यात्रियों को असुविधा

5375. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण रेलवे में अवाडी और त्रिवेल्लौर के बीच यात्रियों को पश्चिम की ओर जाने वाली गाड़ियाँ पकड़ने के लिए अरकोणम अथवा मद्रास जाना पड़ता है;

(ख) क्या ऐसे यात्रियों की सुविधा के लिए मेल अथवा एक्सप्रैस रेलगाड़ियों को त्रिवेल्लौर में रुकवाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, हाँ । यह कठिनाई मंगलूर की ओर यात्रा करने में मद्रास (को छोड़कर) और अरकोणम (को छोड़कर) के बीच के सभी स्टेशनों के यात्रियों को होती है ।

(ख) त्रिवेल्लौर में दो डाक/एक्सप्रैस गाड़ियाँ अर्थात् 9 अप/10 डाउन बम्बई-मद्रास डाकगाड़ी और 45 डाउन/46 अप मद्रास-तिरुपति पूर्व एक्सप्रैस पहले से ही रुकती हैं । इस स्टेशन पर और डाक और एक्सप्रैस गाड़ियाँ रोकने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) यातायात की दृष्टि से औचित्य नहीं है ।

पश्चिम बंगाल में मारे गये अथवा पीटे गये रेल कर्मचारी

5376. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल में भीड़ द्वारा कितने रेल कर्मचारियों की हत्या की गई अथवा पीटे गये; और

(ख) रेल कर्मचारियों के जीवन की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) 4 रेल कर्मचारी मारे गये और 178 पर हमला किया गया ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

रेल कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए रेलों द्वारा किये गये उपाय :

1. जहाँ तक संभव होता है प्रभावित खण्डों में चलने वाली गाड़ियों में काम करने वाले रनिंग रेल कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा दल के मार्ग-रक्षियों की व्यवस्था है ।

2. रेलवे सुरक्षा दल को हिदायत दी गयी हैं कि सरकारी रेलवे पुलिस को रेलों पर ऐसे मामलों के लिए जिम्मेदार अपराधियों को पकड़ने में सक्रिय सहयोग दें ।

3. रेल कर्मचारियों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रभावित खण्डों में रात के समय चलने वाली यात्री गाड़ियों में सरकारी रेलवे पुलिस के मार्ग-रक्षियों की व्यवस्था है ।

4. खण्ड के बदमाशों पर निगरानी रखने के लिए सरकारी रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस के बीच निकट सम्पर्क रखा जाता है ।

5. अपराधों की रोकथाम और अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बारे में योजना बनाने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा दल/सरकारी रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस अधिकारियों के बीच सभी स्तरों पर प्रायः बैठकें की जाती हैं ।

6. रेल कर्मचारियों को अपने बचाव के लिए लाइसेंस लेकर हथियार रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

7. घटनाओं की रिपोर्ट निकट के पुलिस थाने में दर्ज की जाती हैं और संबंधित पुलिस अधीक्षकों से सम्पर्क स्थापित करके उनका निपटारा कर दिया जाता है ।

8. कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए रेलवे सुरक्षा दल और पुलिस द्वारा कालौनी में संयुक्त गश्त का प्रबन्ध किया जाता है ।

हल्दिया लिंक रेलवे लाइन के निर्माण में लगे मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि

5377. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया लिंक रेलवे लाइन के निर्माण में लगे मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी क्या है;

(ख) उनकी मजदूरी में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा मजदूरों की छँटनी की जायेगी; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). हल्दिया-पांशकुडा रेलवे सम्पर्क निर्माण में नैमित्तिक मजदूर अकुशल कोटियों में लगाये गये हैं। उनकी न्यूनतम मजदूरी 3·50 रुपये प्रतिदिन है जो अभी नवम्बर, 1970 में 3·03 रुपये से बढ़ाकर की गयी है।

(ग) और (घ). चूँकि नैमित्तिक मजदूरों की भर्ती विशिष्ट रूप से निर्माण कार्य की अवधि तक के लिए की जाती है, अतः इस तरह के निर्माण कार्यों के पूरा होने बाद, उन्हें सेवा-मुक्त करना पड़ता है।

पूर्व रेलवे में कैटरिंग वेंडर्स यूनियन, हावड़ा द्वारा सरकार को ज्ञापन

5378. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्व रेलवे में कैटरिंग वेंडर्स यूनियन, हावड़ा से उनकी शिकायतों के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो कर्मचारियों की मुख्य माँगें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—693/71.**]

मध्य प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित सांखी नदी का सर्वेक्षण

5379. **श्री उमेद सिंह राठिया** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित सांखी नदी का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त नदी पर पुल बनाने का है जिससे दोनों राज्यों को बहुत सुविधा हो जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने साँखी नदी पर एक जल-विद्युत परियोजना की जाँच की है और एक रिपोर्ट तैयार की है। परियोजना की प्रतिष्ठापित क्षमता 594 मैगावाट की होगी। परियोजना में किसी सड़क-पुल की व्यवस्था नहीं है। यह चौथी योजना में सम्मिलित नहीं है लेकिन दस वर्षीय योजना (1971-1981) के लिए यह प्रस्तावित है।

जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय को भी सांखी नदी पर किसी सड़क-पुल का कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

मध्य प्रदेश के जिला रायगढ़ के धमजिला, जयगढ़ से जसपुर में बिजली का लगाया जाना

5380. **श्री उमेद सिंह राठिया** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के जिला रायगढ़ में धमजिला, जयगढ़ से जसपुर के अनेक गाँवों में बिजली नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो इन गाँवों में विशेषकर नलकूपों के लिए बिजली देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा निम्नलिखित स्कीमें हाथ में ली गई हैं :

(1) धरमजयगढ़-पातालगाँव और लीलूंगा-कुडबा क्षेत्रों के 23 ग्रामों में 302 पम्पों का ऊर्जन। अब तक 161 पम्पों का ऊर्जन हो चुका है।

(2) पातालगाँव-विजयनगर-कापू क्षेत्र के 13 ग्रामों में 39 पम्प ऊर्जित किए गए हैं।

(3) पातालगाँव-सीतापुर-बथैली क्षेत्र के 5 ग्रामों में 20 पम्प ऊर्जित किए गए हैं।

(4) पातालगाँव-कुनपुरी क्षेत्र के 17 ग्रामों में 228 पम्पों का ऊर्जन कार्य प्रगति कर रहा है; 16 ग्रामों में अभी तक 210 पम्प ऊर्जित किए गए हैं।

(5) बदर चौहार-राजौती-बगिया क्षेत्र में 27 पम्पों का ऊर्जन कार्य काफी हो चुका है।

(6) बसबंद-बहामा क्षेत्र में 6 ग्रामों में 55 पम्पों का ऊर्जन किया गया है।

Scholarship to children of Railway Employees from Welfare Department

5381. SHRI DHAN SHAH PRADHAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether children of Railway Employees receive certain amount in the form of scholarship from the Railway Welfare Department;

(b) what are the categories of employees whose children are given scholarships; and

(c) the amount of scholarships given as also the basis on which such scholarships are given ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI HANUMANTHAIYA) : (a) Such scholarships are given from the Staff Benefit Fund.

(b) All class IV and class III employees with pay not exceeding Rs. 695/- per month including dearness pay.

(c) The amount of such scholarships varies from Rs. 15/- to Rs. 70/- p. m. The scholarships are given to children of eligible railway employees to assist them in the prosecution of technical education which includes courses leading to a degree in Science or degree/diploma in Medicine and the various branches of Engineering. The amount of scholarship in each case is determined by the Staff Benefit Fund Committee keeping in view the fees etc., payable by the student.

जनरल मैनेजर (दक्षिण रेलवे) के दौरे पर व्यय

5382. **श्री पीलू मोदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण रेलवे प्रशासन ने 31 अक्तूबर, 1970 और 19 जनवरी, 1971 को चिरइन्कील त्रिवेन्द्रम और क्विलोन की जनरल मैनेजर की यात्रा पर कितना धन व्यय किया ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : 3-10-1970 को चिरइन्कील स्टेशन की नयी इमारत के उद्घाटन के अवसर पर दक्षिण रेलवे के महाप्रबन्धक जब वहाँ गये थे तो नियमों के अन्तर्गत देय सामान्य भत्तों के अतिरिक्त 243·53 रुपये (दो सौ तेतालीस रुपये तिरपन पैसे) खर्च हुए थे। 19-1-1971 को दक्षिण रेलवे के महाप्रबन्धक के क्विलोन जाने पर नियमों के अन्तर्गत देय सामान्य भत्तों के भुगतान के अतिरिक्त और कोई खर्च नहीं हुआ था।

देश की माँग पूरी करने तथा निर्यात के लिये कारों का निर्माण

5383. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में बनाये जाने वाली कोई भी कार, जिसके लिए आशय-पत्र जारी किये जा चुके हैं, को मध्यम आय वर्ग के लोग खरीद सकेंगे; और

(ख) क्या ये कारें निर्यात की जा सकेंगी अथवा उनका निर्माण केवल अन्तर्देशीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में बनाई जाने वाली प्रस्तावित कारों, जिनके लिये आशय-पत्र दे दिये गये हैं अथवा दिये जा रहे हैं, के मूल्यों के बारे में अभी कुछ भी ठीक-ठीक बता सकना कठिन है कि वे कितने में बेची जायेंगी, फिर भी ऐसे मामलों में जहाँ तक संभव हो सकेगा उत्पादन लागत कम से कम आने के लिये प्रत्येक संभव प्रयास किया जायेगा ताकि मध्यम आय वर्ग के लोग भी कार खरीद सकें।

(ख) सरकारी क्षेत्र में कार बनाने की परियोजना इस प्रकार से तैयार की जा रही है जिससे बनाई गई कारों के कुछ अंश का निर्यात किया जा सके। अभी यह कह सकना कठिन है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में बनाई जाने वाली कारों में से कोई भी इस योग्य होगी कि उसका निर्यात किया जा सके।

पूर्वी रेलवे सियालदह डिवीजन में उपनगरीय रेलों में अराजकता

5384. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन की उपनगरीय रेलों में अराजकता फैली हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस अराजकता के विरुद्ध सरकार ने क्या उपचारी कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, हाँ।

(ख) रेलवे परिसर में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं : रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारियों और सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा भेद्य क्षेत्रों की गश्त, भेद्य स्थलों की निगरानी, महत्वपूर्ण माल और सवारी गाड़ियों में मार्ग-रक्षियों की व्यवस्था आदि। इनके अलावा सियालदह मण्डल में उपनगरीय गाड़ियों में उपद्रवों की रोकथाम के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(क) उपनगरीय खण्डों में अप और डाउन दोनों दिशाओं की 12 सवारी गाड़ियों में सरकारी रेलवे पुलिस के मार्ग-रक्षी चलते हैं।

(ख) उत्तरी, मुख्य और दक्षिणी सियालदह और बालीगंज स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों के कार्यालय पर कार्य के व्यस्त घंटों में सरकारी रेलवे पुलिस का पहरा रहता है।

(ग) दमदम जंक्शन और बालीगंज में निगरानी के काम के लिए विशेष सशस्त्र पुलिस दल तैनात किये गये हैं।

पठानकोट से दिल्ली के बीच मालगाड़ियों की धीमी गति

5385. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक मालगाड़ी को पठानकोट से दिल्ली पहुँचने में कितने दिन लगते हैं;

(ख) 29 मई, 1971 से 20 जून, 1971 के बीच किस-किस तारीख को पठानकोट से मालगाड़ियां चली थीं और कितने दिनों में वे दिल्ली पहुँची थीं; और

(ग) यदि वे देरी से पहुँची थीं तो माल यातायात की धीमी गति के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) पठानकोट से दिल्ली के लिए कोई सीधी मालगाड़ी नहीं चलायी जाती क्योंकि इसके लिए यातायात इतना कम होता है कि सीधी गाड़ी चलाने का औचित्य नहीं बनता ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में रेलवे अस्पताल

5386. **श्री सी० जनार्दनन : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में रेलवे अस्पतालों की संख्या कितनी है; और

(ख) उन अस्पतालों में अलग-अलग कितने कितने बिस्तर हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) केरल राज्य के अलोवक्कोड में एक मंडल अस्पताल है।

(ख) 70 खाट (सामान्य 56, प्रसूति और क्षय 10) ।

पश्चिम बंगाल में माल डिब्बों को तोड़ने और तार काटने को रोकने के लिए किये गये उपाय

5387. **श्री समर गुह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में अपराधियों की माल डिब्बे तोड़ने और तार काटने आदि की गतिविधियों को रोकने के लिये योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर कितना व्यय आयेगा ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, हाँ ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(1) पश्चिम बंगाल में अपराध की घटनाओं से निबटने के लिए रेलों पर दो योजनाएँ चलाई गई हैं ।

(2) पहली योजना में पूर्व रेलवे में बजबज और धनबाद के बीच चालू लाइन पर गश्त लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा विशेष दल की दो बटालियनें (9 कम्पनियाँ) तैनात करने का विचार

है। इन्हें बिजली के ऊपरी तारों की चोरी, दूर संचार केबुलों की चोरी, पीतल के बेयरिंग की चोरी और इन खण्डों में चालू लाइन पर होने वाली अन्य चोरियों से निबटने का काम सौंपा गया है।

(3) दूसरी योजना में पश्चिम बंगाल राज्य के अन्दर पूर्व, दक्षिण पूर्व और पूर्वोत्तर सीमा रेलों पर सभी तरह के अपराधों की रोकथाम और उनका पता लगाने के लिये 14 कम्पनियाँ (रेलवे सुरक्षा विशेष दल की 10 कम्पनियाँ और अन्य रेलों के सशस्त्र स्कन्ध की 4 कम्पनियाँ) तैनात करने का विचार है। जो खण्ड पहली योजना के अन्तर्गत नहीं आते ये कम्पनियाँ उनकी चालू लाइन पर गश्त लगाने के अलावा उन यार्डों में गश्त लगाने का काम भी करती हैं जहाँ माल डिब्बों से माल चुराने की घटनाएँ बहुत अधिक होती हैं। कुछ क्षेत्रों में इन कम्पनियों के व्यक्ति मालगाड़ियों पर मार्गरक्षी के रूप में चलते हैं।

(4) इसके अलावा रेलवे लाइन के कुप्रभावित भागों पर उस स्थान के विश्वसनीय ग्रामवासियों और अन्य स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से ग्राम प्रतिरोधी दल संगठित करने के उपाय किए जा रहे हैं।

(5) पश्चिम बंगाल में तैनात की गई रेलवे सुरक्षा विशेष दल की 19 कम्पनियाँ रेलवे बोर्ड के आरक्षित दल से ली गई हैं जो देश में किसी स्थान पर तैनात की जाती हैं जबकि सशस्त्र स्कन्ध की 4 कम्पनियाँ पश्चिम बंगाल में विशेष ड्यूटी के लिए अन्य रेलों से ली गई हैं।

(6) पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त सुरक्षा की इन योजनाओं के लिए रेलों द्वारा वहन किया जाने वाला अतिरिक्त खर्च लगभग 5 लाख रुपये प्रतिमास आता है (यह उन कर्मचारियों की केवल यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की रकम है और इसमें उनके वेतन और भत्ते शामिल नहीं हैं)।

चोर बाजार में कच्चा माल बेचने वाली जाली फर्मों के विरुद्ध जाँच

5388. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आरोप की जाँच करने का कोई प्रस्ताव है कि बहुत सी जाली फर्में स्टेनलैस स्टील उद्योग, सीमेंट पाइप और सिल्ली उद्योग तथा लोहा सरिया उद्योग (री-रोलिंग मिल्स) के लिए आयातित और देशी कच्चे माल का कोटा प्राप्त कर रही हैं और उसे चोर बाजार में बेच रही हैं; और

(ख) क्या असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने इस प्रकार की जाँचें करवाई हैं और यदि हाँ, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख).

अस्पतालों के लिए आवश्यक सामान के उत्पादन हेतु स्टेनलैस स्टील की प्राप्ति के लिए जारी किये गये लाइसेंसो के दुरुपयोग के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनकी विदेश व्यापार मंत्रालय जाँच कर रहा है ।

राज्य सरकारों से उनकी जाँच के बारे में सूचना माँगी गई है । यदि कुछ होगी तो यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Bags of Chilli stolen from B.I.M. Goods Train Wagon at Rasra Station on North Eastern Railway

5389. SHRI SARJOO PANDEY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether 8 bags of chilli were stolen by breaking the seal of I B. I. M. Goods Train wagon at Rasra station on North Eastern Railway during March, 1971;

(b) whether the Railway employees who were detected selling cloth-bales from the wagon at Salempur Station on this Railway by the Salempur Police during 1966, had a hand in this theft also;

(c) whether the Railway Department has made an enquiry into this matter; and

(d) if so, the result thereof ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI HANUMANTHAIYA) : (a) Yes.

(b) One Railway employee who is suspected departmentally to be involved in the March, 1971 case had a hand in the Salempur case which occurred in 1967 and not in 1966.

(c) Yes. The case is also under Police investigation.

(d) The Railway employee was arrested by the Government Railway Police in 1967 alongwith others and the case against him is pending trial.

The Railway employee has also been transferred from Mau Junction recently. The Government Railway Police after investigation have closed the case reported in March, 1971 as no clue could be found.

Transfer of Railway Employees of Varanasi Division (North Eastern Railway)

5390. SHRI SARJOO PANDEY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether some employees of North Eastern Railway in Varanasi Division have been transferred on account of the fact that they detected thefts committed by some of the Railway employees;

(b) whether the employees, who were caught red-handed while committing thefts, have not been transferred; and

(c) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI HANUMANTHAIYA) : (a) No.

(b) and (c). One case of theft has come to notice. Further action is pending finalisation of enquiry report.

व्यास बाँध के पूरा होने पर बेकार होने वाले मजदूरों को खपाना

5391. **श्री प्रबोध चन्द्र : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यास बाँध कब तक बन कर तैयार हो जायेगा;

(ख) व्यास बाँध के बन कर तैयार होने पर कितने मजदूर बेकार हो जायेंगे; और

(ग) बेकार होने वाले मजदूरों के लिए काम की व्यवस्था करने के लिए बाँध प्राधिकारियों का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि उनमें असंतोष उत्पन्न न हो ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) व्यास नदी पर संचय बाँध (व्यास परियोजना—यूनिट दो) के पूरे किए जाने का नियत समय जून, 1973 तक और विद्युत संयंत्र के पहले यूनिट के चालू किए जाने का नियत समय दिसम्बर, 1974 तक है।

(ख) इस समय व्यास परियोजना—यूनिट दो में लगभग 13750 मजदूर काम कर रहे हैं। बाँध के पूरे हो जाने पर इन मजदूरों में से लगभग 50 प्रतिशत व्यक्ति और विद्युत घरों के पूरे हो जाने पर 35 प्रतिशत व्यक्ति और फालतू हो जायेंगे।

(ग) जब कभी छंटनी होगी, व्यास बाँध के कर्मचारियों की नियुक्ति अन्य समान परियोजनाओं पर करने में उन्हें प्राथमिकता देने का प्रयास किया जाएगा।

दिल्ली के चारों ओर स्थापित औद्योगिक एस्टेटों में जगह की कमी

5392. **श्री रामसहाय पांडे : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के चारों ओर स्थापित औद्योगिक एस्टेटों में जगह की बहुत कमी है जिसके कारण नए औद्योगिक एककों की स्थापना में रुकावटें आ रही है;

(ख) क्या रिहाइशी उद्देश्यों के लिए नियत कालोनियों में अनधिकृत रूप से उद्योगों की स्थापना की जा रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो औद्योगिक एस्टेटों में स्थान की कमी की समस्या हल करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और रिहाइशी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ। दिल्ली प्रशासन द्वारा स्थापित ओखला और बादली औद्योगिक बस्तियों में सभी निर्मित जगह पहले ही आबंटित कर दी गई है।

(ख) दिल्ली के मास्टर प्लान के अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों को उद्योगों के लिए अनुमोदित घोषित किया गया है। इन अनुमोदित क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को अनुमोदित क्षेत्रों में बदलने के लिए, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण विकसित प्लाट आबंटित करता है, सहायता दी जा रही है।

(ग) दिल्ली प्रशासन के लिए चौथी योजना में बादली स्थित औद्योगिक बस्ती के विस्तार और नई औद्योगिक बस्तियाँ स्थापित करने के लिए 110 लाख रु० की व्यवस्था है। इसी प्रकार प्रतिकूल क्षेत्रों से अनुकूल क्षेत्रों में स्थानान्तरित हो रहे औद्योगिक एककों को ऋण सहायता देने के लिए 120 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

रेल मशीनरी के निर्माण के लिये विदेशी सहयोग

5393. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भारत में अनेक विदेशी कम्पनियाँ अथवा अधिकरण विभिन्न प्रकार की रेल मशीनरी का निर्माण कर रहे हैं;

(ख) क्या रेलवे के लिए उस प्रकार की मशीनरी का निर्माण स्वदेशी संसाधनों तथा तकनीकी जानकारी से नहीं किया जा सकता और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उस मशीनरी का निर्माण स्वदेशी साधनों तथा तकनीकी जानकारी से करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है।

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) रेलों द्वारा रेल इंजन, सवारी डिब्बे और माल-डिब्बे जैसे चल-स्टाक की कोई पूरी मद विदेशी कम्पनियों से नहीं मँगायी जाती। फिर भी, कुछ विदेशी कम्पनियाँ और कुछ भारतीय कम्पनियाँ विदेशी सहयोग से भारत में फिलहाल रेल उपस्कर की कुछ मदों का उत्पादन कर रही हैं।

(ख) अधिकांश उपस्कर का उत्पादन, जिसकी रेलों को जरूरत पड़ती है, देशी साधनों और तकनीकी जानकारी द्वारा किया जाता है। लेकिन अत्यन्त विशिष्ट और उन्नत किस्म की कुछ मदें ऐसी हैं जिनका देश में पहली बार विकास किया जा रहा है और जिसके लिए विदेशी तकनीकी सहयोग आवश्यक है।

(ग) देश के साधनों और विशिष्ट ज्ञान का यथासंभव अधिकतम उपयोग हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा रेल उपस्कर के निर्माण के लिए नयी क्षमता स्थापित करने और वर्तमान क्षमता में वृद्धि करने के सभी प्रस्तावों की सावधानीपूर्वक छानबीन की जाती है, विदेशी सहयोग की अनुमति केवल वहीं दी जाती है, जहाँ अनिवार्य होता है।

भारतीय रेलवे में स्टोर कीपर, स्टूवर्ड 'ई' और हैड क्लर्क (फार्मीसिस्ट) के पदों का भरा जाना

5394. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों में स्टोर कीपरों, स्टूवर्ड 'ई' और हैड क्लर्क प्रोक्योरमेंट (फार्मीसिस्ट) के रुपये 130-300 (ए० एस०) और रुपये 210-380 (ए० एस०) के वेतनमान के कुछ पद हैं;

(ख) क्या ये पद तकनीकी अथवा अनुसचिवीय प्रकार के हैं; और

(ग) क्या इन पदों को भरने के लिए क्लर्कों की तालिका बनाई गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे कर्मचारियों के आश्रित पिता को चिकित्सा सुविधायें

5395. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों के नौकरों को निःशुल्क चिकित्सा कराने की अनुमति है जबकि आश्रित पिता को चिकित्सा कराने की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार अन्य विभागों में दी गई सुविधा के अनुसार आश्रित पिता के लिए यह सुविधा प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करेंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग). रेलवे चिकित्सा नियमों में "परिवार" की जो परिभाषा दी गयी है, उसके अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति चिकित्सा सुविधा के हकदार हैं :—

> "पत्नी/पति, कर्मचारी के साथ रहने वाले और उस पर पूर्णतः आश्रित वैध बच्चे, सौतेले बच्चे, और वे आश्रित संबंधी जो नियमों के अधीन पास पाने के पात्र हैं ।"

पास के प्रयोजन के लिए "आश्रित संबंधी" पद का तात्पर्य है (क) माता या सौतेली माता यदि विधवा हो, (ख) किसी भी आयु की अविवाहित या विधवा बहिन या सौतेली बहिन या 21 वर्ष से कम आयु के भाई/सौतेले भाई बशर्ते पिता जीवित न हो और बशर्ते वे कर्मचारी के साथ रहते हों और पूर्णतः उस पर आश्रित हों ।

केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना के अधीन "परिवार" शब्द में पत्नी या पति, बच्चे

या सौतेले बच्चे और माता-पिता, जो संबंधित सरकारी कर्मचारी के साथ रहते हों और मुख्यतः उस पर आश्रित हों, शामिल हैं। लेकिन इस नियम के प्रयोजन के लिए माता-पिता की आमदनी की सीमा निर्धारित कर दी गयी है जो अधिक से अधिक 250 रु० प्रति मास से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यद्यपि रेलवे चिकित्सा नियमों में पिता शामिल नहीं है, लेकिन इनमें रेल कर्मचारियों की किसी भी आयु की अविवाहित या विधवा बहिनें या 21 वर्ष से कम आयु के भाई/सौतेले भाई और एक निर्धारित सीमा तक उनके निजी नौकर शामिल हैं। केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना के अधीन आने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं।

उपर्युक्त बातों को देखते हुए रेलवे चिकित्सा नियमों को और अधिक उदार बनाने के लिए वर्तमान समय उपयुक्त नहीं समझा जाता।

ग्रेड 'बी' ड्राइवरों (पूर्वोत्तर रेलवे) की पदोन्नति

5396. **श्री आर० वी० बड़े** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड ने अनुदेश जारी किये हैं कि लोको फौरमैन, लोको इंस्पैक्टर्स और पावर कंट्रोलर्स के संवर्ग में रिक्त स्थानों को केवल "बी" ग्रेड ड्राइवरों को पदोन्नत करके भरना चाहिये;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पूर्वोत्तर रेलवे में ऐसे रिक्त स्थानों की उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित अनुदेशों का उल्लंघन करके "सी" ग्रेड ड्राइवरों को पदोन्नत करके भरा जा रहा है; और

(ग) इस संबंध में रेलवे प्रशासन द्वारा क्या सुधारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु के तिरुचेन्दूर कुमारी अन्तरीप क्षेत्र में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव

5397. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के तिरुचेन्दूर कुमारी अन्तरीप क्षेत्र की भूमि धीरे-धीरे समुद्र से कट रही है;

(ख) क्या तटवर्ती संसार प्रसिद्ध प्राचीन स्मारक खतरे में है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). सरकार

तमिलनाडु के तिरुचेन्दूर-कन्या कुमारी क्षेत्र में समुद्र कटाव की समस्या से अवगत है। राज्य सरकार ने मात्र इतना सूचित किया है कि तिरुचेन्दूर स्थित प्राचीन सुब्रह्मण्यास्वामी-मंदिर के कटाव की आशंका है और दूसरे किसी प्राचीन स्मारक के कटाव की आशंका नहीं है।

(ग) राज्य सरकार ने कन्याकुमारी जिले के इयरमान्दुरै, मिदालमिदूरै, पाल्लामदुरै, मलमानाकुडि में और तूतीकोरीन ताल्लुक के मानापट्टू में सुरक्षात्मक निर्माण कार्यों का और राज्य में समुद्र-कटाव को रोकने के लिए सुरक्षात्मक निर्माण कार्यों के प्रतिपादन के लिए क्षेत्रीय आँकड़े इकट्ठे करने का प्रस्ताव रखा है; इसके लिए राज्य की चौथी योजना के बाढ़-नियंत्रण सेक्टर में 10 लाख रुपये की व्यवस्था सम्मिलित की गई है। 1970-71 के दौरान इन निर्माण कार्यों पर व्यय लगभग 2·6 लाख रुपये था। 1971-72 की वार्षिक योजना में 4·5 लाख रुपये का प्रावधान शामिल किया गया है।

तमिलनाडु सरकार की हिन्दु धार्मिक तथा धर्मस्व-निधि विभाग ने भी तिरुचेन्दूर स्थित सुब्रह्मण्यास्वामी-मंदिर से पूरब की तरफ समुद्र-तट पर एक सुरक्षात्मक बाँध के निर्माण के लिए एक स्कीम तैयार की है। राज्य सरकार ने गत जून, 1970 में शिक्षा और समाज-कल्याण मंत्रालय के समक्ष इस स्कीम के लिए 6,07,500 रुपये की रकम की वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव रखा था। भारत सरकार ने राज्य सरकार की प्रार्थना पर विचार किया लेकिन राज्य सरकार की इस प्रार्थना से सहमत होना संभव नहीं पाया गया। राज्य सरकार को सलाह दी गई कि वह इस समस्या के विषय में मंदिर प्राधिकारियों के साथ खुद ही बात करे।

रेलवे के माल डिब्बों द्वारा इलायची ढोने का कार्यक्रम

5398. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलायची ढोने के लिए माल डिब्बों की बारम्बार होने वाली कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : इलायची पूरे माल डिब्बों में लदान के लिए नहीं आती। लेकिन यह दक्षिण रेलवे के स्टेशनों से कोचिंग दर पर भेजने के लिए थोड़ी मात्रा में आती है और उसे तुरन्त भेज दिया जाता है। अतः इलायची भेजने के लिए माल डिब्बों की आवर्ती कमी का प्रश्न नहीं उठता।

Nationalisation of Industries

5399. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the number of industrial establishments in the private sector in the country at present having investment of rupees 4 crores or more;

(b) whether Government propose to nationalise industrial establishments in the private sector having investment of rupees 50 lakhs or more; and

(c) if so, by what time ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) : (a) According to the analysis made by the Research and Statistics Division of the Department of Company Affairs published in January, 1971, there were 63 public limited companies in the corporate sector having a paid up capital of Rs. 4 crores or more during 1 69-70.

(b) & (c). There is no such proposal at present under consideration.

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि

5400. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). उच्च न्यायालय में मामलों के संस्थित किए जाने और निपटाये जाने तथा लम्बित मामलों के निपटारे के संदर्भ में समय समय पर उच्च न्यायलय के न्यायाधीशों की संख्या पर विचार करना और यदि आवश्यक हो तो अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजना प्रथमतः राज्य के प्राधिकारियों का काम है। उच्च न्यायालय पर होने वाला व्यय राज्य के राजस्व पर प्रभार है, इसलिए इस संबंध में पहल राज्य प्राधिकारियों की ओर से होनी चाहिए। दो उच्च न्यायालयों के लिए एक-एक न्यायाधीश बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

पश्चिम रेलवे मजदूर संघ, भावनगर (गुजरात) द्वारा पारित संकल्प

5401. **श्री प्रसनभाई मेहता** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भावनगर (गुजरात) के पश्चिम रेलवे मजदूर संघ से पश्चिम रेलवे के बारे में एक पत्र सं० (जी० ई० एन० /58/71-72 दिनाँक 1 जून, 1971) मिलता है जिसमें 24 अप्रैल, 1971 को जूनागढ़ में हुई संघ की आम बैठक में पारित तीन संकल्पों का उल्लेख किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, हाँ।

(ख) पश्चिम रेलवे मजदूर संघ द्वारा पारित तीन संकल्प रेलवे के कतिपय कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने, गाँधीधाम में यातायात कर्मचारियों को क्वार्टरों देने तथा क्वार्टरों की आर० सी० सी० छतों को ए० सी० सी० छतों में बदलने से संबंधित हैं।

इन माँगों पर विचार किया जा रहा है।

अम्बाला सिटी स्टेशन पर अभिलेख सतर्कता संगठन द्वारा जाँच पड़ताल

5402. **श्री बी० एस० चौहान** : क्या रेल मंत्री अंगूरों की नौ टोकरियों की हानि के लिए रेलवे द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान किये जाने के बारे में 24 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3843 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बाला सिटी स्टेशन के तत्सम्बन्धी रिकार्ड इस बीच जब्त कर सतर्कता संगठन द्वारा उनकी जाँच की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो जाँच के क्या परिणाम निकले और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सतर्कता संगठन द्वारा अम्बाला स्टेशन पर अभिलेखों की जाँच पड़ताल

5403. **श्री बी० एस० चौहान** : क्या रेल मंत्री नकली रेशम की बिल्टी के गुम हो जाने के कारण रेलवे द्वारा मुआवजे के भुगतान करने के बारे में 24 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3844 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बाला रेलवे स्टेशन पर तत्सम्बंधी रिकार्ड इस बीच जब्त कर सतर्कता संगठन द्वारा उनकी जाँच की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो जाँच के क्या परिणाम निकले और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) (क) जी नहीं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अजमेर डिवीजन (पश्चिमी रेलवे) में असिस्टेंट लोको फोरमैन के रूप में पदोन्नत किये गये कोटे का नियमित किया जाना

5404. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगचल कर्मचारियों और अनुरक्षण कर्मचारियों को असिस्टेंट लोको फोरमैन के रूप में पदोन्नत करने के लिये कोई अनुपात है फिर क्या सभी श्रेणियों में अग्रसर पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या रेलवे जोन की प्रत्येक लाइन पर इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है;

(ग) क्या पश्चिम रेलवे पर उक्त प्रक्रिया का उचित तौर पर पालन किया गया था;

(घ) क्या अनुरक्षण कर्मचारियों के, कोटे से अधिक संख्या में लिये जाने के कारण अजमेर डिवीजन के कर्मचारियों की पदोन्नतियाँ रुक गई थीं; और

(ङ) सरकार का सब डिवीजनों में जिसमें अजमेर डिवीजन भी शामिल है, कोटे को नियमित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) (क) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दक्षिण बिहार का उत्तर बिहार को और उत्तर बिहार का दक्षिण बिहार को बिजली का दिया जाना

5405. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री उत्तर बिहार में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत के बारे में 22 जून, 1971 के आतारांकित प्रश्न संख्या 2786 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच केबिल बिछाये जाने के बाद दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार को और उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को कितनी बिजली दी गई और बिजली देने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या बहुत बड़ी जनसंख्या और बिजली की कमी को देखते हुए दरभंगा और सहरसा में भी तापीय बिजलीघर स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) अक्तूबर 1969 और फरवरी 1971 के बीच दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार को लगभग 154 लाख यूनिटों का और उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को लगभग 1634 लाख यूनिटों का तबादला किया गया। यह तबादला ग्रिड के दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार नामक दो भागों की प्रचालन स्थितियों के आधार पर ही किया गया।

(ख) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने दो ताप-विद्युत केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है; इनमें से प्रत्येक 220 मैगावाट का होगा और एक मुजफ्फरपुर में तथा दूसरा कटिहार के निकट होगा। केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में इन प्रस्तावों की जाँच की जा रही है।

(ग) किसी ताप विद्युत केन्द्र के लिए स्थान का चुनाव भार-केन्द्र के लिए स्थान की निकटता, वहाँ पर्याप्त मात्रा में भूमि और प्रशीतक जल की उपलब्धि, ईंधन आदि की सप्लाई की सुविधाओं जैसे तकनीकी-आर्थिक विचारों के आधार पर किया जाता है। मुज़फ्फरपुर और कटिहार के स्थानों का प्रस्ताव इन्हीं विचारों पर आधारित है।

डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट, समस्तीपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) के सम्मुख प्रदर्शन

5406. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के लगभग एक हजार कर्मचारियों ने पूर्वोत्तर रेल मजदूर सभा के नेतृत्व में 15 जून, 1971 को डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट, समस्तीपुर के सामने प्रदर्शन किया था और उन्होंने एक ज्ञापन दिया था जिसमें अनेक माँगे रखी गई थीं;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर द्वारा नरकटियागंज का दौरा करने पर उन्हें कर्मचारियों ने एक ज्ञापन दिया था जिसमें कुछ माँगें रखी गई थीं और नरकटियागंज के स्टेशन मास्टर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Revision of Pay Scale of Tracers in the Office of Assistant Engineers (Northern Railway)

5407. SHRI JAGANNATHRAO JOSHI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the present pay scale of the Tracers in the Office of the Assistant Engineers in the Northern Railway and since when the said pay scale is operative there;

(b) whether Government propose to revise their pay scale; and

(c) if so, the proposed pay scale and the date from which it would be effective?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI HANUMANTHAIYA) : The present pay scale is Rs. 110-4-150-EB-4-170-5-180-EB-5-200. This scale has been in operation since 1.7.59, the date of introduction of authorised scales of pay on the Railways.

(b) There is no such proposal under consideration.

(c) The Third Pay Commission appointed by the Government will review the conditions of service and emoluments of the Central Government employees including Railway employees and their recommendations are awaited.

Shortage of Drinking Water at Soron Station on North Eastern Railway

5408. SHRI MAHADEEPAK SINGH SHAKYA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there is always rush of passengers at Soron station of North-Eastern Railway, it being a place of pilgrimage;

(b) whether there is always shortage of drinking water at this station, though it is a 'B' class station, and the passengers have to go without water; and

(c) if so, whether Government propose to provide one tube-well and a reservoir tank for water at that station ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI HANUMANTHAIYA) : (a) No.

(b) No.

(c) Does not arise.

केरल में योजनावधि में उद्योगों की स्थापना

5409. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में सरकारी क्षेत्र में कितने उद्योग स्थापित किये गये;

(ख) उक्त अवधि में अन्य राज्यों में स्थापित किये गये उद्योगों की तुलना में इनकी संख्या कितनी है; और

(ग) चौथी योजनावधि में केरल में सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि में विभिन्न राज्यों (केरल सहित) में चलायी/पूर्ण की गई केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं को बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) औद्योगिक परियोजनाएँ, जो चौथी योजना अवधि में केरल में स्थापित किए जाने के लिए सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आबंटित की गई हैं, निम्न प्रकार हैं :

राज्य क्षेत्र : कार्यक्रम/वर्तमान एककों के विस्तार/विविधीकरण से संबंधित है।

केन्द्रीय क्षेत्र : दूसरा पोत कारखाना, कोचीन, एफ० ए० सी० टी० (चौथे चरण का विस्तार) अखबारी कागज का कारखाना।

कोचीन उर्वरक।

कोचीन रिफाइनरी (विस्तार)

विवरण

द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनावधि में स्थापित/पूर्ण की गई केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनायें :

1.	आन्ध्र प्रदेश :	सिन्थेटिक ड्रग प्लान्ट, बी० एन० ई० एल०, मशीनी औजार कारखाना, प्राग टूल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान शिपयार्ड ।
2.	असम :	नूनामती रिफाइनरी, नामरूप फर्टिलाइजर ।
3.	विहार :	सिन्दरी फर्टिलाइजर, बरौनी रिफाइनरी, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लान्ट, हैवी मशीन टूल प्लान्ट, फाउंड्री फोर्स प्लान्ट, पाइराइट एण्ड कैमिकल डेवलपमेंट कारपोरेशन, बोकारो स्टील प्लान्ट ।
4.	गुजरात :	कोयाली रिफाइनरी ।
5.	जम्मू तथा कश्मीर :	कोई नहीं ।
6.	केरल	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड, कोचीन रिफाइनरी, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, एफ० ए० सी० टी०, अलावाई, कोचीन फर्टिलाइजर ।
7.	महाराष्ट्र :	हिन्दुस्तान एन्टीबाइटिक्स, ट्राम्बे फर्टिलाइजर्स, आर्गेनिक इण्टरमीडिएट प्लान्ट, कोयना अल्यूमिनियम ।
8.	मध्य प्रदेश :	भिलाई स्टील प्लान्ट, हैवी इलैक्ट्रिकल प्लान्ट, नेपा पेपर मिल्स, सिक्योरिटी पेपर मिल्स, कोरबा अल्यूमिनियम ।
9.	मद्रास :	नेवली लिगनाइट कारपोरेशन, सर्जिकल इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्टरी, बी० एच० ई० एल० हाई प्रैशर बायलर प्लान्ट, रौ फिल्म प्रोजेक्ट, मद्रास रिफाइनरी ।
10.	मैसूर :	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स ।
11.	उड़ीसा :	राउरकेला स्टील प्लान्ट, राउरकेला फर्टिलाइजर प्लान्ट ।
12.	पंजाब :	नंगल फर्टिलाइजर ।
13.	हरियाणा :	मशीन टूल प्लान्ट ।
14.	राजस्थान :	जिंक स्मेल्टर, खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट, प्रिसीज़न इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी ।
15.	उत्तर प्रदेश :	डीजल लोको फैक्टरी, एंटीबायोटिक्स फैक्टरी, बी० एच० ई० एल० हैवी इलैक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लान्ट, गोरखपुर फर्टिलाइजर्स ।
19.	पश्चिम बंगाल :	दुर्गापुर स्टील प्लान्ट, नेशनल इन्स्ट्रूमेंट, हिन्दुस्तान केबल्स, माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी प्रोजेक्ट, अलाय स्टील प्लान्ट, दुर्गापुर फर्टिलाइजर ।
17.	दिल्ली :	डी० डी० टी० फैक्टरी ।

केरल में बाँधों से किसानों को सहायता

5410. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्षों से केरल में विद्यमान वर्तमान बाँधों से किसानों को पर्याप्त सहायता प्राप्त नहीं हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बाँध के निर्माण के समय प्रत्येक बाँध से कितने एकड़ भूमि पर सिंचाई सुविधा दिए जाने का अनुमान था और उक्त अवधि में प्रत्येक बाँध से वास्तव में कितने एकड़ भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की गई;

(घ) क्या प्रत्येक मामले में लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(ड़) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ड़). केरल सरकार ने सूचित किया है कि इन मानसून ऋतुओं में वर्षा बहुत भारी हुई और इस कारण संचय से अधिक पानी को नदियों में प्रवाहित करना पड़ा । संचित जल को आयाकट क्षेत्र में हुई वृष्टि के अनुपूरक के रूप में केरल केवल विसिप्पु और मुंडकन फसलों की सिंचाई के लिए दिया जाता था; इसको ध्यान में रखते हुए गर्मी की ऋतु में अधिकतर बाँधों में पानी बहुत कम था और पानी पुँजा कृषकों को न दिया जा सका ।

जहाँ तक क्षेत्रफल उपलब्धि का संबंध है, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पूर्ण हुई किसी भी परियोजना में कोई कमी नहीं हुई ।

केरल में जल निःसारण बारे में प्रस्ताव

5411. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जल निःसारण के बारे में कोई प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर कितना खर्च आने का अनुमान है; और

(ग) इस बारे में राज्य सरकार ने कितनी सहायता माँगी और उसको कितनी सहायता दी गई या दिए जाने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) केरल सरकार

ने चौथी योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए 54 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर अब तक निम्नलिखित छः जल-निकास स्कीमों का प्रस्ताव किया है :

स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपये)
1. अमायिआझांचन थोड़ू दूसरे सेक्शन में सुधार	30·00
2. थोटापल्ली के उमड़मार्ग को जाने वाली नहर को काट कर खोलना और उसे गहरा करना	4·65
3. मनक्कूनाम ग्राम को जल-निकास सुविधाएँ प्रदान करना, पनार थोड़ू को खोलना ।	5·00
4. मुदावरन येला जल-निकास स्कीम पर बाढ़ नियंत्रण कार्य	1·50
5. त्रिचूर तालुक में अवानूर थोड़ू में सुधार	4·95
6. एलाकामसू और संकाथा एलास में सुधार	7·60

(ख) चौथी योजना अवधि के दौरान इन कार्यों पर होने वाले खर्च की धनराशि नहीं बताई गई है। जल निकास को मिला कर बाढ़ नियंत्रण के लिए चौथी योजना में कुल 1·53 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

(ग) जल-निकास स्कीमें बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम का ही भाग हैं और वे राज्य सैक्टर में ही शामिल हैं। चौथी योजना के शुरू से राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उनकी योजना स्कीमों के लिए ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जा रही है। और इसे किसी विशेष परियोजना अथवा विकास के शीर्ष से जोड़ा नहीं जाता। इसलिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के टाइपिस्टों का बढ़ा हुआ कार्यभार

5412. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के टाइपिस्टों के अधिक कार्यभार के बारे में 15 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2229 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सब श्रेणियों के कर्मचारियों के पदों के जिसमें रेलवे कार्यालयों में काम करने वाले टाइपिस्ट भी शामिल हैं बनाने पर किस वर्ष प्रतिबन्ध लगाया गया था;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में उक्त प्रतिबन्ध को उठाने का है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भर्ती पर लगाया गया उक्त प्रतिबन्ध उन पदों पर भी लागू होता है जिनका

भरा जाना रेलवे के किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों के पदों के कार्य विश्लेषण के परिणामस्वरूप न्यायोचित है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (घ). प्रशासनिक खर्च में किफायत बरतने के उद्देश्य से 1960 में रेलवे कार्यालयों में टाइपिस्टों सहित कर्मचारियों की सभी कोटियों के पदों के सृजन पर पाबन्दी लगा दी गई थी । तब से यह पाबन्दी जारी है, लेकिन जहाँ पदों का सृजन अपरिहार्य समझा जाता है, वहाँ इसमें छूट दी गई है । लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के संबंध में 1970 में निम्नलिखित सीमा तक छूट दी गई थी :

(i) 1969-70 में जितनी रिक्तियाँ हुईं, उसका 50 प्रतिशत ।

(ii) नयी परिसम्पत्तियों और सेवाओं के परिचालन के लिए अपेक्षित न्यूनतम पद;

(iii) तकनीकी काम के लिए अपेक्षित तकनीकी कर्मचारियों (लेखा, भंडार और अन्य कार्यालयों में क्लर्क के रूप में काम करने वाले ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर और मिस्त्री आदि) को मुक्त किए जाने के फलस्वरूप होने वाली रिक्तियाँ तथा महानगर परिवहन परियोजनाओं आदि संगठनों को भेजे गये कर्मचारियों के फलस्वरूप होने वाली रिक्तियाँ; और

(iv) 1970-71 में हुई रिक्तियों का 60 प्रतिशत ।

अहमदाबाद स्टेशन पर चाँदी के पार्सल का गायब हो जाना

5413. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पार्सल के बिल संख्या 75771 दिनांक 1 दिसम्बर, 1969 एक्स चूरू द्व पार्सल डिपो ग्रांट रोड के अन्तर्गत बुक कराया गया एक पार्सल, जिसमें लगभग 28,000 रुपये के मूल्य की चाँदी थी 2 दिसम्बर, 1969 या उसके आसपास अहमदाबाद स्टेशन से गायब पाया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उपर्युक्त माल का मुआवजा देने के लिये रेलवे विभाग को दावा मिला था और प्रेषक को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया था; और

(ग) क्या रेलवे सुरक्षा दल की केन्द्रीय जाँच ब्यूरो शाखा ने उपर्युक्त चोरी की जाँच की थी और यदि हाँ, तो उस जाँच के क्या परिणाम निकले हैं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मैसूर राज्य के साउथ कनारा डिस्ट्रिक्ट में समुद्र कटाव

5414. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्षा ऋतु में मैसूर राज्य के साउथ कनारा डिस्ट्रिक्ट में काफी बड़े पैमाने पर समुद्र-कटाव होता है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस खतरे को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). मैसूर राज्य सरकार ने दक्षिण कनारा जिले में समुद्रतट के कटाव की किसी गंभीर समस्या की सूचना नहीं दी है। फिर भी, 1966 और 1967 में कुण्डापूर तालुक में मारावांते के निकट और 1970 में उदीपी तालुक के एक स्थान में समुद्र-तट का कटाव हुआ था।

समुद्र-तट-कटाव-रोधी किसी उपाय के कोई प्रस्ताव न तो राज्य सरकार से ही प्राप्त हुए हैं और न राज्य की चौथी योजना के प्रस्तावों में समुद्र-तट-कटाव-रोधी निर्माण कार्यों के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था की गई है।

गुजरात में सिलिको-कार्बाइड बनाने के लिए कारखाने की स्थापना

5415. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिलिको-कार्बाइड बनाने के लिए एक कारखाना लगाने का है जिसके लिए कच्चा माल बड़ौदा की कोयाली शोधनशाला से सहज उपलब्ध है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कारखाने के स्थापना के संबंध में भारत सरकार को गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सरकारी क्षेत्र में सिलिकोन कार्बाइड के उत्पादन के लिये कारखाने लगाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। इस वस्तु के निर्माण के लिये मूल रूप से बालू और कोक जैसे कच्चे माल की आवश्यकता होती है जो बड़ौदा के निकट कोयाली शोधनशाला क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

(ख) सिलिकोन कार्बाइड के उत्पादन के लिये गैर सरकारी क्षेत्र में एककों की स्थापना करने हेतु पर्याप्त रुचि है जो केवल मध्यम क्षेत्र में ही हो सकती है। देश में सिलिकोन कार्बाइड

की आवश्यकता इतनी अधिक नहीं है जिससे इसके उत्पादन के लिये सरकारी क्षेत्र में कारखानों की स्थापना करने की आवश्यकता पड़े ।

(ग) जी, नहीं ।

समुद्र कटाव से रक्षा करने के लिए तमिलनाडु के तिरुनेलवेल्ली जिले में तिरुचेंदुर मन्दिर की पूर्वी ओर दीवार का निर्माण

5416. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने समुद्र-कटाव से रक्षा करने के लिए तमिलनाडु के तिरुनेलवेल्ली जिले में 'तिरुचेंदूर मन्दिर' की पूर्वी ओर दीवार बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता माँगी है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी राशि माँगी गई है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). तिरुचेंदूर में सुब्रह्मण्यास्वामी मन्दिर केन्द्र द्वारा सुरक्षित स्मारक नहीं है और यह तमिलनाडु सरकार के हिन्दु धार्मिक तथा धर्मस्व-निधि विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है । राज्य सरकार ने मन्दिर के पूर्वी भाग के किनारे पर एक सुरक्षा बाँध के निर्माण के लिए 6,07,500 रुपये की वित्तीय सहायता के लिए गत जून, 1970 में शिक्षा और सामाजिक कल्याण मंत्रालय के पास प्रस्ताव रखा था । भारत सरकार ने राज्य सरकार की प्रार्थना पर विचार किया था परंतु किसी प्रकार की वित्तीय सहायता देना संभव नहीं पाया गया । राज्य सरकार को मन्दिर प्राधिकारियों की सहायता से समस्या को अपने आप सुलझाने की सलाह दी गई थी ।

Demand for Financial Assistance from K.V.I.C. by Khadi Gramodyog Board, Madhya Pradesh

5417. SHRI HAKIM CHAND KACHWAI : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether the Khadi Gramodyog Board of Madhya Pradesh have sought financial assistance from the Khadi and Village Industries Commission for setting up units in the State for the manufacture of household utensils; and

(b) if so, the decision taken thereon ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Incidents of Looting on North Eastern Railway

5418. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of incidents of looting that took place on the North Eastern Railway during the last 8 months;

(b) the value of Government and private property so looted as per information collected by Government;

(c) the number of persons arrested in this connection and the number of those against whom cases have been registered; and

(d) the number of persons convicted by the law courts ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI HANUMANTHAIYA) : (a) 74 cases.

(b) Government property worth Rs. 15,825·00 and private property worth Rs, 90,663·00 were looted.

(c) 99 persons were arrested in this connection against whom cases have been registered.

(d) None so far.

New Railway Line between Gwalior and Kota via Sheopur

5419. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government propose to lay a new Railway line between Gwalior and Kota via Sheopur for the convenience of the people and to bring about industrial development of the area and also to solve the dacoit problem there;

(b) whether Government propose to include the construction of the said line in the Fourth Five Year Plan; and

(c) if so, the time by which construction of this line is likely to be taken in hand and the time likely to be taken in completing the same ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI HANUMANTHAIYA) : (a) to (c). Due to paucity of funds and lack of adequate traffic justification there is no proposal at present either for construction of new line from Gwalior to Kota, or for extension of the existing Gwalior-Sheopur Narrow Gauge line to Kota.

Extension of Narrow Gauge Line from Gwalior to Kota via Sheopur

5420. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there is a narrow gauge line between Gwalior and Sheopur at present;

(b) whether Government propose to extend the said line upto Kotah keeping in view the convenience of the public;

(c) whether Government propose to include this proposal in the Fourth Five Year Plan;

(d) if so, the estimated additional expenditure likely to be incurred by Government thereon; and

(e) the date by which the said work is likely to be taken in hand and the time by which it is likely to be completed ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI HANUMANTHAIYA) : (a) Yes.

(b) to (e). Due to paacity of funds and lack of adequate traffic justification the suggested extension is not being considered for the present.

गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में नालियों को खोदने की योजना

5421. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पानी के निकास के लिए नालियाँ खोदने की कोई योजना हाथ में ली है;

(ख) क्या योजना की जाँच केन्द्रीय सरकार के इंजीनियरों ने की थी; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सुझाव और सहायता दी गई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार ने जल-निकासी-नालियों के सुधार का कार्य कृष्णा और गोदावरी डेल्टा-क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण और जल-निकासी में सुधार के लिए परियोजना के एक भाग के रूप में शुरू किया है।

(ख) और (ग). केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में जाँच के बाद परियोजना को अंतिम रूप दे दिया गया और योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति ने इसकी स्वीकृति दे दी। राज्य सरकार इसे लाभ-भोगियों से अंशदान लेकर एक योजनेतर स्कीम के रूप में कार्यान्वित कर रही है। बहरहाल, इस बात पर विचार करते हुए कि परियोजना को तुरन्त आरंभ करना आवश्यक था और राज्य सरकार लाभ-भोगियों से, जो 1969 के तूफान से बुरी तरह पीड़ित थे, 1969-70 में अंशदान न ले सकी, भारत सरकार ने उस वर्ष में 3 करोड़ रु० की एक विशेष ऋण-सहायता की मंजूरी दे दी।

रेलवे कर्मचारियों के रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति पर मनोनीत किये जाने पर रोक

5422. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों के रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति पर मनोनीत किए जाने पर कोई रोक है; यदि हाँ, तो कब से;

(ख) क्या दक्षिण जोन की जोनल समिति में 1970 में एक हरिजन रेलवे कर्मचारी को मनोनीत किया गया था और कुछ समय बाद उसे हटा दिया गया; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क), जी, हाँ। समितियाँ प्रारम्भ होने के समय से ही।

(ख) और (ग). 1-4-1970 से 31-3-1972 तक के चालू सत्र के लिए दक्षिण रेलवे की क्षेत्रीय रेल उपभोगकर्ता सलाहकार समिति में श्री बी० के० चिन्ता गोविन्दम नामक एक व्यक्ति को "विशेष हितों" के अन्तर्गत नामांकित किया गया था। लेकिन बाद में जब यह मालूम हुआ कि वह रेल कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया गया क्योंकि संविधान के अनुसार जो व्यक्ति रेलवे से संबंधित किसी लाभ के पद पर कार्य करते हैं वे इन समितियों में नियुक्ति के पात्र नहीं होते।

राजस्थान के छपरवाड़ा और माशी बाँधों में दरार आने से क्षति

5423. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी वर्षा के कारण राजस्थान के चपरवाड़ा और माशी बाँधों में दरार आ गई थी; और

(ख) कितने गाँवों पर इसका प्रभाव पड़ा तथा कितने आदमी और जानवर मरे और फसल और सम्पत्ति की कितनी हानि हुई ?

सिंचाई और विद्युत उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हाँ।

(ख) राज्य सरकार नुकसान का अंदाजा लगा रही है। अभी तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार छपरवारा बाँध में दरार पड़ जाने से अनेक गाँवों में बाढ़ आ गई थी लेकिन झोंपड़ियों के गिर जाने से पर्याप्त रूप से नुकसान 6 गाँवों को पहुँचा। बाँध और नहर को जो नुकसान पहुँचा है उसका अनुमान 15 लाख रुपया है।

माशी बाँध में दरार पड़ जाने से 14 गाँव और 304 परिवार प्रभावित हुए। मकानों आदि के गिरने से होने वाला नुकसान अनुमानतः लगभग 5·5 लाख रुपये का है। बाँध और नहर को जो नुकसान पहुँचा है, उसका अनुमान 7 लाख रुपया है।

छपरवारा और माशी में दरार पड़ जाने से मानव जीवन या पशुधन को कोई नुकसान नहीं पहुँचा।

Working Hours of Railway Booking Office, Jaipur

5424. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of employees working in Jaipur Railway Booking Office and the number of booking windows provided there indicating their working hours;

(b) whether these booking windows bear the notice 'Open for 24 hours', yet there is no one to attend to the passengers;

(c) whether Government have received any memorandum from the All India Railway Commercial Clerks Association in this regard; and

(d) if so, the action taken thereon ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI HANUMANTHAIYA) (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Cement Bags found short at the Destination

5425. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of Railway wagons loaded with cement from Cement sidings at Chanderia Station on the Western Railway from 1st June, 1970 to 31st May, 1971 for being despatched to metre gauge stations;

(b) the number of wagons out of them in the case of which cement bags were found short of the number quoted in the receipts on reaching the destination;

(c) the amount paid as compensation by the Railways to the Cement factory for the cement bags found short;

(d) whether Goods Clerks of the Chanderia station and the All India Commercial Clerks Association had submitted a Memorandum to Government in regard to the working of the said stations; and

(e) if so, the steps taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI HANUMANTHAIYA) (a) 9,977.

(b) & (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House later.

(d) Yes.

(e) The representations were examined and it was found that no change was warranted in the working procedure at Chanderia Railway Station.

Abbreviated Code Names of Railway Stations in Hindi

5426. SHRI SUDHAKAR PANDEY : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the arrangements made for preparing abbreviated code names of railway stations in Hindi on the pattern of the code names in use in the case of English; and

(b) when this work is likely to be completed ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI HANUMANTHAIYA) : (a) Abbreviated

code names of Railway stations in Hindi are being evolved with the assistance of the Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad.

(b) Since the work is in the early stages of progress, it is not possible to indicate at present the time by which it will be completed.

Disposal of Documents received in Hindi in the Ministry of Law and Justice

5427. SHRI SUDHAKAR PANDEY : Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that when documents are received in Hindi from other Ministries and offices for obtaining legal advice, his Ministry insists that their English translation should be sent by them;

(b) if not, whether such documents are translated by the Official Language (Legislative) Commission;

(c) the number of files and documents whose translation was obtained by the Ministry from the Official Language (Legislative) Commission;

(d) whether it is contemplated that all such matters seeking legal advice should be referred to Hindi knowing Officers direct instead of getting the documents translated in English; and

(e) if so, the decision taken and by what time action will be taken accordingly ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir. The Hindi work of the Ministry of Law is done in the Translation Section of the Legislative Department which is a centralised unit for doing the Hindi work of the Ministry as a whole. The Section has been provided with adequate number of Translators.

(c) Does not arise.

(d) & (e). No, Sir. There are no Hindi-knowing officers in the Department of Legal Affairs who are in a position to give legal advice in Hindi.

इण्डिया इलैक्ट्रिक वर्क्स के कर्मचारियों को देय राशि

5428. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व इंडिया इलैक्ट्रिक वर्क्स के कर्मचारियों की ओर (1) मालिक के अंशदान (2) कर्मचारियों के अंशदान और (3) इन राशियों पर ब्याज के रूप में, राशि कितनी देय है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : 1 तथा 2. कर्मचारियों तथा मालिकों के अंशदान के रूप में कुल देय राशि 10·40 लाख रु० है।

3. प्रत्येक कर्मचारी से संबंधित राशि का ब्याज समय-समय पर प्रचलित दरों के आधार पर निकाला जाना होता है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

नेपाल और चीन के बीच कथित समझौता

श्री हरि किशोर सिंह (पुरी) : मैं विदेश मंत्री ,का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"नेपाल और चीन के बीच कथित समझौता जिसके अनुसार नेपाल द्वारा चीन को भारतीय सीमा के निकट तराई सीमा क्षेत्र का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई है।"

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सरकार को यह मालूम है कि 16 जुलाई को काठमांडू में चीनी राजदूत और नेपाल सरकार के वित्त सचिव के बीच पत्रों का आदान-प्रदान हुआ था जिसके अनुसार चीनी सरकार इस बात का सुनिश्चय करने के लिए नेपाल तराई के बटवाल क्षेत्र का सर्वेक्षण करेगी कि क्या वहाँ कपास की खेती की जा सकती है। इस समझौते से, पहले की स्थिति को औपचारिक रूप दिया गया है जिसके विषय में हमें जानकारी थी और जो यह है कि कपास की खेती के प्रश्न पर विचार करने के लिए कुछ चीनी विशेषज्ञ उस क्षेत्र में मौजूद हैं। उनका विचार यह पता लगाकर रिपोर्ट देना है कि क्या वहाँ कपास की खेती की जा सकती है।

इस समझौते में नेपाल सरकार के सहयोग से चीनी तकनीशियनों द्वारा इस क्षेत्र के अन्वेषण की व्यवस्था है।

श्री हरि किशोर सिंह : यह बड़े दुःख की बात है कि नेपाल के साथ हमारे गहन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक संबंधों तथा इस तथ्य के बावजूद कि हमने उसके साथ हमेशा मैत्रीपूर्ण संबंध सुदृढ़ करने की कोशिश की है और उसे सबसे अधिक सहायता दी है तथा व्यापार के मामले में बहुत उदारता दिखाई है, उसके साथ हमारे अभीष्ट संबंध नहीं हैं।

मैं जानना चाहता हूँ क्या सरकार को इस बात का पता है कि सम्पूर्ण तराई क्षेत्र कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि वहाँ अधिकतर भाग में जूट तथा धान की खेती होती है और क्या नेपाल सरकार ने इस क्षेत्र में ऐसा ही कोई सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया था ? क्या सरकार को पता है कि नेपाल के सत्तारूढ़ गुट में भारत विरोधी एक शक्तिशाली लॉबी है जो खुद वहाँ के महाराजा से प्रेरणा लेता है ? क्या सरकार को इस समझौते तथा इस्लामाबाद, पीकिंग और वाशिंगटन के बीच बढ़ते संबंधों के बीच किसी गठबन्धन की कोई संभावना नजर आती है ? क्या सरकार इस समझौते को हमारे देश के हितों तथा सुरक्षा के विरुद्ध एक शत्रुतापूर्ण कार्यवाही समझेगी ? क्या यह सच नहीं है कि 1960 में वहाँ महाराजा द्वारा शासन की बागडोर अपने हाथ में ली जाने के पश्चात् नेपाल की विदेश नीति में भारत विरोधी तत्व अधिक आ गया है ? क्या सरकार वहाँ प्रजातंत्रीय प्रणाली की पुनर्स्थापना के लिए नेपाल में प्रजातंत्रीय तत्वों को मदद देने

की संभावना पर विचार करेगी ? भारत नेपाल सीमा पर हमारी ओर रहने वाले लोगों की जान व माल की हिफ़ाजत के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जहाँ तक पहले प्रश्न का संबंध है हमारी जानकारी के अनुसार, तराई क्षेत्र में अब तक कपास नहीं उगायी गयी है। नेपाल सरकार तथा चीन सरकार के बीच हुए इस समझौते का उद्देश्य इस बात का पता लगाना है कि क्या उस खण्ड में कपास की खेती करना व्यावहारिक है। यही वह समझौता है। नेपाल सरकार ने हमसे ऐसा कोई सर्वेक्षण करने के लिए नहीं कहा है।

उनका दूसरा प्रश्न था भारत विरोधी लॉबी के बारे में। हमें ऐसा किसी लॉबी का पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वहाँ कुछ राजनैतिक तत्व तथा नेता ऐसे हैं जो भारत-विरोधी भाषण देते रहते हैं और हमारी बहुत आलोचना करते हैं। लेकिन इस के साथ-साथ मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कुछ नेताओं की ओर से भारत के प्रति जो ऐसा आलोचनात्मक रवैया है वह नेपाल नरेश की प्रेरणा पर है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूँगा कि वह ऐसी बातें न कहें जिससे एक पड़ौसी मित्र देश के प्रधान शासक पर आक्षेप होता है। इस समझौते में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण कार्यवाही कहा जा सके।

उसके बाद वह कहते हैं कि हमें नेपाल में प्रजातंत्रीय तत्वों की मदद करनी चाहिए। जब हम ऐसे मामलों के बारे में जो स्पष्टत: नेपाल के अन्दरूनी मामले हैं, बातें करते हैं तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। इस प्रकार की बातों तथा रवैये से गलतफहमी पैदा होती है जिसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता। ऐसे रवैये से बेकार शक पैदा होता है। अत: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वे हमारे पड़ौसी देशों के बारे में विशेषकर छोटे देशों के बारे में जो हमारे पड़ौसी हैं, ऐसा रवैया न अपनायें।

जहाँ तक उस सीमा पर लोगों की सुरक्षा का संबंध है, मुझे माननीय सदस्यों को फिर से आश्वासन देने की आवश्यकता महसूस नहीं होती कि हमारी सीमा सुरक्षित है और वहाँ किसी किस्म का कोई खतरा या जोखिम नहीं है।

DR. LAXMINARAIN PANDEY (Mandsaur) : It is true that Nepal is a friendly neighbouring country and we are having good relations with them. But keeping in view the hostile attitude of China towards India and her collusion with Pakistan, I want to know from the hon. Minister whether our Government have secured any guarantee or assurance from the Government of Nepal that the agreement would not make any adverse effect on our border and that China would not create any trouble in that area posing a danger to the security of that region.

Secondly, Nepal is a developing country and we are giving her maximum possible aid despite our meagre resources and helping them in the implementation of a large number of her projects and schemes. In the matter of trade also, we are trying to be as liberal as possible. We have, therefore, to view these developments in their right perspective so that our national interests are not jeopardised thereby. So I want to know whether the Nepalese Government had approached us to conduct any such survey and, if so, what was our Government's response.

Thirdly, whether the Government, keeping the other possible aspects of this agreement in view, have taken adequate measures to ensure the security of our border ?

श्री स्वर्ण सिंह : नेपाल सरकार ने हमसे ऐसा कोई सर्वेक्षण करने तथा इस किस्म की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कोई अनुरोध नहीं किया है। जहाँ तक माननीय सदस्य के सुरक्षा संबंधी अन्य प्रश्नों का संबंध है, मैं बता चुका हूँ कि हम इस संबंध में पूरी तरह जागरूक हैं और अपनी सीमा की सुरक्षा के हेतु पर्याप्त कार्यवाही कर रहे हैं और सदैव करते रहे हैं।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : इस समझौते की आड़ में चीन भारत की सुरक्षा के लिए एक खतरा पैदा करना चाहता है और यह उसकी एक सोची-समझी चाल है। खतरा इस लिए है कि वहाँ नक्सलाइट गतिविधि चल रही है और चीन उन्हें उकसा रहा है। इसके अलावा सर्वेक्षण ऐसे क्षेत्र में किया जा रहा है जहाँ कोई कपास नहीं उगती। चीन का भारत तथा रूस विरोधी रवैये को तथा पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों को देखते हुए, इस शंका को और अधिक बल मिलता है। चीन भारत की उन्नति में बाधा डालना चाहता है। क्या सरकार इस मामले को नेपाल सरकार के साथ उठायेगी ताकि हमारी सुरक्षा को खतरा न पहुँचे।

दूसरी बात, चीन और नेपाल के बीच राष्ट्रीय राजपथ बनाने का समझौता तथा चीन के साथ नेपाल के कुछ और समझौते हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुँचा कर चीन को खुश करने की नेपाल की नीति है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि नेपाल को हमने 83 करोड़ रुपये की मदद दी है और हम उसके साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। बावजूद उसके, वहाँ के कुछ राजनीतिज्ञ अपने भाषणों में भारत विरोधी भावनाएँ पैदा करते हैं और भारत की कड़ी आलोचना करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार तथा काठमांडू स्थित हमारा दूतावास इस स्थिति में सुधार करने तथा विशेषत: वहाँ के लोगों में भारत के प्रति मैत्रीपूर्ण भावनाएँ उत्पन्न करने के लिए क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमें अपनी सीमा महसूस करनी चाहिए कि हम कहाँ तक जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हम चीनी तकनीशियनों को नेपाल राज्य क्षेत्र में आने से तथा वहाँ के लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित करने से कैसे रोक सकते हैं ? यह देखना तो नेपाल सरकार को है कि क्या उसके हित में है और क्या नहीं और हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नेपाल को खुद अपने हित का पता नहीं है।

जहाँ तक हमारे देश की सुरक्षा का संबंध है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नेपाल के साथ हमारा निरन्तर सम्पर्क है और ऐसा शक करने का कोई आधार नजर नहीं आता कि नेपाल ऐसा कोई काम करेगा जिससे किसी तरह हमारी सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो।

तीसरा प्रश्न यह है कि नेपाल में अनेक राजनीतिज्ञों द्वारा भारत-विरोधी कई भाषण दिये गये हैं और हमारा दूतावास क्या कर रहा है। हम सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही स्तर पर इस बात के लिए प्रयत्न करते रहते हैं कि भारत-विरोधी इन भाषणों के बावजूद, नेपाल सरकार का हमारे प्रति मैत्रीपूर्ण रवैया बना रहे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम दास ओझा) : मैं श्री मोइनुल हक़ चौधरी की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) (i) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ii) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—688/71.**]

(2) (i) राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1969-70 के कार्य की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ii) राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेतन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ। [**ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी०—689/71.**]

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : मैं स्थायी सिन्धु आयोग के 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 690/71.**]

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

पहला प्रतिवेदन और कार्यवाही का सारांश

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं प्राक्कलन समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूँ :

(1) नौवहन और परिवहन मंत्रालय—विशाखापत्तनम पत्तन-संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(2) नौवहन और परिवहन मंत्रालय संबंधी पहले और दूसरे प्रतिवेदनों के संबंध में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

श्री एस० एम० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, प्रतिवेदन बहुत भारी है।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

पहला प्रतिवेदन

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

निर्वाचन संबंधी संयुक्त समिति

JOINT COMMITTEE ON ELECTION LAW

प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय बढ़ाना

EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF REPORT

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा निर्वाचन विधि में संशोधनों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा निर्वाचन विधि में संशोधन संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये नियत समय को आगामी मास के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अनुदानों की माँगें, 1971–72—जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1971-72—*Contd.*

विदेश मंत्रालय

श्री अहमद आगा (बारामूला) : यह कहना सही नहीं है कि हमारी गुट-निरपेक्षता की नीति पुरानी हो चुकी है क्योंकि यह नीति उस समय बनाई गई थी जब रूस तथा अमरीका में शीत युद्ध चल रहा था । हमारी गुट-निरपेक्षता की नीति का उद्देश्य है विश्व में शान्ति रहे और इसी इच्छा पर हमारी यह नीति आधारित है । जब तक विश्व के विभिन्न खण्डों में शान्ति नहीं होगी, तृतीय विश्व देशों का विकास नहीं हो सकता तथा वे समृद्ध नहीं हो सकते । किन्तु आज

सम्राज्यवादी देशों की विशेषत: अमरीका की नीति यह है कि विश्व में हमेशा अशान्ति रहे। दक्षिण-पूर्व एशिया में अमरीका ने कोरिया में युद्ध प्रारम्भ किया, उसके बाद फिर वियतनाम में, कम्बोडिया में और लाओस में उसने ऐसा किया। अब उसने मध्य-पूर्व में अरब विश्व में इसराइलियों तथा यूरोपीय यहूदियों को जमाकर वहाँ गड़बड़ मचवाई है। उसके पश्चात् उसने उन्हें इतने हथियार दिये जिससे कि वे अरब भूमि के हिस्से पर कब्जा कर सकें। पैलेस्टाइन में शरणार्थी समस्या उन्होंने ही पैदा की जो अब स्थायी समस्या बन गई है।

यही नहीं साम्राज्यवादी देश दक्षिण अफ्रीका में, अंगोला में, मोजाम्बिक में, गिनी आदि में वहाँ के लोगों को शासन करने का हक नहीं दे रहे हैं। रोडेशिया में अल्प संख्यक स्मिथ सरकार को भी सत्तारूढ़ बनाये रखने में उन्हीं की साज़िश है जिसके आधार पर उसे दक्षिण अफ्रीका तथा पुर्तगाल से मदद तथा सप्लाई मिलती रही। इससे जाहिर होता है कि बड़ी शक्तियाँ दूसरों पर अपनी किस्म की सरकार थोपना चाहती हैं और छोटे देशों को उनकी इच्छानुसार अपनी सामाजिक-राजनैतिक व्यवस्था कायम नहीं करने देती हैं। हम उपनिवेशवाद को समाप्त करने के पक्ष में हैं तथा निशस्त्रीकरण चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि बड़ी शक्तियाँ अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप करें।

श्री वाजपेयी ने कल अपये भाषण में कहा था कि भारत का कोई मित्र नहीं है जिसका अर्थ यह है कि हम भी अमरीका के पिछलग्गू बन जायें और उसी से हथियार तथा गोलाबारूद प्राप्त करें। उन्होंने कहा था याह्या खाँ के मित्र हैं, किन्तु यह सच नहीं है। वह अमरीकी साम्राज्यवादियों का पिछलग्गू है। भारत चंगेजखाँ या हलाको खाँ के पद-चिह्नों का अनुसरण नहीं करेगा। यह हमारी परम्परा नहीं है। हम हमेशा शान्ति चाहते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि शान्ति से ही विश्व आगे बढ़ सकता है तथा उसका विकास हो सकता है।

चीन तथा अमरीका के बीच जो सन्धि-वार्ता का सिलसिला चल रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। किन्तु इस वार्ता से हनोई खुश नहीं है। ऐसा लगता है कि यह अमरीका की इन्डोचाइना में दूसरे रूप में रहने की एक चाल है। यह गठबन्धन चीन के लिये, जिसका एक मात्र शत्रु रूस है, प्रोत्साहन है और यदि चीन और रूस के बीच संघर्ष हो जाता है तो उस स्थिति में एशिया नष्ट हो जायेगा। मंत्री जी को इस पहलू पर काफी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर सरकारी नजर से गौर किया जाये।

जहाँ तक बंगला देश का संबंध है, हाल के समाचार-पत्रों में यह समाचार छपा था कि याह्या खाँ को 1 करोड़ 18 लाख डालर प्राप्त होने की अमरीका से आशा है। यदि यह खबर ठीक है तो वह बंगला देश में और अधिक समय तक लड़ाई जारी रख सकेगा और मुक्ति वाहिनी के लिये बंगला देश स्वतंत्र कराने का कार्य और ज्यादा कठिन हो जायेगा। मैं बंगला देश के संबंध में सरकारी नीति तथा उसकी हर बात से सहमत हूँ किन्तु प्रश्न यह है कि यदि उस देश में युद्ध अधिक समय तक चलता रहा, तो हमारे देश पर शरणार्थियों का भार और भी अधिक बढ़ जायेगा। अत: विदेश मंत्री को इस समूचे मामले की जाँच करनी चाहिए और इसका निर्णय करना चाहिए कि विश्व जनमत पर दबाव डालने के लिये हमें क्या कार्यवाही करनी चाहिए जिससे कि वहाँ इस प्रकार का युद्ध समाप्त किया जा सके।

मैं इस बात पर फिर से जोर दूँगा कि बंगला देश का एक पृथक देश होना हमारे व्यापक हित में है क्योंकि वह हमारे पड़ौस में एक ऐसा देश होगा जिसमें मुसलमान अधिक संख्या में होंगे और वह मुस्लिम प्रधान देश होगा जिसके साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध होंगे और बंगला देश के साथ इन अच्छे संबंधों का प्रभाव पश्चिम पाकिस्तान पर भी पड़ेगा जिससे वहाँ के लोग भी सैनिक तानाशाही से उसी प्रकार की मुक्ति पा सकते हैं ।

श्री के० मनोहरन् (मद्रास उत्तर) : मैं कल से सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के भाषणों को गौर से सुन रहा हूँ और मुझे खुशी है कि उन्हें भी महसूस हुआ है कि हमारी विदेश नीति में परिवर्तन, उसका पुनर्विन्यास तथा पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है । जहाँ तक हमारे दल का संबंध है, हमारा विचार है कि विदेश नीति में हमेशा ही देश का हित सर्वोपरि होना चाहिए। अतः हमारी विदेश नीति में तुरन्त परिवर्तन की आवश्यकता है । हमें बदलती हुई परिस्थितियों, और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों एवं राजनीति के अनुकूल अपने को ढालना चाहिए ।

हमने अमरीका के राष्ट्रपति श्री निक्सन की प्रस्तावित चीन यात्रा के बारे में सुना है । इससे सम्पूर्ण विश्व में तनाव पैदा हो गया है । इस बारे में विश्व के देशों की प्रतिक्रियाएँ मालूम हुई हैं । विभिन्न देशों ने इस एक पंक्ति के समाचार को उत्तरदायित्व, भय तथा क्या नहीं की भावना से लिया है । किन्तु आश्चर्य की बात यह है कि हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसे, निक्सन और चाऊ-इन-लाई के बीच पाणिग्रहण तथा याह्या को उसमें पुरोहित बताकर, बड़ी लापरवाही से टाल दिया है और अन्य लोगों से आराम की नींद सोने को कहा है । निक्सन की प्रस्तावित यात्रा के क्या कारण हैं ? इस बारे में लोगों के तथा विभिन्न देशों के अपनी-अपनी कल्पना तथा अनुमान हो सकते हैं । मैं समझता हूँ इसका कारण चीन और रूस के बीच तनाव बनाये रखने का है । ऐसा होने पर ही अमरीका का प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया में जम सकता है । दूसरी ओर माउत्से-तुंग जो प्रतिवाद के सिद्धान्त में विश्वास रखता है, ने सोचा होगा कि केवल किसी विरोधी खेमे में घुसकर ही वह विश्व के सभी देशों में शान्ति बनाये रख सकेगा । मैं यह जानना चाहता हूँ कि हम इस ऐतिहासिक परिवर्तन से क्या सबक सीखेंगे ? हमने क्या इस प्रकार की राजनीति से कुछ सीखा है ?

चीन से अमरीका की कड़ी आलोचना की है । उसे गालियाँ तक दी हैं । हमारे देश को भी अमरीका का पिट्ठू कहा जाता रहा है । अब उसी अमरीका के राष्ट्रपति चीन की यात्रा करने वाले हैं । क्या हम भी अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करने जा रहे हैं ?

बंगला देश के बारे में अन्य देशों का विचार था कि भारत कार्यवाही करेगा परन्तु हमने कुछ नहीं किया है । गत 20 वर्षों में पाकिस्तान तीन बार भारत पर आक्रमण कर चुका है, प्रत्येक बार भारत को हानि उठानी पड़ी है ।

अरब देशों से हमारी मित्रता है, परन्तु बंगला देश के मामले में इनमें से एक देश ने भी स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान के अत्याचारों की निन्दा नहीं की है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इससे हम अपनी विदेश नीति में क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं ? पूर्वी जर्मनी को मान्यता देने के मार्ग में क्या रुकावट है ? इज़राइल को मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है ?

पिछले 20 वर्षों में हमारे देश का सम्मान कम हुआ है। विश्व में हमें कोई पूछता तक नहीं है। यह सब हमारी गलत नीति के परिणामस्वरूप ही है।

हमें बंगला देश को अविलम्ब मान्यता दे देनी चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा कि सरकार इस पर कब तक विचार करती रहेगी। इस बारे में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। केवल बातों से काम नहीं बनने वाला है। विश्व के सभी देश हैरान हैं कि हम कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे। आज विश्व का कोई देश हमारा मित्र नहीं है। हमें अन्य देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करने चाहिए। हमें चीन के साथ बातचीत आरंभ करनी चाहिए। इस संबंध में पहल की जानी चाहिए। देश के सम्मान को बढ़ाते हुए हमें आगे बढ़ना है।

श्री सन्त बख्श सिंह (फतेहपुर) : मैं भी मनोहरन् की बात से सहमत नहीं हूँ। हमें अपने देश के महत्व को समझना होगा।

हमें इस बात को नहीं भूलना है कि 1947 में जो पाकिस्तान बना था वह समाप्त होचुका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपने देश की विदेश नीति निर्धारित करनी है। बंगला देश विश्व के मुस्लिम देशों में दूसरा बड़ा मुस्लिम देश होगा। हमें आशा है कि यह एक धर्मनिर्पेक्ष, लोकतंत्रीय तथा प्रगतिशील देश होगा।

पाकिस्तान की हमारे प्रति-पक्ष वाले मित्र सराहना किया करते थे। वे कहते थे पाकिस्तान के सभी देश मित्र हैं। उसे सभी देशों से सभी प्रकार की सहायता मिल रही है। अब हमने देख लिया है कि पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है। इस्लाम के नाम पर बने देश ने इतने अधिक मुस्लिमों को मारा है कि जितने पहले कभी नहीं मारे गये हैं।

इसी प्रकार अमरीका की भी प्रशंसा की जाती है। यह एक महान देश है। करोड़ों डालर व्यय करने और लाखों लोगों के मारे जाने के बाद अमरीका चीन के साथ मित्रता करने जा रहा है। क्या यह उसकी विदेशी नीति की सफलता है? चीन की भी इसी प्रकार की नीति है।

हमारे देश की नीति शान्तिमय सहअस्तित्व की नीति है। यह नीति ठीक है। बंगला देश को मान्यता देने के बारे में हमें विचार करना होगा और देखना होगा कि क्या इससे बंगला देश को कोई लाभ होगा। क्या मान्यता देने मात्र से वह देश स्वतन्त्र हो जायेगा।

हमें बंगला देश के साथ पूरी सहानुभूति है। संसद ने बंगला देश की सभी प्रकार की सहायता का संकल्प पारित किया था। मान्यता देते समय अनेक बातों पर विचार करना होता है। सरकार पर कई प्रकार की जिम्मेदारियाँ हैं। वैसे पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधान मंत्री से मिलने की माँग की है। हम चाहते हैं कि वह पहले बंगला देश के निर्वाचित लोगों से बातचीत करें।

अमरीका तथा अन्य देश भारत के निकट हिन्द महासागर में अपने सैनिक अड्डे बनाये हुए हैं। हमें इस ओर भी ध्यान देना है। हमें अपने देश को सुदृढ़ बनाना है और अपने हितों की रक्षा करनी है।

हमें उत्तरी वियतनाम की स्थिति देखनी चाहिये। हमने उसका सदैव समर्थन किया है। मैडम बिन्ह ने दो दिन पूर्व कहा है कि उत्तरी वियतनाम पर कोई निर्णय थोपा नहीं जा सकता। इसी प्रकार भारत के बारे में भारत को निर्णय करने हैं।

भारत को अणु बम बनाना चाहिये। इस पर चाहे जितनी भी लागत आये, इसका बनाया जाना भारत के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि इससे हमारे देश की आवाज में शक्ति आयेगी और इससे अन्य छोटे देशों को बल मिलेगा, जो स्वयं अपने भविष्य का निर्णय करना चाहते हैं।

अरब देशों में आज जो कुछ हो रहा है वह बड़े दुःख का विषय है, प्रतिक्रियावादी तथा सम्प्रदायवादी शक्तियाँ निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। हालाँकि मैं इस बात की वकालत नहीं कर रहा हूँ कि अरब देशों के प्रति हम अपनी नीति बदलें, क्योंकि मुख्यत: वे ठीक हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत के लिये इसरायल के साथ राजदूतों का आदान-प्रदान करना सही तथा समुचित होगा।

श्री सी० सी० देसाई (साबरकंठा) : बंगला देश के बारे में बहुत कुछ लिखा तथा कहा जा चुका है। वहाँ से शरणार्थी अब भी भारत आ रहे हैं। स्थिति यह है कि एक करोड़ में से जितने मारे गये हैं उनको छोड़ कर बाकी सभी हिन्दुओं को भारत धकेल दिया जायेगा और वे हमारे ऊपर भार तथा दायित्व बन जायेंगे। इसके अलावा बहुत से मुसलमान भी राजनैतिक शिकार होने के भय से या जिन्हें वहाँ से भगाया जायेगा, इस देश में आयेंगे।

शरणार्थियों की इतनी विशाल समस्या से निपटना हमारे लिये असंभव है। इसलिये इस का हल हमें ही निकालना होगा क्योंकि बड़े देशों से इसे हल करने में कोई मदद नहीं मिलेगी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खाँ जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सत्ता सौंपने के लिये तैयार नहीं हैं। अब कोई भी कारगर कार्यवाही करने का समय आ गया है जिसका प्रारम्भ बंगला देश को मान्यता देकर तथा उसकी स्थिति मजबूत तथा स्थिर करने के लिये सभी मदद देकर किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य बंगला देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न करने तक ही सीमित होनी चाहिये जिसमें शरणार्थी बइज्ज़त अपने देश वापस जा सकें। यदि हमारी कार्यवाही के परिणामस्वरूप पाकिस्तान द्वारा हम पर हमला किया जाता है, तो हमें इस चुनौती को स्वीकार करने के लिये तैयार रहना चाहिए किन्तु उस स्थिति में उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर होगी।

हम जानते हैं कि बंगला देश समस्या के संबंध में प्रधान मंत्री सराहनीय कार्य कर रही हैं क्या और ऐसी विकट स्थिति में यह आवश्यक है कि यह निर्णय करना हम उनके ऊपर छोड़ दें कि क्या कार्यवाही की जाये और कब की जाये तथा शक्ति प्रयोग, यदि आवश्यकता पड़े तो, किस सीमा तक किया जाये और इन शरणार्थियों के मामले को किस प्रकार हल किया जाये ताकि ये लाखों शरणार्थी अपने देश को वापिस जा सकें। हम प्रधान मंत्री को पूर्ण आश्वासन देना चाहते हैं कि इस सर्वोच्च परीक्षा के समय इस समस्या को हल करने में देश पूर्णरूपेण उनके साथ है।

जहाँ तक हमारी सामान्य विदेश नीति का संबंध है, हमारी विदेश नीति का सम्पूर्ण **उद्देश्य** विश्व समुदाय में मित्रों की संख्या बढ़ाना तथा अपने सिद्धान्तों, कार्यवाहियों और दर्शन की बेहतर सूझबूझ पैदा करना है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में हमारी स्थिति क्या है और हमारी इस

नीति के क्या परिणाम निकले हैं, इसका हमें विवेचन करना है। नेपाल ने जो हमारा सबसे बड़ा हिन्दू पड़ौसी देश है, पाकिस्तान द्वारा किये गये इतने बड़े नर-संहार के विरुद्ध तथा भारत के सामने शरणार्थियों की जो इतनी भारी समस्या उठ-खड़ी हुई है, उसके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है। ईरान ने स्पष्ट कहा है कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तो वह पाकिस्तान का साथ देगा। इसी प्रकार अफगानिस्तान ने, जो हमारा मित्र देश है और जिसने खान अब्दुल गफ्फार खाँ को शरण दे रखी है, पाकिस्तान की निन्दा में कुछ भी नहीं कहा है। जहाँ तक अरब देशों का संबंध है साऊदी अरब, जोरडन तथा ईराक पाकिस्तान के साथ अपनी मित्रता की खुले आम घोषणा करते हैं। जहाँ तक मिश्र अरब गणराज्य का संबंध है, यह एक अजीब बात है कि जब श्री जयप्रकाश नारायण काहिरा गये जो कि अरब आन्दोलन का जन्म-स्थान है, तो राष्ट्रपति सादित पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की डर से उनसे चन्द मिनटों के लिये तक नहीं मिले।

श्रीलंका हमारा एक मित्र देश है लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ से होकर सैनिक सामान तथा सैनिक भेजने के लिये भी लंका के आतिथ्यसत्कार का फायदा उठाया जिसके फलस्वरूप २५ मार्च को नरसंहार आरम्भ किया गया और आज भी पाकिस्तान सैनिक सामान तथा सैनिक भेजने के लिये श्रीलंका के हवाई अड्डों तथा बन्दरगाहों का इस्तेमाल कर रहा है।

बर्मा में सैनिक शासन होने के कारण उसकी सहानुभूति पाकिस्तान के साथ हो सकती है। मलयेशिया के प्रधानमंत्री ने भी बंगला देश को पाकिस्तान का आन्तरिक मामला बताया है।

इस प्रकार आज यदि हम सारे विश्व का सर्वेक्षण करें तो हम देखते हैं कि भारत अलग पड़ गया है और विशेषतः बंगला देश के मामले में विश्व में हमारा कोई मित्र नहीं है। इसके विपरीत पाकिस्तान जो भारत के चौथाई भू-भाग के बराबर है, के कई पक्के मित्र हैं यथा चीन, ईरान, तुर्की, इसके साथ-साथ साउदी अरब, जोर्डन तथा अरब देश भी उसके साथ हैं। थे सब देश उसके ऐसे मित्र हैं जिन पर वह भरोसा कर सकता है। किन्तु आज विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिसे हम अपना मित्र कह सकें। इससे केवल यही सिद्ध होता है कि हमारी विदेश नीति में कोई बुनियादी गलती है तथा कोई गतिशील व्यक्ति ही उसमें सुधार कर सकता है। वर्तमान विदेश मंत्री इस पद के लिये उपयुक्त नहीं हैं। अतः प्रधानमंत्री को उन्हें कोई अन्य मंत्रालय सौंप देना चाहिए।

हमारी विदेश नीति देश के हित पर आधारित होनी चाहिए किन्तु वह पूर्णतया भय पर आधारित है। हम अरब जगत् से डरते हैं और हमें उनकी प्रतिक्रिया का भय बना रहता है और हम इसरायल के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते हैं, जब कि वह हमारा समर्थन करता है। इसी प्रकार हम चीन से डरते हैं और ताइवान के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अपनी विदेश नीति में हमें इस बात को ठोक-पीटकर परीक्षा करनी चाहिए कि कौन से देश वास्तव में हमारे मित्र हैं। हमें इस भय की भावना छोड़ देनी चाहिए और हमारी विदेश नीति राष्ट्रीय हित में आधारित होनी चाहिए।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : हमारी विदेश नीति को अधिकांश अन्य राष्ट्र ठीक तौर पर नहीं समझ पाये हैं और वास्तव में देश में भी इस नीति के बारे में कुछ गलत धारणाएँ हैं। यह उपयुक्त समय है कि हमें अपनी विदेश नीति को कारगर बनाने के लिये इन सभी गलत धारणाओं को दूर कर देना चाहिए।

हमारी विदेश नीति के बारे में जो पहली गलतफहमी व्याप्त है और जिसके लिये एक विशेष हद तक सरकार भी जिम्मेदार है, वह यह है कि हमारी विदेश नीति में नैतिकता का तत्व रखा गया है जो कि उसमें नहीं होना चाहिए। हमें इस बात में स्पष्ट होना चाहिए कि हमारी विदेश नीति में न तो नैतिकता है और न ही कोई धार्मिकता है। यह नीति नितान्त व्यावहारिक धारणा पर तथा ऐतिहासिक, आर्थिक और राजनैतिक कारणों पर आधारित है।

हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि अन्य देशों की विदेश नीतियाँ नैतिक आधार पर आधारित नहीं हैं बल्कि पूर्णत: राष्ट्रीय हितों पर आधारित हैं। यदि हम नैतिक धार्मिकता की प्रवृतियों से छुटकारा पा जायें, तो आज की समस्याओं के प्रति हमारा वास्तविक दृष्टिकोण बन सकता है।

हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी विदेश नीति का आधार हमारा नितान्त राष्ट्रीय हित होना चाहिए और विदेश नीति के संबंध में प्रत्येक निर्णय तथ्यों की वास्तविकता के आधार पर लिया जाना चाहिए और न कि पूर्व धारणा अथवा इच्छाजनित धारणा पर। विश्व के अन्य राष्ट्रों की नीतियों को देखते हुए हमें अपनी नीतियों का पुनरावलोकन करना आवश्यक है। हमें अपनी नीतियाँ विश्व की राजनीति के अनुरूप बनानी चाहिए। इसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि हमें अपनी नीतियों का पुनरीक्षण इस आधार पर नहीं करना चाहिए जिससे कि उनमें अवसरवादी अथवा सिद्धान्तहीन व्यवहार की गन्ध आये। हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारी नीति आदर्शवादी नहीं है।

हमें अन्य देशों पर ऐसा प्रभाव डालना चाहिए कि हमने गुट-निरपेक्षता की जो नीति अपनाई है वही केवल लक्ष्य नहीं है। यह नीति हमारा कोई मत अथवा सिद्धान्त नहीं है, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिये केवल एक साधन है। हमारे दिमाग में स्पष्ट रूप से यह बात होनी चाहिए कि यदि किसी समय इस नीति से हमारे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं होती है, तो हमें अपनी विदेश नीति का संशोधन या पुनरावलोकन करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।

हमारी विदेश नीति पर प्रभाव डालने वाली एक बात यह भी है कि जब कभी हमने अपनी नीतियों का पुनर्मूल्यांकन अथवा पुनरावलोकन किया है, तो वह हमने एकांकी दृष्टिकोण के आधार पर ही किया है। इसका पुनरावलोकन किया जाना आवश्यक है, किन्तु समूची अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए। लेकिन दु:ख की बात यह है कि हमने अभी तक ऐसा किया नहीं है, जब चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो इस सभा में सभी ओर से यह आवाज़ उठायी गई थी कि हमें साम्यवादी संसार से सभी संबंध विच्छेद कर देने चाहिए। आज, जहाँ तक बंगला देश का संबंध है, हम देखते हैं कि पश्चिमी देश विशेषकर अमरीका उस ढंग से कार्य नहीं कर रहा है जैसा उन्हें करना चाहिए। अत: अब यह कहा जा रहा है कि हमें

पश्चिम के साथ सभी संबंध तोड़ देने चाहिए। इस प्रकार की प्रवृत्ति से हम अपनी विदेश नीतियों का निर्णय अथवा पुनरावलोकन नहीं कर सकते । हमें स्मरण रखना चाहिए कि अमरीका, चीन और रूस का अपना-अपना दृष्टिकोण है और वे वही करेंगे जो कि उनके राष्ट्रीय हित में होगा और न कि वह जो हम चाहते हैं। अपने साम्राज्यवादी लक्ष्य के कारण वे कुछ ऐसी नीतियाँ अपना रहे हैं जो हमारी पसंद की नहीं हो सकतीं । हम निस्सन्देह उनकी भर्त्सना करेंगे किन्तु हमें वास्तविकताओं का सामना करने के लिये भी तैयार रहना चाहिए ।

हमें अपने को मजबूत बनाने के लिये हर कोशिश करनी चाहिए और तभी हमारी आवाज़ अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर सुनी जायेगी । अतः यह उपयुक्त समय है कि अणु शक्ति संबंधी प्रश्न पर हमारा जो दृष्टिकोण है उसे हम बदलें ।

ऐसा कहा गया है कि बंगला देश में जब संकट उत्पन्न हुआ तो उसके 15 दिनों के भीतर ही हमें युद्ध में कूद जाना चाहिए था और अपनी सेना वहाँ भेज देनी चाहिए थी । किन्तु यदि उन पहले कुछ दिनों में हमने ऐसा कोई आत्यांतिक पग उठाया होता तो बंगला देश का समूचा लोकतंत्रीय स्वरूप तथा विषय समाप्त हो गया होता और बाह्य विश्व में इसे हिन्दुस्तान-पाकिस्तान युद्ध की संज्ञा दी जाती । चूंकि हमने ऐसा नहीं किया, इसलिये हम बंगला देश विवाद का सच्चा स्वरूप तथा विजय विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में सफल हो सके हैं। किन्तु यदि हम इस समय कोई ठोस कार्यवाही करते हैं, तो दुनिया का कोई भी देश यह नहीं कह सकेगा कि यह भारत-पाकिस्तान युद्ध है। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो समस्या और भी ज्यादा बिगड़ सकती है और हमारे हितों को काफी नुकसान पहुँच सकता है। अतः सरकार को कोई ठोस कार्यवाही की पहल करनी चाहिए ताकि हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो सके ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : विश्व में स्वतन्त्रता की ज्योति को जलाने का श्रेय भारत को है । परन्तु बड़े खेद की बात है कि हंगरी तथा चेकोस्लोवाकिया में आक्रमण होने पर भारत ने आवाज़ नहीं उठायी। अब बंगला देश में बडे पैमाने पर नरसंहार हो रहा है और हमारी सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। बड़े खेद की बात है कि हमारे देश के नेता इस ओर आवश्यक ध्यान नहीं दे रहे हैं।

हमारे देश की गलत नीतियों का यह परिणाम है । 1962 में हमें चीन के हाथों मुँह की खानी पड़ी । अब रूस अपने नक्शों में हमारे देश के बहुत बड़े भाग को चीन का भाग दिखा रहा है। पुराने समय का साम्राज्यवाद तो समाप्त हो चुका है परन्तु यह नया साम्राज्यवाद खड़ा हो रहा है। अतः हमें सतर्क होना होगा । आज विश्व में बडे बड़े परिवर्तन हो रहे हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या 18 महीने पूर्व अमरीका ने चीन और भारत के बीच बातचीत कराने के लिए कहा था परन्तु रूस के दबाव में आकर भारत सहमत नहीं हुआ था ? अमरीका ने वियतनाम से हटने की घोषणा की है, उसकी चीन से मित्रता होने जा रही है । इस प्रकार नये गठजोड़ सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या भारत की नीति यथापूर्व रह सकती है ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि बंगला देश की समस्या पर हमने क्या कदम उठाये हैं ? यह एक बहुत गम्भीर विषय है।

यह बड़े चिन्ता की बात है कि शेख मुजीबुर्रहमान की सुरक्षा के बारे में कोई भी देश

बात नहीं कर रहा है। शेख रहमान को स्वयं याह्या खाँ ने पाकिस्तान का भविष्य का प्रधान मंत्री कहा था। अब वह कारावास में है। 70 लाख शरणार्थी भारत आ चुके हैं। ये इस देश के लिए अनेक समस्याओं का कारण बन सकते हैं। उनका वापिस जाना असंभव जान पड़ता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी बंगला देश के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है। मानव अधिकार आयोग ने प्रस्ताव तक पास नहीं किया है। भारत ने अनेक मंत्रियों और अन्य व्यक्तियों को विदेशों में भेजा है ताकि बंगला देश की वास्तविक स्थिति से अन्य देशों को अवगत कराया जा सके। फिर भी हमें कोई सफलता नहीं मिली है। अब भी अमरीका से सैनिक साज़-समान से लदे जहाज़ पाकिस्तान में आ रहे हैं।

मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार बंगला देश में मुक्तिवाहिनी को सभी प्रकार की सहायता दे। सरकार को अपनी सैनिक तैयारी बनाये रखनी चाहिए। हमारी विदेश नीति प्रगतिशील होनी चाहिये। हमें इसराइल की नीति का अनुसरण करना चाहिए और रूस पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिये।

श्री सी० सी० गोहाइं (नाम निर्देशित—उत्तर-पूर्वी सीमा क्षेत्र) : मैं वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की माँगों का समर्थन करता हूँ। मैं उस क्षेत्र से आया हूँ जहाँ 1962 में चीन ने आक्रमण किया था। यह मंत्रालय उस क्षेत्र की उपेक्षा नहीं कर सकता। पहले यह क्षेत्र वैदेशिक कार्य मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में था परन्तु अब यह गृह मंत्रालय के अधीन है।

अमरीका के राष्ट्रपति चीन जाने वाले हैं। अतः यदि अब चीन हमारे देश पर आक्रमण करता है तो अमरीका हमारी सहायता पर नहीं आयेगा। चीन, पाकिस्तान और अमरीका इस समय एक प्रकार गठजोड़ किये हुए हैं। इससे पाकिस्तान की बंगला देश के प्रति कठोरता और अधिक बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में सरकार को देश के सभी भागों की सुरक्षा के लिए ठोस क़दम उठाने चाहिए। उत्तर-पूर्वी सीमान्त क्षेत्र की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

उस क्षेत्र की जनसंख्या 5 लाख है और उसका क्षेत्रफल 40,000 वर्ग मील है। नेफा क्षेत्र के लोगों में अब राजनीतिक चेतना आ गई है और वे चाहते हैं कि उस क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिया जाये। नेफा के 84 प्रतिशत लोग खेती का कार्य करते हैं। वहाँ उद्योग नाम को भी नहीं हैं। पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। सरकार को उस क्षेत्र की विकास संबंधी सभी आवश्यकताएँ पूरी करनी चाहियें। वहाँ पर सड़कें बनाना बहुत आवश्यक है। शिक्षा संस्थाएँ स्थापित करने की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। संसद सदस्यों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल नेफा भेजा जाये जो वहाँ की आवश्यकताओं का अनुमान लगाये और वहाँ पर काम आरंभ हो।

श्री एम० मुहम्मद इस्माइल (मंजेरी): विदेश यात्रा पर कर में वृद्धि कर दी गई है। इससे विदेशी यात्रा करने वालों पर बोझ बढ़ जायेगा। इस कर से हज पर जाने वाले यात्रियों को अधिक राशि देनी पड़ेगी। ये यात्री अधिकांशतः निर्धन लोग होते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि विदेश यात्रा पर प्रस्तावित कर समाप्त किया जाये। हज की यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति एक कर्त्तव्य

पूरा करने जाते हैं । वे पर्यटकों के रूप में विदेश नहीं जाते हैं । हज यात्रियों को इस कर से छूट दे दी जानी चाहिये ।

पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बंगला देश से बड़ी संख्या में शरणार्थियों का भारत आना सब की चिन्ता का विषय बना हुआ है । यह अभी भी जारी है । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि पूर्वी बंगला में स्थिति सामान्य नहीं हुई है । इतनी बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ आ गया है । अब यह हमारे देश की एक समस्या बन गया है । बल्कि अब तो यह समस्त विश्व की समस्या बन गई है । संयुक्त राष्ट्र संघ को राहत कार्य में अधिक सहायता देनी चाहिये ।

यहाँ पर कुछ दलों ने बंगला देश को मान्यता देने की माँग की है और कुछ ने पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की माँग की है । परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इससे समस्या का समाधान कैसे होगा । यदि युद्ध होता है तो मुझे विश्वास है कि हम जीतेंगे और समूचा राष्ट्र एक होकर लड़ेगा ।

सरकार को सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय करना चाहिये । देश का हित किस बात में है इसका अनुमान सरकार अच्छी प्रकार से लगा सकती है । सरकार को प्रचार के कारण कोई निर्णय नहीं करना चाहिये ।

गुटनिर्पेक्षता की नीति से हमारे देश को बहुत लाभ हुआ है । वास्तव में इससे विश्व के अन्य देशों को भी लाभ हुआ है । एक माननीय सदस्य ने वैदेशिक कार्य मंत्री के बारे में कुछ अच्छे शब्द नहीं कहे हैं । मैं इससे सहमत नहीं हूँ । मेरे विचार में मंत्री एक बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति है और आज की पारस्थितियों में उन्होंने बहुत ठीक ढ़ंग से देश का प्रतिनिधित्व किया है ।

श्री हरि किशोर सिंह (पुरी) : मैं इस मंत्रालय की माँगों का समर्थन करता हूँ । हाल के चुनाव में हमारे देश की जनता ने अपनी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया है । ऐसी स्थिति में हमें अपनी विदेश नीति पर विचार करना होगा । हमें देखना होगा कि हमारा देश विश्व की राजनीति में क्या भूमिका निभा सकता है ।

यह प्रसन्नता की बात है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव कम हो रहा है । बड़े-बड़े राष्ट्र एक दूसरे के समीप आ रहे हैं । गत दस वर्षों में हमें दो बार आक्रमण का शिकार होना पड़ा है। हमें चीन और पाकिस्तान के आक्रमणों को दृष्टि में रखते हुए अपनी विदेश नीति निश्चित करनी है। अमरीका और चीन अभी तक एक दूसरे के शत्रु थे परन्तु अब वे एक दूसरे के निकट आ रहे हैं । यह एक बड़ा परिवर्तन है । इसे भी हमें ध्यान में रखना होगा । हमें चीन के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करना चाहिये ।

अमरीका वियतनाम से पीछे हट रहा है । वह अन्य देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहेगा । ऐसी स्थिति में हमारे देश पर इस क्षेत्र के देशों के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है । इसी प्रकार हमें पश्चिमी यूरोप के देशों के महत्व को भी ध्यान में रखना है । दक्षिणी अमरीका के देशों के साथ

निकट के संबंध स्थापित किए जाने चाहिएं ।

सांस्कृतिक संबंधों सम्बन्धी परिषद के कार्य को बढ़ाकर उसकी विदेशों में भी शाखाएँ खोली जानी चाहियें ।

जहाँ तक पश्चिम एशिया में हमारी विदेश नीति का संबंध है यह मुख्य रूप से संयुक्त अरब गणराज्य के पक्ष में रही है । परन्तु अब जब राष्ट्रपति सादत के हाथ में सत्ता की बागडोर है हमें यह देखना होगा कि हम कैसी नीति अपनाएँ । उस देश ने हमारे राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में जो रवैया अपनाया है उससे हमारे देश में काफी असंतोष उत्पन्न हो गया है । इसलिए मैं समझता हूँ कि पश्चिम एशिया के संबंध में हमें अपनी विदेश नीति का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए ।

बंगला देश के बारे में हमारी सरकार जो कुछ भी करेगी उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकेगी क्योंकि इस समस्या का अविलम्ब हल होना चाहिए अन्यथा हम बहुत गम्भीर स्थिति में फँस जाएंगे ।

चीन में आण्विक शक्ति का विकास हो रहा है तथा अफ्रीकी-एशियाई देश चीन के इरादों को पूरी तरह से समझते हैं । वे चाहते हैं कि उनके हितों की रक्षा करने के लिए एशिया में एक मजबूत शक्ति होनी चाहिए तथा ऐसी शक्ति भारत ही हो सकती है । हमारे पास आण्विक जानकारी है तथा औद्योगिक आधार भी । परन्तु जब तक हम आण्विक शस्त्रास्त्र नहीं बनाते हैं और औद्योगिक आधार को मजबूत नहीं करते हैं तब तक कोई भी देश हमारी बात को गम्भीरता-पूर्वक नहीं लेगा ।

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर) : मैं समझता हूँ कि हमारी विदेश नीति में असफलता का उत्तरदायित्व सरदार स्वर्ण सिंह पर नहीं आता है बल्कि हमारी सरकार पर आता है । हमारी सरकार ने विदेश नीति ही ऐसी अपनाई जिसके कारण उसे असफलता प्राप्त हुई ।

इस समय हमें दो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । एक समस्या तो हमारे देश के समीप अर्थात् बंगला देश की समस्या है । दूसरी समस्या जो इस से भी गम्भीर है वह पीकिंग-इस्लामाबाद-वाशिंगटन संगठन के बारे में है । ये समस्याएँ ऐसी नहीं हैं जो एकदम उत्पन्न हो गई हैं । हमारे देश के चारों ओर जो घटनाएँ घटी हैं उन पर हम ने अच्छी तरह से नज़र नहीं रखी है । इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ । २५ मार्च के दिन जब राष्ट्रपति याह्या खाँ की शेख मुजीबुर्रहमान के साथ ढाका में बातचीत हो रही थी, उस दिन बहुत ही महत्पूर्ण अधिकारी को जो वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए था, वहाँ पर नहीं था । वह अधिकारी कहीं और गया हुआ था तथा नई दिल्ली से किसी ने भी उसे यह आदेश नहीं दिया कि उसे उस भाग्यनिर्णायक वाले दिन वहाँ अवश्य उपस्थित रहना चाहिए और वहाँ की घटनाओं पर कड़ी नजर रखनी चाहिए । इसी प्रकार से पीकिंग-इस्लामाबाद-वाशिंगटन गठबंधन भी अचानक ही नहीं हुआ है । अमरीका की सरकार अपनी विश्व नीति के बारे में गत दो वर्षों से पुनर्विचार कर रही है । श्री रोगर्स और राष्ट्रपति निकसन ने अपने वक्तव्यों में कई बार इस बात का आभास दिया है कि वे चीन के साथ बातचीत करने के लिए आतुर हैं । अब उनकी यह नीति पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हमने इन घटनाओं पर नजर रखी थी ?

एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि हमें चीन के साथ अपने संबंध सुधारने चाहिए। मैं समझता हूँ कि इन नई घटनाओं के होने पर अब चीन के साथ संबंध सुधारना एक अजीब बात होगी। चीन के साथ मित्रता करना हमारे लिए हँसी की बात हो जाएगी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हमने अपने राजनयिक तथा अन्य साधनों से यह पता लगाने का प्रयास किया है कि क्या हम अपने विवादों को सुलझाने के लिए चीन के साथ बातचीत आरम्भ कर सकते हैं। परन्तु हमने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया है। हमें ऐसा अवश्य करना चाहिए था। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व चीनी नेताओं ने कैरो में भारतीय प्रतिनिधियों के साथ, जो वहाँ पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए गये हुए थे, बातचीत की थी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भारत ने उसका लाभ उठाया है या नहीं।

मुझे पता नहीं कि सरकार बंगला देश की समस्या के बारे में क्या करने जा रही है। हमारे देश में लगभग एक करोड़ शरणार्थी आ चुके हैं तथा अभी और भी आने का अनुमान है। वहाँ अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा इस कारण मुसलमान किसानों ने भारी संख्या में आना आरम्भ कर दिया है। हमें यह देखना है कि ऐसी स्थिति में हम उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं। 60 करोड़ रुपये की राशि जो उनके लिए नियत की गई थी, वह अब समाप्त हो गई है। हमें अन्य देशों से बहुत कम सहायता प्राप्त हुई है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान से आये इतनी भारी संख्या में शरणार्थियों के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। याह्या खाँ ने युद्ध छेड़ने की भी धमकी दी है। ऐसी स्थिति में हमें यह घोषणा कर देनी चाहिए कि हम युद्ध का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम बंगला देश के क्षेत्रों में लड़ेंगे और बंगला देश के लोगों की स्वाधीनता प्राप्ति में सहायता करेंगे।

श्री बी० आर० भगत (शाहबाद) : विदेश मंत्रालय की अनुदानों की माँगों पर चर्चा करने का अवसर मंत्रालय के कुछ अधिकारियों पर आरोप लगाने में व्यर्थ नहीं किया जाना चाहिए। यह अवसर राष्ट्रीय हितों की प्रशंसा, और जहाँ आवश्यक हो आलोचना करने के लिए होता है। परन्तु यह बहुत दु:ख की बात है कि कुछ माननीय सदस्यों ने जिन्हें वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के काम की जानकारी है कुछ टिप्पणियाँ की हैं। हम सब को पता ही है कि श्री स्वर्ण सिंह ने विदेश नीति के संबंध में कितने दिल जान से काम किया है। नीति की कथित असफलता का उन पर दोष लगाने से इस विषय की महत्ता ही समाप्त हो जाएगी। हमारी विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हित प्राप्त करना है। यह भिन्न-भिन्न देश में भिन्न-भिन्न होता है और प्रत्येक देश में भू-राजनीतिक, भू-भौतिक और भू-आर्थिक कारणों को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जाता है।

हमारी विदेश नीति के तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं। सब से पहला पहलू यह है कि यह गुट-निरपेक्ष है। इस की कल और आज आलोचना की गई है। यह नीति उस समय बनाई गई थी जब सारे संसार में सैनिक सन्धियाँ की जा रही थीं और शीत युद्ध चल रहा था। हमने तब यह निर्णय किया कि हम अपनी स्वतंत्र नीति अपनाएँगे और किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। हमारी नीति का दूसरा पहलू यह है कि हम सही परिणाम प्राप्त करने के लिए सही तरीके अपनाएँगे। यह पहलू हमारी अपनी संस्कृति और परम्पराओं की देन है। सही नीति के लिए हमें यही रास्ता

अपनाना होगा । तीसरा पहलू यह है कि हमने इस बात पर जोर दिया है कि अन्य देशों के साथ बातचीत करके समझौते करेंगे । सभी देशों के संबंध में हमने इन्हीं तीनों पहलुओं को अपनाया है ।

हमारा रवैया अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण है चाहे उनके साथ नीति संबंधी मतभेद हों । संयुक्त राज्य अमरीका को ही ले लीजिए । अमरीका ने पाकिस्तान को इसलिए हथियार मुहैया किये हैं ताकि इस क्षेत्र में संतुलन बना रहे । वे पहले अपनी इस नीति में असफल रहे हैं परन्तु अब इस नीति का पालन कर रहे हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि इसका विपरीत प्रभाव होगा । हमने इसका कड़ा विरोध किया है । हमने उन्हें कहा है कि आपकी नीति गलत है और इसका कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा । इसके बावजूद भी अमरीका के साथ हमारा रवैया मैत्रीपूर्ण रहा है । जहाँ हमने उचित समझा उनके साथ समझौते और सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया । नेपाल, बर्मा तथा लंका आदि देशों ने भी गुटों से बाहर रहने की नीति अपनाई है तथा हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं । शायद कभी-कभी उनके साथ हमारे मतभेद हो गये हों परन्तु हम मैत्रीपूर्ण नीति का पालन कर रहे हैं । पड़ौसी देशों के बीच कोई तनाव नहीं है । पाकिस्तान और चीन के संबंध में मैं यह नहीं कह सकता । इन दो देशों के साथ हमें बहुत कटु अनुभव हुए हैं । फिर भी हमारी नीति में कोई फेर-बदल नहीं हुआ है ।

पाकिस्तान द्वारा गलत नीति अपनाए जाने के कारण वहाँ की स्थिति बहुत बिगड़ गई है । उनकी गलत नीति के कारण उनके लिए बंगला देश एक गम्भीर समस्या बन गई है । उन्होंने हमारे लिए अपने से भी अधिक गम्भीर समस्या उत्पन्न कर दी है । सारा देश तथा सदन इस बारे में चिन्तित है । बंगला देश के लोगों के साथ इस प्रकार का रवैया अपनाए जाने से तथा उनकी नृशंस हत्या किये जाने के कारण उनके मन में घृणा उत्पन्न हो गई है । इससे याह्या खाँ इस समय घोर निराशाजनक स्थिति में है । उसने भारत के साथ युद्ध करने की घोषणा की है । वह जो भी मन आए करता रहे परन्तु हम सही रास्ते पर चलेंगे जिससे बंगला देश के लोगों को लोकतंत्रात्मक अधिकार प्राप्त हो सकें । वे अपने इन अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं तथा मुक्ति-वाहिनी बंगला देश को स्वतंत्र कराएगी । उन्हें इस देश की जनता और सरकार का समर्थन प्राप्त है ।

पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा की है, परन्तु हम उसके विरुद्ध युद्ध करने की कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं । परन्तु यदि पाकिस्तान युद्ध छेड़ देता है तो हम डटकर मुकाबला करेंगे और मुँह तोड़ जवाब देंगे ।

राष्ट्रपति निक्सन की चीन की प्रस्तावित यात्रा की घोषणा की जा चुकी है । यह भारत की नीति की सफलता का प्रमाण है । उस समय जब चीन के साथ हमारे संबंध बहुत खराब थे हमने क्यों नहीं कहा था कि उसे अलग रखा जाए । हम चाहते हैं कि न तो संयुक्त राष्ट्र संघ में और न ही किसी अन्य निकाय में उसे अलग रखा जाए । चीन के साथ इतने खराब संबंध होने के बावजूद भी हम इस नीति का पालन कर रहे हैं ।

अब यदि श्री निक्सन युद्ध और शान्ति की बड़ी-बड़ी समस्याओं को हल करने का प्रयास करने के लिए चीन के साथ बातचीत करते हैं तो यह अच्छी बात है परन्तु यदि वह एशिया में

एक नया शक्ति संतुलन कायम करना चाहेंगे तो यह उनकी भूल होगी । हमें इस स्थिति पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और शान्तिपूर्ण समझौते का रास्ता अपनाना चाहिए ।

भारत की नीति सही रही है । न केवल विकासशील देशों में अपितु यूरोप और विश्व के अन्य देशों में भी लोगों ने इस नीति को स्वीकार किया है ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : याह्या खाँ ने भारत के विरुद्ध लड़ाई करने की घोषणा कर दी है । इसका जवाब बंगला देश को मान्यता दे कर दिया जा सकता है । हमें याह्या खाँ द्वारा बंगला देश की ओर से बोले जाने के अधिकार को आमान्य घोषित कर देना चाहिए । याह्या खाँ ने दूसरी धमकी यह दी है कि वह शेख मुजिबर्रहमान पर मुक़दमा चलाने जा रहा है । यह उचित समय है कि हमारी सरकार इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों के साथ उठाए और इस मामले को तत्काल संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाए । याह्या खाँ को स्मरण रहना चाहिए कि बंगला देश में पाकिस्तानी सेना के एक लाख से अधिक बन्धक व्यक्ति हैं । यदि मुजीबुर्रहमान का बाल भी बाँका हुआ, तो उनमें से कोई भी पश्चिम पाकिस्तान को जीवित नहीं लौट पायेगा ।

जहाँ तक हमारी गुट-निरेपक्षता की नीति का संबंध है । आज हम त्रिशंकु की स्थिति में हैं । वास्तव में आज की कूटनीति में गुटबन्दी तथा गुट-निरपेक्षता शब्द बिलकुल असंगत बन चुके हैं । साम्राज्यवाद तथा साम्राज्य-विरोधी, उपनिवेशवाद तथा उपनिवेशवाद-विरोधी, लोकतंत्र तथा लोकतंत्र-विरोधी सभी शब्द आज असंगत तथा निरर्थक बन चुके हैं । आज विभिन्न देशों की ये विदेश नीतियों के सैद्धान्तिक प्रतिपादन निरर्थक बन चुके हैं । आज दुनिया में, चाहे वह कोई भी देश हो और वहाँ चाहे कोई भी वाद हो केवल राष्ट्रवाद का ही बोलवाला है । अब कोई भी सैद्धान्तिक धर्मयुद्ध नहीं है । आज तो केवल राष्ट्रीय हित की पारस्परिकता की कठिन वास्तविकताओं के आधार पर ही विदेश नीति आधारित होती है । किन्तु हमारी सरकार की विदेश नीति का आधार ठीक न होने के कारण वह उसमें असफल रही है । इसीलिये श्री जय प्रकाश नारायण जी ने उसे "बच्चों का खेल" की संज्ञा दी है ।

विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों का कार्य संन्तोषजनक नहीं है और हम उन पर निर्भर नहीं रह सकते । हमें यूरोप की यात्रा से लौटे अपने मित्रों से समाचार मिले हैं कि वहाँ के लोगों को अब तक भी इस बात का पता नहीं है कि मुजीबुर्रहमान तथा अन्य लोग मुसलमान हैं और बंगला देश में मुस्लिम आबादी अधिक है ।

हम आज रूस पर आश्रित हैं । हमारी सरकार बंगला देश को मान्यता देने में केवल इसलिए हिचकिचा रही है कि रूस इससे सहमत नहीं हो रहा है । लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हमारी सरकार साम्यवादी देशों द्वारा दिये गये वचन का लाभ नहीं उठा रही है । उनका वचन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन के संबंध में है । उनका वचन दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमरीका में प्रत्येक जगह साम्राज्यवाद-विरोधी तथा उपनिवेशवाद-विरोधी आन्दोलनों के संबंध में है और इसीलिये वे इन देशों को मुक्ति के संबंध में टनों के हिसाब से साहित्य भेज रहे हैं । क्या हम उनसे यह कह कर कि "यह तुम्हारा ही वचन है, और यदि तुम बंगला देश को मान्यता देते हो, तो तुम्हारा वचन एक शानदार कार्यवाही के रूप में परिणित हो सकता है" इस घचन का बंगला देश के लिये मान्यता प्राप्त करने में लाभ नहीं उठा सकते हैं ?

दूसरी बात यह कि हमने चीन के अलावा सभी देशों को अपने मिशन भेजकर भारी गलती की है। चीन ने केवल यही कहा है कि युद्ध की स्थिति में "हम पाकिस्तान को समर्थन देंगे और उसकी राज्यक्षेत्रीय एकता के लिये उसकी मदद करेंगे।" यह धारण कि अन्ततोगत्वा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ने की स्थिति में चीन हस्तपेक्ष करेगा, पूर्णतः निराधार है।

त्रिपुरा में सरकार ने अपनी ओर से एक दूत भेजा है, जो एक भूतपूर्व मंत्री है और वह वहाँ आवामी लीग को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। वह कह रहा है कि मुक्ति फौज तथा अवामी लीग का कार्य अपेक्षित स्तर का नहीं है। वह आरोप लगाने का प्रयत्न कर रहा है कि मुक्ति फौज और उसके लड़ाकू संगठन में बाहरी तत्व घुसे हुए हैं। अवामी लीग बंगला देश के राष्ट्रीय मंच का उसी तरह प्रतिनिधित्व करती है जिस तरह स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस किया करती थी। वह निश्चित रूप से हानिकारक कार्य कर रहा है और सरकार को इस ओर गौर करना चाहिए।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : हमें कल के विश्व का अनुमान लगाते हुए आज के विश्व की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रख कर विचार करना है। हमारा इतिहास, भूगोल तथा अर्थ-व्यवस्था सभी इस बात की आवश्यकता जाहिर करते हैं कि सर्वप्रथम हमें एशिया में स्थान बनाना चाहिए। सर्वप्रथम हमें एशियाई देशों के साथ सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है। आज एशिया विभक्त है। उसमें न तो कोई राजनीतिक महाद्वीपीय संगठन है और न ही आर्थिक, बल्कि कोई सांस्कृतिक संगठन तक नहीं है। एशिया में हम अपना स्थान तभी बना सकते हैं जबकि हम उसके मामलों में पहल करने को तैयार रहें, उनमें रूचि लें और उनमें जिम्मेदारी भी वहन करने की भावना से कार्य करें।

आज सबसे अधिक दिलचस्पी है चीन में। राष्ट्रपति निक्सन ने अभी हाल में चीन की अपनी प्रस्तावित यात्रा की घोषणा की है। कोई भी स्पष्टतः यह नहीं बता सकता कि किन कारणों से श्री निक्सन वहाँ जा रहे हैं, वह भी अपनी इच्छा से। हो सकता है, 1972 में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव इसका एक कारण हो अथवा वह एक नया बाजार जो चीन में उपलब्ध है, के बारे में सोच रहे हों या शायद रूस के विरुद्ध कोई मोर्चा बनाने के विषय में सोच रहे हों। यह भी हो सकता है कि वह सबको मिलाना चाहते हों, और इसके पीछे कुछ अन्य विचार भी हो सकते हैं। किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिये हमें सावधान होना है कि उन्हें बंगला देश में नर संहार का समर्थन करने का मौका न मिले, दूसरी ओर, यदि उनकी इस यात्रा से तनाव कम होता है तो वह सबके हित में है।

एशियाई देशों के बीच पारस्परिक सहयोग तथा मेल-जोल की नई स्थिति पैदा करने के लिये भारत और चीन के बीच संबंधों का अच्छा होना निहायत जरूरी है और उसके लिये चीन के साथ हमें वार्ता आरम्भ करनी ही पड़ेगी, किन्तु आत्म-सम्मान के साथ। इसके लिये उपयुक्त अवसर देखना होता है। यह दुःख की बात है कि चीन अभी तक इन भावनाओं का आदर नहीं कर पाया है। एशियाई सहयोग स्थापित करने के लिये चीन के साथ बातचीत करने के जो अवसर हमें प्राप्त होते हैं, हमें उनका लाभ उठाना चाहिए। इस प्रकार का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ था। अपने राजदूतों को हमारे कार्यक्रमों में भेजने के बाद माउ-त्से-तुंग ने पीकिंग

में हमारे कार्यवाहक दूत के माध्यम से खुले आम हमारे नेताओं को शुभकामनाएँ भेजी हैं। हमने इस बात को महत्व नहीं दिया और इस प्रकार हमने एक अवसर खो दिया।

एशिया में शान्ति एवं समृद्धि के लिये वियतनाम की समस्या का हल होना आवश्यक है। वियतनाम का प्रश्न एक महत्वपूर्ण मामला है और हमें यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वियतनाम के लोगों के ऐतिहासिक संघर्ष का समर्थन करने के लिय क्या किया जा सकता है। यह वास्तव में केवल वियतनाम के लोगों का ही संघर्ष नहीं है बल्कि समूचे एशिया के लोगों की आकांक्षाओं तथा संघर्ष का प्रतीक है जो भूतकालीन उपनिवेशवादी शासकों के प्रभुत्व के बिना स्वयं अपने नियति का निर्णय करने का संघर्ष है। वहाँ की स्थिति आज लगभग वैसी ही है जैसी कि बंगला देश की या फिर वैसी जैसी स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में हमारे देश की थी।

हमें यह मानना भी जरूरी है कि वियतनाम के मामले को उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम की जन क्रान्तिकारी सरकार की सहमति के बिना नहीं सुलझाया जा सकता। हमें दक्षिण वियतनाम की जन क्रान्तिकारी सरकार से सार्थक बातचीत करनी पड़ेगी। हमें उनका समर्थन करने के लिये हर संभव अवसर का लाभ उठाना पड़ेगा और उन्हें यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि सहयोग, एशियाई सहयोग, हमारे सहयोग तथा अन्य देशों के सहयोग से ही इन समस्याओं का हल निकालना हमारे लिये संभव होगा।

बंगला देश से हमारे यहाँ अब तक 70 लाख से अधिक शरणार्थी आ चुके हैं। मुझे भय है कि बंगला देश स्थित पश्चिम पाकिस्तानी सेना और 50 लाख शरणार्थी हमारे यहाँ धकेलने का प्रयत्न करेगी। हमें इस बात पर गंभीरता से गौर करना चाहिए कि बंगला देश से अभी भारी संख्या में और शरणार्थियों की आने की संभावना है। हमारे लिये बंगला देश के संबंध में मार्च के अन्त अथवा अप्रैल के प्रारम्भ में ही कार्यवाही करना वांछनीय था जिससे कि बंगला देश में केवल लोकतंत्र को ही नहीं बचाया जा सकता था अपितु लाखों लोगों की जानें भी बचायी जा सकती थीं और शरणार्थी समस्या भी भारत के लिये खड़ी नहीं होती।

प्रश्न यह है कि बंगला देश को उन आदर्शों को, जिनका खुद हम इतना अधिक मान करते हैं, प्राप्त करने के प्रयत्न में हम उनकी क्या, कब तथा कैसे सहायता कर सकते हैं।

हमने मुक्ति फौज तथा बंगला देश के लोगों को सहायता तथा समर्थन देने का वचन दिया हुआ है तथा जैसे समय बीतता जा रहा है उस वचन को पूरा करना अधिकाधिक कठिन हो रहा है। मैं समझता हूँ कि चीन और अमरीका अपने दबाव से उप-महाद्वीप में शक्ति संतुलन को कम करने में समर्थ हो जाएंगे। वे यही प्रयास करते रहेंगे कि बंगला देश पाकिस्तान के साथ ही रहे और पाकिस्तान को भारत का शत्रु बना रहे हैं। यदि हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें अपने को शक्तिशाली बनाना होगा। केवल यही नहीं छुटकारा पाने के लिए हमें अपनी आर्थिक और रक्षा संबंधी क्षमताओं को भी बढ़ाना होगा। इसके साथ ही साथ हमें निर्णायक कार्यवाही भी करनी होगी।

SHRI S. A. SHAMIM (Srinagar) : From the discussion that is going on since yesterday I have felt that instead of discussing our own foreign policy we are discussing the foreign

policy of other countries. It has been said that we have no existence in world politics and we are friendless. The point is that we had attained independence only 24 years ago and are compairing it with a country which had achieved independence 40-50 years ago. Thus we are ignoring this fact. This is the mistake on our part.

It has also been pointed out that Pakistan has been successful in its foreign policy while we have not. Had Pakistan been successful in its policy she would not have face the situation that she is facing today. We should not condemn our foreign policy on these accounts

[SHRI K. N. TIWARI *in the Chair*
श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]

Two different views have been expressed about our relations with U. S. S. R. & U. S. A. One view was that our country is one with U. S. A. and the other view was that we are one with. U. S. S. R. Out of these two view one can only be correct. The factual position is that we are followers of neither country.

The Bangla Desh issue is before us. The whole country has sympathy for these people. The people of this country have expressed their desire to help these people. If at all there was difference of opinion it was regarding the mode of help. Our foreign policy should be based on the fact that we should oppose any sort of attack on democratic system in any part of the world.

Some hon. Members have said that why America has not done so to please us and why Arab countries have not expressed sympathy towards us. I feel that this is expecting too much of them. Every country which follows its own independent foreign policy has to pays its price and we are payng the same.

As far Sino-American relations are concerned I do not think that the U. S. A. has made Pakistan a friend just to establish friendly relations with Peking. America has a global policy and its objects are varied. America shall care a fig for us as long as we are not powerful.

I would also like to say that there are only two persons who want disintegration of Pakistan and they are Shri Vajpayee and General Yahya Khan.

Our only object is that we want to live in peace. We should raise a voice where there is danger to democratic set up. India will take some time yet to gain popularity in the world. But we should not feel desperate on that account. We have established in our country a strong political set up which will help us to achieve that object.

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : यदि आप किसी भी वैदेशिक-कार्यों संबंधी विद्यार्थी से या किसी देश की विदेश नीति के प्राधिकृत प्रवक्ता से पूछें तो वह आपको बताएगा कि प्रभावकारी विदेश नीति वह है जिससे देश की गृह-नीति प्रतिबिम्बित हो या जिससे देश का आत्म सम्मान प्रतिबिम्बत हो । हमारी विदेश नीति से ये बातें प्रतिबिम्बत होती हैं ।

यदि हम अपनी विदेश नीति का विश्लेषण करें तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने के लिए चिन्तित हैं । हम प्रत्येक मामले पर गुणदोषों के आधार पर निर्णय करते हैं । हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह परम्परागत है ।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने वाला कोई भी व्यक्ति इसके अतिरिक्त और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता कि यदि पाकिस्तान ने पाकिस्तान-अमरीका करार के ढाँचे में रहते हुए चीन के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बना लिए हैं तो यह अमरीका के अनुरोध पर ही हुआ है। अमरीका चीन के साथ पुनः मित्रता स्थापित करना चाहता है। इस लिए वह उसके साथ संबंध स्थापित करने के लिए पाकिस्तान का उपयोग कर रहा है।

चीन, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने यहाँ बताया है, अपने कारणों से एक नई शक्ति स्थापित करना चाहता है क्योंकि वह साम्यवादी आन्दोलन से पृथक् होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि उसे अमरीका के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना अच्छा लगा है। भारत को इससे तनिक भी चिन्ता नहीं होनी चाहिए। भारत की सदा यही नीति रही है कि वह हमेशा शक्ति गुटों से अलग रहा है।

बंगला देश पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कुछ सदस्यों ने कहा है कि बंगला देश को अविलम्ब मान्यता दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि हमें युद्ध कि नीति भी अपना लेनी चाहिए। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने इस बात पर विचार कर लिया है कि इसके क्या परिणाम निकलेंगे। आपको पता ही है कि पाकिस्तान सेन्टो और सीएटो आदि सैनिक सन्धियों से सम्बद्ध है। जैसे ही इन सन्धियों के किसी सदस्य का किसी अन्य देश के साथ युद्ध हो जाता है तो अन्य सभी सदस्य स्वतः ही उस युद्ध में सम्मिलित हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी नीति ही ऐसी है कि हम युद्ध नहीं करना चाहते। हम हमेशा से यही कहते आ रहे हैं कि शान्ति का क्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिए। शान्ति के बिना हम अपने देश का विकास भी नहीं कर सकते।

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हमारा कोई मित्र नहीं है। यदि हमने अरब देशों के साथ सहयोग किया है तो उसका यह अर्थ नहीं है कि हम उन्हें जहाँ भी चाहें युद्ध में उलझा लें। इसके अलावा हमने सदा धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाया है। जब संयुक्त अरब गणराज्य जैसे देशों ने सामन्तशाही का मुकाबला करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो हमने उनके साथ मित्रता स्थापित की। जब चीन राजनयिक दृष्टि से शक्ति गुटों से पृथक् था तो हमने उसके लिए भी मित्रता का हाथ बढ़ाया था परन्तु जब उसने आक्रमणकारी रवैया अपनाया तो हम पीछे हट गए।

जहाँ तक बंगला देश की समस्या का सम्बन्ध है हम केवल यह ही कर सकते हैं कि हम उन देशों की सहायता करें जो लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ाई कर रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हम अन्य देशों के साथ लड़ाई में उलझ जाएँ। यदि याह्या खाँ आज लड़ाई करने के लिए उतारू हैं तो इसका मूल कारण यह है कि उसे अपनी गद्दी के लाले पड़ रहे हैं। उसने बंगला देश की कीमत पर राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए युद्ध का वातावरण बनाया हुआ है। यह भारत की विदेश नीति की सफलता का प्रतीक है। पाकिस्तान को पश्चिम पाकिस्तान में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह भी भारत की विदेश नीति की सफलता का प्रतीक है।

किसी सैनिक गुट में सम्मिलित हुए बिना ही हम ने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी हैं

जिससे पाकिस्तान सैनिक तानाशाही की नीति नहीं अपना सकता। हमने शान्ति क्षेत्र को बढ़ाने के लिए विदेश नीति का उपयोग किया है तथा संसार को दिखा दिया है कि हम बिना युद्ध के ही एक अच्छा लोकतंत्र स्थापित कर सकते हैं।

श्री कृष्ण मेनन (त्रिवेन्द्रम) : इस देश के अधिकांश भाग में संसद् के इतिहास में विदेश नीति पर बहुत कम चर्चा हुई है। यह सच है कि सरकार नीति बनाती है परन्तु देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखना संसद् का उत्तरदायित्व है। सरकार ने अकेले ही कार्य करने का जो प्रयास किया है वह सही है या गलत यह तो इतिहास बताएगा परन्तु इससे संसार में हमारे प्रति विश्वास उठ गया है। यह बात बिल्कुल सच है कि विश्व में भारत के प्रति सम्मान और आदर नहीं रहा है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे अन्दर अपने आप को मित्रहीन समझने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है इसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। अन्य देशों में जब कभी मैंने यात्रा की है, मैंने भारत के प्रति कभी मित्रहीनता की भावना नहीं पाई है। दूसरी ओर अन्य देशों के अधिकांश देशों ने यह खेद प्रकट किया है कि हम शान्ति तथा सहयोग के कार्यों में योगदान नहीं दे सके हैं और न ही इतना विकास कार्य कर सके हैं जितनी जनता को आशा थी।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सच है कि हमारा कोई मित्र नहीं है? क्या यह मित्रहीनता का प्रतीक था जब कुछ एक साम्राज्यवादी देशों को छोड़ कर सभी देशों ने उपनिवेशवाद को समाप्त करने के भारत के प्रस्ताव को समर्थन प्रदान किया था। मैं समझता हूँ कि यदि हमारे मित्र नहीं भी हैं तो हमें मित्रों के अभाव में रोना चिल्लाना नहीं चाहिये। इस बात पर हमारी मित्रता नहीं हो सकती कि हम जिस नीति को अपनाएँ उसमें स्वतंत्र न हों। गुटनिरपेक्षता का भाव यह है कि हम गुटनिरपेक्ष देश के साथ गुटनिरपेक्ष हैं।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार को ओकीनावा स्थान के बारे में विशेष जानकारी नहीं है। ओकीनावा एशिया का वधगृह बना हुआ है। जब तक ओकीनावा की ऐसी ही स्थिति रहती है यह देश सुरक्षित नहीं है। यह संसार का सबसे बड़ा अड्डा है और यहाँ पर जीवाणु, वैज्ञानिक और रासायनिक युद्ध सम्बन्धी एक बड़ी प्रयोगशाला भी है।

यद्यपि यह काम मेरा नहीं बल्कि विदेश मंत्री का है फिर भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि विदेश सेवा, राजदूतों और अधिकारियों पर दोष लगाना अनुचित और अथार्थवादी है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ उन्होंने वही नीति अपनानी होती है जो उनके समक्ष होती है। राजदूतों का काम नीति बनाना नहीं होता है अपितु हमारे विचारों के अनुसार व्यवस्था करना और अन्य देशों की नीति के बारे में मंत्रालय को आवश्यक जानकारी भेजना होता है। मैंने कुछ व्यक्तियों के साथ काम किया है और जानता हूँ कि हमारी विदेश सेवा में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अन्य देशों में बहुत कम मिल सकते हैं। इसके साथ ही साथ मुझे बड़े दुःख से कहना पड़ रहा है कि आजकल सरकार बहुत पक्षपात की नीति अपना रही है और विदेश सेवा में ऐसे लोगों को भेज रही है जो अन्य क्षेत्रों में असफल रह जाते हैं। कुछ लोगों की वरिष्ठता आदि को भी दबा दिया जाता है और उन्हें वे स्थान नहीं मिल पाते हैं जो मिलने चाहिए। यह बहुत भारी भूल है।

राजदूत का पद ऐसा नहीं है कि उसे संरक्षण के रूप में दिया जाए। यह उत्तरदायित्व निभाने वाला पद है।

अब मैं विदेश नीति के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। आजकल प्राय: यही कहा जाता है कि प्रत्येक देश अपने-अपने हितों में निहित रहता है परन्तु इसके आत्महित को अन्य लोगों के हित से पृथक् नहीं किया जा सकता; क्योंकि उनके भी अपने हित होते हैं। अत: इस प्रकार घिसी पिटी बातें करने का कोई लाभ नहीं है। हमें तो अपनी नीति ऐसी बनानी चाहिए जो हमारे देश की सुरक्षा से सम्बन्धित हो। गुटनिरपेक्षता की भावना तो यह है कि इस बात का निर्णय हम स्वयं ही करेंगे कोई अन्य देश नहीं, कि हमें युद्ध करना है या नहीं। ऐसा सैनिक गुट में रह कर हम नहीं कर सकते। यदि हम किसी सैनिक गुट में शामिल हों तो युद्ध का निर्णय हम यहाँ पर नहीं कर सकते। विश्व में शान्ति स्थापित किये रखने के लिए सभी देशों को प्रयास करना होगा।

हमारी विदेश नीति प्रगतिशील और परिवर्तनशील होनी चाहिये। मैंने ओकीनावा द्वीप का इसलिए उल्लेख किया है, क्योंकि यह हमारे निकट है और एशिया में है। यूरोप की सुरक्षा के मामले को, हमें पूरा महत्व देना चाहिये। दोनों विश्व युद्ध यहीं भड़के थे। हमें अपने निर्णय करते समय किसी और की ओर नहीं देखना चाहिये। अमरीका आदि देश अपने हितों को देखकर निर्णय करते हैं। हमें भी अपने देश के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिये।

विश्व में कुछ ऐसे देश है जिनके 3300 सैनिक अड्डे ऐसे हैं जो उनके अपने देश से बाहर हैं। यह विश्व पर प्रभुत्व जमाने का मामला है। हमने उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम दोनों को मान्यता दी हुई है। अब किस पक्ष को हम ठीक समझते हैं, यह स्पष्ट नहीं है।

उत्तरी वियतनाम के लोगों ने अमरीका जैसे शक्तिशाली देश का मुकाबला किया है। आज से 20 वर्ष पूर्व अमरीका साम्यवाद का सभी स्थानों पर मुकाबला कर रहा था। अब वही अमरीका अपना प्रभुत्व बनाये रखने हेतु यूगोस्लाविया जैसे देश की सहायता कर रहा है। अत: विदेश नीति के मामले में समूचे विश्व की घटनाओं को ध्यान में रखना होगा।

आज हम देखते हैं कि अन्तरिक्ष में बहुत अनुसंधान हो रहा है। इस बारे में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून और नियम बनाया जाना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो अन्तरिक्ष का युद्ध के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाने लगेगा। सरकार को इस बारे में पहल करनी चाहिये। विदेश मंत्रालय को इस प्रकार के मामलों पर ध्यान देना चाहिये।

सरकार को गुट निरपेक्ष नीति के इस पहलू पर ध्यान देना चाहिये कि हमारे सम्मान को ठेस न पहुँचे। हमारा देश एक बड़ा देश है। अत: हमारी बात को आवश्यक महत्व दिया जाना चाहिये।

हमें संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य संस्थाओं में बंगला देश में हो रहे अत्याचारों को उठाना चाहिये। वहाँ पर अमरीकी हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है। सरकार को स्वयं इस मामले को उठाना चाहिये। 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो मामला सर्वप्रथम उठाया गया था वह

दक्षिणी अफ्रीका में भारत मूलक लोगों का था। इस पर पांच छः वर्षों तक इस प्रश्न पर चर्चा चलती रही थी कि क्या अनुच्छेद 727 के अन्तर्गत एक आन्तरिक विषय है ?

अरब देशों से हमें विशेष समर्थन की आशा नहीं करनी चाहिये। हमने फिलस्तीनी मुक्ति आन्दोलन के लिए क्या सहायता दी है ? फिर अरब आन्तरिक क्रान्तियों में लगे हुए हैं।

राष्ट्रपति निक्सन चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। वह जहाँ भी गये हैं वहाँ कठिनाइयाँ बढ़ी हैं। समूचा विश्व जानता है कि राष्ट्रपति निक्सन ने युद्ध भड़काने में विशेष भूमिका निभायी है। यह यात्रा मई के महीने में होगी। मैं समझता हूँ कि इससे वह पेरिस शान्ति वार्ता में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं।

अमरीका ने पी० एल० 480 के अन्तर्गत हमारी सहायता की है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत खराब प्रभाव पड़ा है। इस देश को अमरीका ने घटिया किस्म का अनाज सप्लाई किया है।

1957 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर पर जो चर्चा हुई थी उससे हमें विश्व को यह बताने का अवसर मिल गया था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हमें इस संगठन के मानव अधिकार आयोग में बंगला देश के प्रश्न को उठाया चाहिये। हम यह दलील दे सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को हमारे देश में धकेल देना एक प्रकार का आक्रमण है। हमें इस बात से नहीं डरना चाहिये कि इससे दोनों देशों के बीच संघर्ष आरंभ हो सकता है। सरकार को उत्तरी वियतनाम और पूर्वी जमर्नी को तुरन्त मान्यता देनी चाहिए।

हमारे देश की विदेश नीति बहुत ही अस्पष्ट है। यह बहुत कमजोर देश की नीति के समान है। इसमें प्रगतिशीलता नहीं है। हमें मालूम नहीं कि कौन देश हमारा मित्र है और शत्रु।

SHRI SHASHI BHUSHAN (Delhi-South): I appreciate the statesmanship of our Minister of External Affairs. He has shown remarkable composure in spite of strains. Our missions in foreign countries are also doing excellent work. I have myself visited a number of countries and seen their work. I would like my friends here sitting on opposite side not criticise unnecessarily.

I find no justification in maintaining a big High Commission in London. Britain has never supported our case in international sphere. At present we see their attitude in economic matters. We can augment the strength of our mission in other countries.

Ever since the decision of President Nixon to visit China, the big newspapers and parties of India are demanding that we should improve our relations with China. It is a good suggestion. I would like these relations directly with China and not through Washington. The U. S. A. has been compelled to bow before China. She has been defeated by the brave people of North Vietnam. Now we want to have good relations with China with honour and dignity.

I request Government to accord recognition to the Revolutionary Government of South Vietnam. Similarly the German Democratic Republic, with whom we have very close relations should he recognised.

The guerilla activity in Bangla Desh is increasing. The guerillas are disrupting communications. The civil disobedience movement is going on very successfully there. All categories of people are participating in it. I can say with confidence that no power on earth can keep Bangla Desh as a slave country. We will give all help to Bangla Desh. It is with our help that Bangla Desh is fighting for such a long period. We are proud of our policy. We have fought for the cause of depressed people. We do not want to harm any one. We want to follow the policy of live and let live.

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : यह बात सुनकर मुझे निराशा हुई है कि हमारा कोई मित्र देश नहीं है और कि हमारी नीति असफल रही है।

मैं एक आशावादी व्यक्ति हूँ और अपने देश की महानता को समझता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि यदि अप्रैल के आरंभ में हमने बंगला देश को मान्यता दे दी होती तो अब हम मुक्ति बाहिनी की सीधी सहायता कर सकते थे। हमने एक अच्छा अवसर खो दिया है। हमें अब भी विलम्ब न करके तुरन्त मान्यता दे देनी चाहिये। मैं आशा करता हूँ कि सरकार बंगला देश के लोगों को हथियार देगी और उन्हें इस संबंध में प्रशिक्षण देगी ताकि वे वापस जा सकें और अपनी आजादी के लिये लड़ सकें।

आज चीन एक शक्तिशाली देश है। अमरीका भी उसके आगे झुक रहा है। चीन ने गत 20 वर्षों में बहुत प्रगति की है। उसने अणु बम बना लिया है और आज एक बड़ी शक्ति माना जाता है। यदि हमें बड़ा राष्ट्र बनना है तो हमें भी अपनी शक्ति बढ़ानी होगी।

मैं परिवार नियोजन के उपायों के पक्ष में नहीं हूँ। हमें अपनी जनसंख्या पर गर्व होना चाहिये। चीन एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है अतः इसका सम्मान होता है। हमें जनसंख्या में वृद्धि होने देना चाहिए।

हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं को शक्तिशाली बनाना चाहिए। हमें भी चीन की भाँति आण्विक हथियार बनाने चाहिए। तब हमें विश्व के सभी देशों से सम्मान प्राप्त होगा।

[श्री आर० डी० भंडारे पीठासीन हुए
SHRI R. D. BHANDARE *in the Chair*]

जब तक हम निर्बल हैं कोई देश हमारी परवाह नहीं करेगा। विदेश मंत्री स्वयं बंगला देश को मान्यता नहीं दे सकते। इसका निर्णय तो प्रधान मंत्री तथा मंत्री परिषद् को करना होगा। आज की स्थिति के लिए प्रधान मंत्री जिम्मेदार हैं।

जनरल याह्या खाँ की धमकियों का हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और बंगला देश को तुरन्त मान्यता देनी चाहिए।

श्री पी० आर० दास मुन्शी (कलकत्ता-दक्षिण) : मैं वैदेशिक कार्य मंत्रालय की अनुदनों की माँगों का समर्थन करता हूँ। मैं सरकार की विदेश नीति का समर्थक हूँ। इस समय मैं दक्षिण पूर्व एशिया की घटनाओं और राष्ट्रपति निक्सन की चीन की प्रस्तावित यात्रा के बारे में कुछ कहना चाहूँगा।

हमारी विदेश नीति में कोई स्थिरता नहीं है । हम सदैव नये-नये निर्णय करते हैं । इसी कारण हम लोग भारत की नीति को समझ नहीं पाते । मैं गुट निरपेक्षता की नीति को ठीक समझता हूँ । परन्तु आज विश्व में महान परिवर्तन हो रहे हैं । उनको ध्यान में रखते हुए हमें भी अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये । मैं समझता था कि भारत के लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ परन्तु यहाँ पर प्रतिपक्ष वालों की बात को सुनकर मैं महसूस करता हूँ कि अभी भी जानने के लिए बहुत कुछ शेष है । कुछ एक वक्ताओं ने बंगला देश को तुरन्त मान्यता देने की माँग की है । उन्हें समझ लेना चाहिए कि इसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं । ईश्वर न करे यदि कल को कोई कठिनाई खड़ी हो जाती है तो क्या ये लोग सरकार का साथ देंगे ?

मैं सरकार की विदेश नीति को समझ नहीं सका । मध्य पूर्व में जब इज़राइल से खतरा उत्पन्न हुआ तो हमने लाखों लोगों की सहायता की थी परन्तु आज जब हम कठिनाई में हैं हमारी सहायता के लिए उन देशों में से कोई देश भी आगे नहीं आ रहा है । यदि हम संधियों और समझौतों को ध्यान में रखते हुए देखें तो निश्चित रूप से भारत का कोई मित्र नहीं है । परन्तु अब विश्व में नये नये परिवर्तन हो रहे हैं । अब कोई भी व्यक्ति कोई भी युद्ध या अणु शक्ति के प्रयोगों के लिए किसी प्रकार की संधि नहीं चाहता ।

हमारी गुट-निरपेक्षता की नीति विश्व के मामलों में हमारे मूलभूत दृष्टिकोण पर आधारित है । यदि हम चाहते हैं कि यह नीति हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होनी चाहिए । तो पहले हमें यह परिभाषा देनी होगी कि हमारे राष्ट्रीय हित क्या हैं ? राष्ट्र के हितों की रक्षा करने के लिये हमें भरसक प्रयत्न करना होगा । सभी दलों को मिलकर कार्य करना होगा । आप किसी भी समृद्ध देश को देखें वहाँ पर लोगों और नेताओं के परिश्रम से ही प्रगति हुई है ।

आप भारत में क्या पाते हैं ? बंगला देश के मामले पर प्रतिपक्ष वाले सरकार की कड़ी आलोचना कर रहे हैं । हमें सभी पहलूओं पर विचार करना चाहिये । हमें अमरीका आदि देशों से सहायता लेनी है । मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि सभी प्रश्नों पर निर्णय करने से पूर्व हम देश के हितों को ध्यान में रखें ।

सभी ने राष्ट्रपति निक्सन की चीन की प्रस्तावित यात्रा का उल्लेख किया है । हमें चीन के साथ अपने संबंध सुधारने चाहिये । परन्तु चीन को पहले हमारा क्षेत्र छोड़ देना चाहिये ।

श्री एम० एम० जोज़फ (परीमाडे) : भारत एक स्वतन्त्र देश है । जब से इसने स्वतन्त्रता प्राप्त की है यह स्वतन्त्र विदेश नीति का अनुसरण कर रहा है । यह महात्मा बुद्ध के सिद्धान्तों के अनुसार आगे चल रहा है । यह एक तथ्य है कि भारत गुट-निरपेक्षता के सिद्धान्तों पर आधारित नीति पर सफलता से चल रहा है । इसका श्रेय भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री नेहरू को है ।

परन्तु धीरे-धीरे यह नीति असफल होने लगी । आज क्या स्थिति है ? भारत पर जब आक्रमण हुए, हमारा किसी ने साथ नहीं दिया । श्रीलंका में से भारत मूलक लोगों को निकाला जा रहा है । इसी प्रकार अनेकों वर्षों से बर्मा में रह रहे भारतीयों को निकाला जा रहा है । नेपाल के साथ व्यापार समझौता तय नहीं हो पा रहा है । भारत के साथ लगते नेपाली क्षेत्र में चीन सर्वेक्षण कार्य कर रहा है ।

सबसे बड़े दु:ख की बात यह है कि सरकार को पड़ोसी देशों की घटनाओं का पता तक नहीं होता। सभी देशों में हमारे दूतावास हैं परन्तु किसी कठिनाई के समय हमें विदेशों को यहाँ से विशेष व्यक्ति भेजने पड़ते हैं। अत: सरकार को अपने दूतावासों में आवश्यक परिवर्तन करने चाहिए। आज हम देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश—नेपाल, बर्मा, पाकिस्तान और श्रीलंका—हमारे शत्रु बन गए हैं। अरब देशों की हमने सहायता की थी। उन्होंने बंगला देश के मामले में हमारा साथ नहीं दिया है। इज़राइल के अलावा किसी भी देश ने पाकिस्तान के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज नहीं उठायी है। लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आ रहे हैं। बंगला देश में जनसंहार हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना चाहिए।

SHRI SHANKAR DEV (Bidar) : Sir, I congratulate the Government of India for its efforts in the matter of Bangla Desh.

Our tradition is that we have been a peace-loving country. Now we will try in true Gandhian way that this problem of Bangla Desh is solved peacefully. There can be many non-violent ways. One is that this matter should be taken to the U. N. O. This will be a peaceful course. Some people have suggested that we should organise non-violent demonstrations infront of the offices of U. N. O.

We can send our representatives to various countries to explain true position in regard to Bangla Desh. The world public opinion should be educated.

Some hon. Members have stated that we do not have any friend in the world to-day whereas Pakistan has on its side U. S. A., Russia and China. I feel a friend of all is friend of none. This is Pakistan's position. It has achieved nothing by pursuing this policy of friendship of China etc. Many countries have withheld aid to Pakistan. On the other hand India has been praised for helping 70 lakh refugees. In this way I can say that this goodwill is our great achievement. I believe in politics. There are no permanent friends and no permanent enemies. Further I believe we should have permanent principles. We should bring about dynamism in our foreign policy.

We should impart training to our ambassadors before they are sent abroad. They should know the principles of our policy. Our policy should be that of neutral dynamism and not that sleeping neutralism.

SHRIMATI LAKSHMIKANTHAMMA (Khammam) : I am sorry that the D. M. leader Shri Manoharan has endorsed the views of Chinese P. M. It is not good on the part of a party leader to say that we were responsible for the attack by China. Actually our policy has proved successful.

The main problem today is that of Bangla Desh. The Pakistan rulers have massacred innocent people of East Bengal. The theory of two nation has been proved false and it is clear that no nation can stand on the basis of religion.

I feel Government will take all necessary actions. The sad aspect of all this is that inspite of all this destruction America is still supplying arms to Pakistan. It is well known that Pakistan has used American arms against India. This also shows the American attitude towards India.

Our Minister has expressed our feelings on this subject in Rajya Sabha yesterday. I have not been able to follow America's policy. Now it wants to exploit the markets of Asia. It is evident from President Nixon's proposed visit to China.

We should take necessary steps against American policy to strengthen China and assassinate democratic set up in Asia.

The solitary object of Pakistan is to weaken India. There is no doubt, therefore, that the new American policy shall be against the interests of India. Ultimately it will be harmful for America also. That is why I would urge that India and other peace-loving countries should do their level best to pursuade America to give up this policy.

At the end I would like to say a word about Bangla Desh. I have read in today's paper that Yahya Khan has threatened to declare war against India. But I may tell that whatever may be, Bangla Desh will be free one day and the expectations of the people will be met.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*]

श्री नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : मैं चन्द एक ऐसी बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिन पर यहाँ चर्चा नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि हमें अपनी विदेश नीति सुदृढ़ बनाने के लिए और विदेशों में अपने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपने देश में विदेशी भाषाएँ सीखने पर जोर देना चाहिए। हिटलर ने अपनी जीवनी में यही लिखा था कि विदेशी भाषा और भूगोल की शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। अमरीका ने अपने देश में चीनी भाषा सीखने और सिखाने के लिए बड़े बड़े केन्द्र खोल रखे हैं। अतः हमें भी अपने देश में विदेशी भाषाओं को पढ़ाने और सीखने को प्रोत्साहन देने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने देश की सबसे अधिक सहायता कर सकते हैं। हिटलर जब भी युद्ध की बात करता था तो वह विश्व के खाके को अपने सामने रख लेता था। भूगोल पढ़ाने पर अधिक बल दिया जाता था। परन्तु दुःख की बात है कि हमारे देश में भूगोल पढ़ाने पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना दिया जाना चाहिए। अतः मैं समझता हूँ कि हमारे दूतावासों में जो लोग हैं उन्हें सम्बन्धित देशों की भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। यह खेद की बात है कि दिल्ली स्थित विदेशी भाषाओं संबंधी स्कूल भी अच्छा काम नहीं कर रहा है।

हमें एक बात और करनी होगी। हमारे मिशनों को विदेशों में राष्ट्रीय रहन-सहन के ढंग को अपनाना चाहिए। परन्तु दुःख की बात है कि जो व्यक्ति इन मिशनों का प्रबन्ध करते हैं यानी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं उनमें कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जो न तो हमारी संस्कृति को समझ सकते हैं और न ही हमारी विचारधारा को। इसलिए इन देशों के लोग यूरोपवासियों और वहाँ पर रहने वाले हमारे देश के लोगों के बीच बहुत कम अन्तर पाते हैं। जब मैं कुछ देशों में गया तो मैंने देखा कि जिन लोगों के साथ मैंने बातचीत की वे भारतीय दृष्टिकोण के बारे में अनभिज्ञ थे। अतः मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे विदेश स्थित मिशनों में काम करने वाले लोगों को न केवल हमारी संस्कृति के सही रूप को बल्कि विकास के उस पहलू को, जिस ओर लोगों का आकर्षण अधिक हो, बताना चाहिए। जब तक हमें इन भाषाओं का तथा अपनी विचारधारा और संस्कृति का समुचित ज्ञान नहीं होगा और जब तक वहाँ कार्य करने वाले हमारे लोग इन पहलुओं का निरूपण नहीं करेंगे तब तक विश्व को उस बात का पता नहीं चलेगा जिसे वह जानना चाहता है।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : हमारी विदेश नीति सफल है। यह समय ने हमें बता दिया है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हम अमरीकी तथा रूसी गुट से बाहर रहे हैं। अन्य देशों

में हो रही घटनाओं के फलस्वरूप बनाई गई गृह नीति ही उस देश की विदेश नीति होती है। यदि हम इस दृष्टि से अपनी सरकार की विदेश नीति को देखें तो हमें पता चल जायेगा कि स्वाधीनता प्राप्ति से यह सफल रही है। समय समय पर यह कहा जाता है कि हमारी विदेश नीति गलत है क्योंकि हम अमरीका या ब्रिटेन के गुट में शामिल नहीं हुए हैं। परन्तु मैं समझता हूँ कि यह विचार गलत है क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के प्रश्न पर संघर्ष हुआ था तब सोवियत रूस ने ही भारत के विरुद्ध इन साम्राज्यवादी देशों की प्रत्येक कार्यवाही को रोका था। अत: इससे सिद्ध हो गया है कि हमारी नीति समय के अनुसार खरी उतरी है।

पाकिस्तान हमेशा ही विदेशी सैनिक सहायता का लाभ उठाता रहा है। उसने अमरीका, रूस तथा जहाँ कहीं से भी उसे सहायता मिली, ली। परन्तु जब उसने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा तब भारत की किसी देश ने भी सहायता नहीं की। यदि हमारा अपना उत्पादन अधिक न होता तो बहुत कठिनाई होती।

हमने धर्मनिर्पेक्षता पर आधारित संविधान को स्वीकार किया है। हालांकि पाकिस्तान को विश्व के सभी देशों से सहायता प्राप्त हुई है परन्तु फिर भी उसकी आन्तरिक स्थिति बहुत खराब है। पूर्वी बंगाल में इसीलिए गड़बड़ी हो रही है क्योंकि शासक अपने लोगों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका।

इस सभा के अधिकांश लोगों ने कहा है कि बंगला देश को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। मेरा अपना मत तो यह है कि केवल मान्यता देने से इस समस्या का हल नहीं निकल सकता। वे लोग कहते हैं कि यह समस्या तभी हल हो सकती है जब भारतीय सेना बंगला देश में जाकर उन लोगों को स्वतंत्र करायेगी और नरसंहार बन्द करेगी। इस सिलसिले में मैं उन से पूछना चाहता हूँ कि क्या इसके लिए हमें युद्ध की घोषणा कर देनी चाहिए। मैं यही कह देना चाहता हूँ कि युद्ध करना इतनी सरल बात नहीं है। सदस्यों को बार बार मंत्री महोदय से यह ही नहीं पूछते रहना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। हमें कुछ संयम से काम लेना चाहिए, हमें इस मामले पर गम्भीर बन कर विचार करना चाहिए और सरकार पर भरोसा रखना चाहिए।

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : यद्यपि इस समय हमारे सामने बड़ी महत्वपूर्ण और आवश्यक समस्यायें हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान केन्द्रित होना चाहिए, तथापि इन समस्याओं के अतिरिक्त विश्व स्थिति की सामान्य समस्या, शांति और युद्ध की समस्या, परमाणु बम की समस्या पर तथा अन्तर्राष्ट्रीय समाज के सामान्य महत्व के अनेक मामलों पर भी प्रकाश डाला गया है तथा अन्तर्राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी विचार व्यक्त किए गए हैं।

सभा के बहुत से सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया है। मैं उनके सभी प्रश्नों के उत्तर तो नहीं दे पाऊँगा परन्तु महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूँगा।

वाद-विवाद के दौरान यह मामला उठाया गया था कि पड़ौसी देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं? वाद-विवाद के दौरान जो जानकारी दी गई है वह ठीक नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारे संबंध दो पड़ौसी देशों को छोड़कर सब के साथ मैत्रीपूर्ण हैं। भारत तथा निकट के पड़ौसी देशों के बीच बड़ी सद्भावना है। हमारे संबंध बर्मा, श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान के साथ आरम्भ से ही मैत्रीपूर्ण रहे हैं। यह हो सकता है कि हम उनकी और वे हमारी नीति

से हमेशा सहमत न हों तथा ऐसा हमेशा होता ही है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे हमारे मित्र नहीं हैं। सदस्यों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए।

बर्मा के साथ हमारे संबंध बहुत ही अच्छे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उसके साथ हमारा सहयोग हुआ है। भारत और बर्मा के बीच सीमा निर्धारित करने के बारे में एक करार हुआ है जिसके अनुसार 700 मील से अधिक सीमा का निर्धारण पहले हो चुका है। मैं सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूँ कि ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें दोनों देशों की दिलचस्पी होती है, आदान-प्रदान होता रहता है।

जहाँ तक श्री लंका के साथ हमारे संबंधों का ताल्लुक है यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि श्रीलंका में भारत मूल लोगों की समस्या का संतोषजनक हल निकल आया है और इससे संबंधित करार पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। जब इस करार को कार्य रूप दिया जाएगा तो निस्संदेह दोनों देशों के बीच संबंधों में और भी सुधार होगा। श्रीलंका के साथ हमारे आर्थिक संबंध भी बहुत अच्छे हैं तथा आर्थिक क्षेत्र में हम एक दूसरे को सहयोग देते रहेंगे।

नेपाल के साथ भी हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध हैं तथा हमने बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से नेपाल विकास के प्रयास में योगदान दिया है। हमें इस बात का गर्व है। हम कभी भी उस बात पर प्रसन्न नहीं हो सकते जो समय समय पर नेपाल के आलोचक हमारी नीति के कुछ पहलुओं के बारे में कहते रहे हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम इस नीति को छोड़ दें जो दोनों देशों के परस्पर हित में है। व्यापार और माल के लाने लेजाने के संबंध में बनाई गई सन्धि के संबंध में भी दोनों देशों के बीच मतभेद रहा है। परन्तु सन्धि के समाप्त हो जाने के बावजूद भी भारत नेपाल को आवश्यक वस्तुएं मुहैया करता रहा ताकि नेपाल के लोगों को कोई कठिनाई न उठानी पड़े। मुझे आशा है कि इस सन्धि पर शीघ्र ही अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया जाएगा।

अफगानिस्तान के साथ भी हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण हैं। कुछ महीने पहले जब मैं अफगानिस्तान गया तो अफगानिस्तान के सरकारी नेताओं ने भारत सरकार और भारत के लोगों के प्रति जो सद्भावना प्रकट की उससे पता चला है कि शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में हमारा उससे न केवल सहयोग ही रहा है अपितु हम इन संबंधों को और बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ दुर्भाग्यवश मुझे यह भी कहना पड़ रहा है कि दो अन्य पड़ौसी देशों अर्थात् पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे सबंध अच्छे नहीं रहे हैं। उन के साथ हमारे संबंध या तो शत्रुतापूर्ण या तनावपूर्ण रहे हैं। अतः हमें ऐसी स्थिति में ही काम करना है। मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति हमारे कारण नहीं बनी है। मैं चीन के बारे में इस समय कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि पहले कई बार मैं इस बारे में बोल चुका हूँ।

बहुत से सदस्यों ने यह भी कहा है कि हमारी गुट-निरपेक्षता की नीति के अच्छे परिणाम नहीं निकले हैं। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि इसके सिवाय हमारे लिये क्या रास्ता है। कोई भी गम्भीरतापूर्वक विचार करने वाला व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि हमें किसी गुट में शामिल हो जाना चाहिए। यह गुट-निरपेक्षता की नीति का ही परिणाम है कि हम किसी भी स्थिति में स्वतंत्र रूप से निर्णय कर सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने एक विचित्र सी बात कही है कि यदि हम किसी देश से हथियार

लेते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम उसके गुट में शामिल हो गए हैं। यह ऐसी बात है जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते । जब हमें आधुनिकतम सैनिक उपकरणों की आवश्यता हो तो हमें किसी भी साधन से उन्हें लेने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए ।

यह सुझाव देना कि किसी भी प्रकार से किसी देश से हथियार अर्जित करने के कारण हम अपनी स्वतंत्र नीति से विचलित हो सकते हैं, गलत है। इसके साथ-साथ यह कहना भी एक भारी भूल है कि भारत किसी विशेष स्रोत से हथियार प्राप्त कर रहा है इसलिये उसकी उस देश के साथ गुटबन्दी है। माननीय सदस्यों को इस धारणा का शिकार नहीं होना चाहिए। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारी नीति पूर्णतः स्वतंत्र है और हम उसका अनुसरण करेंगे तथा जिस स्रोत से भी हमें मदद तथा हथियार उपलब्ध होंगे हम उन्हें वहाँ से प्राप्त करेंगे।

कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो विश्व समुदाय के लिये महत्व रखते हैं यथा युद्ध और शान्ति संबंधी प्रश्न, निशस्त्रीकरण संबंधी प्रश्न, उपनिवेशवाद का प्रश्न चाहे वह किसी रूप में विद्यमान हो और दक्षिण अफ्रीका अथवा रोडेशिया में रंगभेद तथा जातीयता के साम्राज्य को समाप्त करने का प्रश्न। जहाँ भी हमें अवसर मिला है, हमने सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों से उपनिवेशवाद का स्पष्ट रूप से विरोध किया है। अंगोला और मोजमबीक में पुर्तगालियों के उपनिवेशी चंगुलों से अपने को मुक्त करने के लिये संघर्षरत स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करने के लिये सदैव अग्रसर रहे हैं। हमारी सहानुभूति तथा समर्थन सदैव उन लोगों के साथ रहा है जो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासन के विरुद्ध तथा रोडेशिया में जातिभेद शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमने सदैव इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा पीड़ितों के उत्थान के लिये उनके संघर्षों का समर्थन करने की नीति का अनुसरण किया है।

मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कहता जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय या विभिन्न संगठनों का जिनमें हम काम करते हैं, अपमान होता हो। इस बात में सन्देह नहीं कि उपनिवेशवाद तथा अन्य कई विषयों की समस्याओं पर विश्व का ध्यान केन्द्रित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में डाले गये दबाव के कारण उपनिवेशवादी शक्तियों के लिये अपने उपनिवेशों को बनाये रखना कठिन हो गया और धीरे-धीरे एक के बाद दूसरा देश स्वतंत्र होता गया।

हमें यह बात भी ध्यान में रखनी जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सरकारों का प्रतिनिधित्व होता है और किसी भी प्रस्ताव के समर्थन के लिये जिसे हम चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा दल स्वीकार करे हमें सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयुक्त संस्था में प्रतिनिधित्व करने वाले देशों की राजधानियों में पर्याप्त समर्थन प्राप्त करना जरूरी होता है। इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर ही हम विभिन्न राजधानियों में जनमत तैयार कर रहे हैं और उन्हें यकीन दिला रहे हैं कि हमारा रवैया उचित तथा न्यायसंगत है।

हम बंगला देश का प्रश्न इकोसोक में उठा चुके हैं और उसकी प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर तथा इस बात को देखने पर कि उससे हमारा उद्देश्य तथा हित पूरा होगा अथवा नहीं हम निश्चय ही इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य उपयुक्त संस्थाओं में उठायेंगे, बशर्ते कि हमें अपने प्रस्ताव, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र की उस विशेष संस्था द्वारा ग्रहीत कराना चाहते हैं, के पक्ष में काफी समर्थन का आश्वासन मिल जाये।

कुछ माननीय सदस्यों ने जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार आदि को मान्यता प्रदान करने का प्रश्न पुनः उठाया है। इस सम्बन्ध में सरकार हाल ही में, जब कि इस सभा में, केवल इसी सम्बन्ध में एक गैर-सरकारी संकल्प पर बहस हुई थी, अपना रवैया स्पष्ट कर चुकी है। फिर भी मैं इतना और स्पष्ट कर दूं कि उचित अवसर आने पर हम मान्यता देने के खिलाफ नहीं हैं।

ऐसे सुझाव दिये गये हैं कि चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ कि हमें चीन के साथ अपने संबंध सुधारने चाहिए। किन्तु संबंध सुधारने का काम केवल एक ही पक्ष का नहीं होता है। ऐसा दोनों ओर से होना चाहिए। यदि कभी चीन सरकार संबंध सुधारने के लिए कोई कार्यवाही करती है अथवा ऐसी इच्छा व्यक्त करती है तो हम भी ऐसा करने को तैयार हैं। तथापि, इस बात को अच्छी तरह समझना आवश्यक है कि संबंध केवल तभी सुधारे जा सकते हैं जब कि एक दूसरे की अखण्डता तथा प्रभु-सत्ता के प्रति परस्पर आदर दिखाया जाये और आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त का पालन किया जाये। चीन की कूटनीति में हाल में जो परिवर्तन दिखाई दिया है उसका हम स्वागत करते हैं और हमें आशा है कि इससे और भी काफी परिवर्तन होगा।

चीन और अमरीका के बीच तनाव में कमी की जो प्रक्रिया आरम्भ हुई है तथा इस संबध में उनके बीच जो गुप्त वार्ता हुई है उस बारे में मैंने 16 मई को एक वक्तव्य दिया था। चूंकि पीकिंग और वाशिंगटन के बीच इस समझौते का हम स्वागत करते हैं, तथापि, यदि इस समझौते का अर्थ दोनों शक्तियों का इस क्षेत्र में हावी हो जाना है अथवा इस आशय का कोई मौन समझौता करना है, तो हम उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। हम इस सिद्धान्त के अनुयायी हैं कि प्रत्येक देश को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने भाग्य का निर्णय करने का अधिकार है।

यह बात बंगला देश, वियतनाम तथा फिलिस्तानी समस्या पर भी लागू होती है। हम किसी भी अन्य देश अथवा देशों के समूह को न तो अपने ऊपर हावी होने देंगे और न ही अपने आन्तरिक मामलों में उन्हें हस्तक्षेप करने देंगे। अन्य देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि कोई तीसरा देश अन्य देशों, विशेषकर हमारे पड़ौसी देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है जिससे कि हमारे अपने राष्ट्रीय हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो हम चुप बैठे नहीं रहेंगे। मुझे आशा है कि चीन और अमरीका के बीच किसी समझौते से किन्हीं अन्य देशों विशेषतः इस क्षेत्र के देशों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे इस उप-महाद्वीप तथा इस क्षेत्र की स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिये हम कुछ समय से कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने पावे। यदि ऐसा हुआ, तो इसका असर केवल हम पर ही नहीं अपितु अन्य छोटे तथा बड़े देशों पर और भी अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। हम संबंधित देशों से सम्पर्क बनाये हुए हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि चीन-अमरीका के बीच किसी ऐसे समझौते का हमारे तथा इस खण्ड में अन्य देशों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पावे।

चीन और अमरीका की इस गुप्त वार्ता के पीछे मुख्य उद्देश्यों के संबंध में अनेक विचार व्यक्त किये गये हैं। उद्देश्य चाहे कुछ भी हो किन्तु यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इसके प्रभावों पर बड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी और अपने हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाना होगा।

श्री मैक्सवैल की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति याह्या खाँ ने कहा है कि यदि भारत ने पूर्व पाकिस्तान के किसी भू-भाग पर कब्जा करने की कोशिश की तो वह युद्ध घोषित कर देंगे और पाकिस्तान उसमें अकेला नहीं होगा । कुछ समय से पाकिस्तान विश्व की यह धारणा बनाने के लिये उसे गुमराह कर रहा है कि पाकिस्तान की समस्या भारत के साथ है और न कि बंगला देश के लोगों के साथ । सैनिक शासन के अपने कृत्यों तथा बंगला देश में उसके द्वारा किये गये अत्याचारों के कारण ही पाकिस्तान के लिये पूर्व बंगाल की समस्या खड़ी हुई है और वह इस समस्या से छुटकारा तब तक नहीं पा सकता जब तक की वह बंगला देश की जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ समझौता नहीं करता । जब तक पाकिस्तान इस बात को स्वीकार नहीं करता तब तक मुक्ति फौज की गतिविधियाँ जारी रहेंगी और बढ़ती ही जायेंगी । यदि मुक्ति फौज बंगला देश को मुक्त कराने में सफल हो जाती है और पाकिस्तान हम पर हमला करने के लिये इसे एक बहाना बनाता है, तो हम अपनी रक्षा करने को तैयार हैं ।

उसी वक्तव्य में आगे यह भी कहा गया है कि मध्यस्थता के प्रयासों के सिलसिले में राष्ट्रपति याह्या खाँ हमारी प्रधान मंत्री से मिलने को तैयार हैं । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह भारत और पाकिस्तान की समस्या नहीं है और यदि किसी मध्यस्थता की जरूरत है तो वह राष्ट्रपति याह्या खाँ तथा बंगला देश की जनता के बीच होनी चाहिए । इसलिए मैं पाकिस्तान के उन मित्रों को, जो मध्यस्थता कराना चाहते हैं, यह नेक सलाह देता हूँ कि वे पाकिस्तान के सैनिक शासन अर्थात् याह्या खाँ ओर शेख मुजीबुर्रहमान तथा अवामी लीग के नेताओं के बीच मध्यस्थता करने का प्रयास करें । मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस ओर परिवर्तित करने तथा मुक्ति संग्राम को भारत पाकिस्तान विवाद के रूप में चित्रित करने का प्रयास हमें मंजूर नहीं है ।

प्राप्त समाचारों के अनुसार शेख मुजीबुर्रहमान पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव है । यह मुकदमा चाहे गुप्त रूप से चले अथवी खुले रूप से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता । यदि उन पर सैनिक अदालत में मुकदमा चलाया जाता है जैसा कि समाचारों में कहा गया है, और यदि प्रमाण की आवश्यकता पड़े, तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसी कोई न्यायिक प्रणाली नहीं है जिससे हम परिचित हों और इस किस्म का मुकदमा केवल एक धोखा होगा, इसलिए शेख मुजीबुर्रहमान के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रयास राष्ट्रपति याह्या खाँ के 28 जून के वक्तव्य पर जिसने एक स्वतंत्र बंगला देश के अभ्युदय के लिए पूर्णतः रास्ता खोल दिया है, अनुशरणात्मक कार्यवाही होगी । इसलिए हम यह चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि शेख मुजीबुर्रहमान, जो बंगला देश के निर्वाचित नेता हैं, के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है तथा इन अत्याचारों को जारी रखा जाता है, तो इससे स्वतंत्रता सेनानी बंगला देश को मुक्त कराने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए और भी अधिक दृढ़ संकल्प होंगे ।

हम अपना रवैया समय-समय पर स्पष्ट कर चुके हैं । हमारी संसद ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था जिसमें हमने सहानुभूति और समर्थन का वचन दिया था और हम उस संकल्प का यथासंभव सर्वोत्तम ढंग से पालन कर रहे हैं और स्वतंत्रता को समर्थन देने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं ।

जब तक बंगला देश में ऐसा प्रशासन तथा सरकार स्थापित नहीं की जाती है जिसका

नियंत्रण शेख मुजीबुर्रहमान तथा अवामी लीग के अधीन हो तब तक हम यह आशा नहीं कर सकते कि ये शरणार्थी अपने देश को वापस चले जायेंगे क्योंकि केवल वक्तव्यों से उनके मन में विश्वास पैदा नहीं किया जा सकता जिससे कि वे अपने घरों को लौट सकें। इसलिए वे तब तक वापस नहीं जायेंगे जब तक मूल कारण दूर नहीं किया जाता और मूल समस्या हल नहीं की जाती और मूल समस्या है एक ओर जनता तथा लोकतंत्रात्मक शक्तियों और दूसरी ओर सैनिक शासन के बीच लड़ाई। इस संघर्ष में हम स्वतंत्रता सेनानियों का समर्थन करने को वचनबद्ध हैं और इस उद्देश्य को हमें प्राप्त करना है।

सभापति : बहुत से कटौती प्रस्ताव पेश किये गये हैं। जब तक कोई सदस्य किसी कटौती प्रस्ताव पर अलग से मतदान नहीं करवाना चाहता, मैं सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए एक साथ रखूँगा।

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The cut motions were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा विदेश मंत्रालय की निम्नलिखित माँगें मतदान के लिये रखी गईं तथा पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं :

The Demands for grants in respect of the Ministry of External Affairs were put and adopted :

विदेश मंत्रालय

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
11	वैदेशिक-कार्य	22,99,92,000
12	विदेश मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	14,66,91,000

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 21 जुलाई, 1971 के 11 बजे (म० पू०) तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, the 21st July, 1971.

New India Printing Press, Khurja